(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार

19 फरवरी, 75

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई। (श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष : श्रीमती जमुना सोलंकी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण

21. **श्रीमती जमुना सोलंकी** (केकड़ी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने संबंधी आश्वासन सरकार द्वारा कब कब सदन में दिये गये ?

(2) क्या राज्य सरकार के उक्त आदेश पदोन्नति में आरक्षण केन्द्र के समान करने के मुख्य मंत्री द्वारा गत वजट सत्र में सदन में दिये गये आश्वासन के अनुरूप थे ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत):--(1) दिनांक 20-3-74 को आश्वासन दिया गया।

(2) राज्य सरकार ने इस संबंध में करीब करीब केन्द्र के समान पदोन्नति में आरक्षण दिनांक 10-2-75 को कर दिये हैं। आदेश की प्रतिलिपि पटल पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।)

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब सदन में आश्वासन 20-3-74 को ही दे दिया गया था फिर यह आश्वासन इतने समय तक क्रियान्वित क्यों नहीं हो सका और इसके लिये रूल्स बनने में इतनी देरी क्यों हुई ? इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह आदेश अभी 10-2-75 को ही जारी किये गये हैं और अब विभागाध्यक्षों को आदेश दे दिये गये हैं कि वह इसके अनुसार पदोन्नति करें। इसमें केबीनेट की संक्शन लेना जरूरी था अतः समय लगा।

Page No 2

(2)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इनमें देरी क्यों हुई ? और यह आदेश कब जारी किये गये ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह आदेश 10–2–75 को जारी किये गये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : और आश्वासन राज्य सरकार ने किस तारीख को दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : 20–3–74 को।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो फिर इतनी देरी कैसे हुई इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? किस अधिकारी की वजह से ऐसा हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें किसी अधिकारी की वजह से देरी नहीं हुई है। यह कोई आसान काम नहीं था। सिर्फ एपोईन्टमेन्ट का ही सवाल नहीं था। इसमें पदोन्नति का भी सवाल था। उसके लिये रूल्स बने और बाद में फाइनली केबिनेट में 10–2–75 को ही तय हुए हैं। इसलिये इसमें विलम्ब नहीं हुआ। चूंकि पदोन्नति में इम्पलीमेन्टेशन किस प्रकार हो उसको देखना पड़ता है। कई इसके इम्पलीमेन्टेशन में और कोई रिएक्शन नहीं हो जाय इसलिये दूसरी बार और केबिनेट में गये तथा इसका फाइनल फैसला केबिनेट द्वारा 10 तारीख को ही हुआ है।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार ने आश्वासन 20–3–74 को ही दे दिया कि प्रमोशन में भी इन जातियों के लोगों का आरक्षण होगा फिर देरी क्यों हुई और लोगों को इसमें प्रोमोशन क्यों नहीं मिला ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं रूल्स फाइनल केबीनेट में 10–2–75 को हुए हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार ने प्रमोशन के बारे में आरक्षण का आश्वासन दे दिया था उसके बाद में भी लोगों के प्रमोशन हुए और इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिला इसके लिए क्या होगा ? इसके अलावा क्या यहां जो प्रमोशन के बारे में निर्णय लिया और केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया उसमें अन्तर है ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई अन्तर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अगर इतने दिनों में लोगों को प्रमोशन मिल गया होगा और इन जातियों के लोग वन्चित रह गये हैं जिनकी वजह से रूल्स नहीं बन सके उसके लिए कौन दोषी है ? इसमें इतना अधिक समय क्यों लगा ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें किसी का एक्सप्लेनेशन पूछने का सवाल नहीं है। इसमें रूल्स बनते हैं और उसमें कठिनाइयां आती हैं। पदोन्नति के मामले में उनका इम्पलीमेन्टेशन कैसे होगा उसके लिए फाइनली केबिनेट में जाता है केबीनेट में उसकी सेंक्शन होती है। केबिनेट में यह फाइनल 10–2–75 को हुआ है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। क्या सभी आदेश जो निकाले गये हैं वह उसी प्रकार के आदेश निकाले गए हैं जो पहले निकाले गये थे कि दस कर्मचारियों में एक की पदोन्नति का नम्बर आयेगा या स्थिति कोई दूसरी है ?

श्री हरिदेव जोशी : पहले आर्डर दूसरे थे। पहले तो जो आदेश निकले थे वह रिक्रूटमेंट के बारे में थे। अब जो आदेश निकाले गये हैं, वह प्रमोशन से सम्बन्धित हैं। इन दोनों में काफी बड़ा फर्क है। इसमें प्रमोशन का इम्प्लीमेन्टेशन कैसे हो उसके लिए फैसला किया गया है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रमोशन के हर मामले में रिजर्वेशन होगा या डी.पी.सी. के मामलों में होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : हर पोस्ट के लिए होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह फैसला आल इन्डिया लेवल पर भी लागू होगा क्या ? आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की पोस्ट पर ?

श्री हरिदेव जोशी : आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में तो आलरेडी है ऐसा रिजर्वेशन केन्द्र के बराबर यहां भी किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चिम्मनसिंह भाटी।

शेरों का बाला फीडर की मरम्मत

22. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अजमेर जिले की पंचायत समिति जवाजा के शेरों का बाला फीडर गत दो वर्षों से अतिवृष्टि के कारण जगह जगह ढह गई है और मलबे से भरी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी मरम्मत व सफाई के लिए बजट में या विभागीय बजट में कोई प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत व सफाई कब तक हो जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : जी हां, इसकी मरम्मत व सफाई के लिए बजट में कोई अलग से प्रावधान नहीं रखा गया है, परन्तु अगले वित्तीय वर्ष में अजमेर सिंचाई खण्ड को वार्षिक मरम्मत हेतु आवंटित होने वाली राशि में से इसकी मरम्मत का कार्य वर्षा से पूर्व करवा दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सुरेशचन्द्र।

कोटपूतली की सीमा वृद्धि

23. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटपूतली नगरपालिका द्वारा सीमा वृद्धि हेतु किस साल में सरकार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सीमा वृद्धि न होने के कारण पालिका को काफी टैक्स की हानि उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो कब तक पूरी कार्यवाही हो जायेगी ?

Page No 4

(4)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) दिनांक 3–6–72 को नगरपालिका कोटपुतली ने सीमा वृद्धि के लिए राज्य सरकार को लिखा और राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 6 के अनुसरण में दिनांक 7–12–73 को नगरपालिका कोटपुतली की सीमा वृद्धि के लिए विज्ञप्ति जारी की।

(2) जिलाधीश जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त होते ही कोटपुतली नगरपालिका की सीमा वृद्धि के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा ? यह बताना कठिन है कि सीमा वृद्धि न होने से नगरपालिका को हानि उठानी पड़ रही है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि सन् 64 में तत्कालीन जिलाधीश श्री ए.पी. दिवान के सामने कोटपुतली नगरपालिका की सीमा वृद्धि के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : राज्य सरकार के पास यह प्रस्ताव कब आया और इतनी देर क्यों लगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार के पास यह प्रस्ताव 3-6-72 को आया और राज्य सरकार ने जिलाधीश जयपुर से रिपोर्ट मांगी है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव सन् 64 में कोटपुतली नगरपालिका द्वारा भेजा गया था उस समय मैं कोटपुतली नगरपालिका का अध्यक्ष था, आज आठ साल हो गये और राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन में बिल्कुल झूठ कहा जा रहा है। जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सन् 64 में ही प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेज दिया था तो किन अधिकारियों की वजह से इतना समय लगा और उक्त देरी करने का क्या कारण था ? इसके लिए राज्य सरकार क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह इतना समय किन अधिकारियों की वजह से लगा है ? आठ साल तक अधिकारियों के पास वह प्रस्ताव पड़ा रहा और अब 11 साल होने को हैं। नगरपालिका को सीमा-वृद्धि नहीं होने से लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिल्कुल साफ है। प्रश्न यह पूछा गया है कि सीमावृद्धि के लिए कब प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आया और कौन कौन से अधिकारी थे जो इसमें राज्य सरकार को गुमराह करने में इन्वोल्व हैं जिनके कारण इसमें देरी हुई और नगरपालिका कोटपुतली को इससे लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ रही है ?

यह कागज इतने वर्षों तक कहां दबे पड़े रहे इसका मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, कोटपुतली नगरपालिका से सन् '64 में प्रस्ताव आ गया और आठ साल तक वह प्रस्ताव दबा पड़ा रहा और उस पर आपके अधिकारी उन कागजों पर जमे रहे तो क्या राज्य सरकार इस आठ साल तक सीमा-वृद्धि नहीं होने के कारण अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हुए जो विलम्ब के कारण नुकसान हुआ है उसके लिए जांच करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने का आश्वासन देगी। साथ में इस बात का भी आश्वासन देगी कि जांच करने पर सदन को अवगत कराया जायेगा कि किस कारण से इसमें देरी हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार था ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार द्वारा 3–11–74 को लिखा गया है। और राज्य सरकार के पास यह प्रस्ताव 3-6-72 को आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को राज्य सरकार शीघ्र निपटायेगी। राज्य सरकार जल्दी ही उसके लिए जिलाधीश जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त करेगी। और इस पर एक्शन लेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों की वजह से इन कार्य के लिए देरी हुई इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? अध्यक्ष महोदय, सरकारी मशीनरी में रेडटेपिज्म इतना है कि इसका अन्त होना बहुत जरूरी है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को आठ साल तक दबाये रखा और उस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप उन दोषियों को सजा देंगे या नहीं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे यह आशंका है, माननीय मंत्री महोदय को कर्मचारियों ने गुमराह किया है। गुमराह करना कोई अपराध नहीं है। अगर ऐसा अपराध है, मंत्री महोदय अनुभव करते हैं कि अपराध हुआ है, तो क्या मंत्री महोदय का कर्तव्य यह नहीं है कि ऐसे अपराधी को दंड दिया जाय ? क्या मंत्री महोदय अपने कर्त्तव्य पालन की चेष्टा इस सम्बन्ध में रखते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका कोटपूतली ने सीमा वृद्धि के लिये राज्य सरकार से निवेदन किया। सीमा वृद्धि करने का प्रस्ताव था। ग्राम पंचायत का क्षेत्र इसमें आता है उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र को लेकर नगरपालिका में मिलाने का प्रश्न था। चूंकि यह आसान मामला नहीं था, इसलिये इसकी जांच होना जरूरी था इसलिये पिछले सत्र में नगरपालिका के नियमों में संशोधन हुआ जिससे इस प्रश्न पर भी सहूलियत हो सकती थी नगरपालिका की और पंचायत की सहमति का भी प्रश्न था इसलिये इसमें विलम्ब हुआ अब आगे इसमें विलम्ब नहीं होगा।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : सन् 64 में माननीय सदस्य अध्यक्ष थे नगरपालिका के और उस समय उन्होंने ऐसी कोई प्रार्थना की थी। यदि यह चीज पहले ही गवर्नमेन्ट के ध्यान में ला दी जाती तो प्रश्न का उत्तर दूसरे ढंग से होता। इस चीज को भी देखा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

राज्य में महिला शिक्षा

24. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) :– क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सबसे पिछड़ा प्राप्त है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के लिये सरकार द्वारा अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो इस ओर सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं एवं उनका नतीजा क्या रहा है ?

(3) क्या यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार हेतु सरकार की अभी तक कोई ठोस योजना बना कर क्रियान्वित नहीं की गयी है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहां कहां क्या क्या योजनायें लागू की गई हैं ?

(4) क्या निकट भविष्य में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा प्रसार हेतु कोई खास योजना क्रियान्वित करना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो कब तक क्या योजना लागू की जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारुक हुसन): (1) यह सत्य है कि राजस्थान स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में देश के पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। इसके कई कारण हैं जैसे आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक परिस्थितियां, स्त्री शिक्षा के प्रति रुचि की कमी आदि।

(2) यह सही नहीं है। सरकार ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिये पर्याप्त कदम उठाये हैं। उनके लिये दूर दूर इलाकों में पाठशालायें खोली हैं तथा छात्राओं की न्यूनतम संख्या की शर्त में भी काफी कमी कर दी गई है। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये उनसे किसी प्रकार की ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाती है।

(3) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिये पर्याप्त संख्या में स्कूल खोले हैं। पिछले दो वर्षों में 307 प्राथमिक स्कूल को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया।

(4) सरकार यह चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के लिये अधिक सुविधायें प्राप्त हों तथा नये स्कूल खोलते समय इसका विशेष ध्यान रखा जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने माना है और उन्होंने जनरल रीजन्स बता दिये। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों में विशेष कार्य नहीं किया गया है प्राइवेट स्कूल खोलने की बात करते हैं लेकिन गर्ल्स स्कूल खोलना ही बन्द कर दिया। प्राइमरी स्कूल दूर दूर इलाकों में खोलने की बात बतायी लेकिन गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कोई विशेष व्यवस्था नहीं हुई है। एक तरह से गर्ल्स स्कूल खोलना ही बन्द कर दिया है और भविष्य में गर्ल्स स्कूल खोले नहीं जावेंगे क्या यही नीति राज्य सरकार की है, क्या यह सत्य है ?

श्री फारुक हुसन : मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने की बात थी। मैंने बताया कि 307 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों में अपग्रेड किया गया। 50 प्रतिशत का भी इसमें प्रावधान रखा था वह इसलिये कि जो सुविधा स्कूलों को मिलनी चाहिये वह मिल सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो जबाब दिया है मंत्री महोदय ने आपने भी सुना है, अध्यक्ष महोदय। मेरा स्पेसिफिक क्वश्चन है कि राजस्थान स्त्री शिक्षा के माने में पिछड़ा हुआ है, रुचि होना न होना यह तो सारे हिन्दुस्तान के लोगों में होता है, आपने इस ओर क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि रुचि नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि यदि माननीय मंत्रीजी आंकड़े उठा कर देखें तो उनको मालूम होगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और सवर्णों दोनों की ही संख्या में इस ओर वृद्धि हुई है बालिकाओं की। शहरों में तो यह हालत है कि गर्ल्स स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलता है। विशेष वर्ष महिलाओं के लिये है, यों ही इस ओर जोर डालते तो अच्छा होता।

एक माननीय सदस्य : इन्स्ट्रक्शन्स यह थीं कि प्राइमरी गर्ल्स स्कूल खोली नहीं जावेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे आदेश निकाले थे सरकार ने कि भविष्य में नहीं खोली जावेंगी।

श्री श्रीराम गोटवाला (किशनपोल जयपुर) : कितनी प्रतिशत स्त्रियां शिक्षित हैं ? राज्य सरकार महिला वर्ष में एक अभियान चला कर स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से····

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मैं नहीं पूछूं ? शताब्दी में तो एक वर्ष आया है महिलाओं के लिये। उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं महिलाओं के लिये ?

श्रीमती नगेन्द्र बाला : क्या मंत्री महोदय भविष्य में ऐसा आश्वासन दिलायेंगे कि जो हाई स्कूल, कालेजेज खोले जायं उनमें प्राथमिकता गर्ल्स स्कूल और कालेजेज को मिले ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़े खेद का विषय है, अध्यक्ष महोदय, जब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्त्री वर्ष मना रहे हैं, महिला वर्ष मना रहे हैं, खेद तो इस बात का है कि माननीय मंत्री महोदय ने घर वाली को नहीं बताया होगा, मेरे संकट पैदा हो गया, उनके यहां भी हो गया····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके संकट हो गया उनके भी हो गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा तो यहां कहा जाता कि स्त्री शिक्षा के बारे में कोई आपका फेज्ड प्रोग्राम है। उसको सदन के अन्दर आप प्रस्तुत भी करते। दूसरा यह है कि क्या केवल 365 शिक्षा संस्थायें हैं जिनको क्रमोन्नत करने की मांग आयी है ? कई जगह मांग आयी है, प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल की।

श्री अध्यक्ष : कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है वहां पर को-एजुकेशन है। लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत समितियों में भी जितने भी स्कूल हैं लड़के और लड़कियों के वहां पर भी यही है। गांवों में जहां अलग अलग प्राथमिक शालायें हैं वहां पर यह प्रावधान रखा है कि लड़कों से आधी संख्या होने पर उनको क्रमोन्नत किया जाय। यह स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये रखा है। यह प्रावधान किया गया है।

बैंक वर्ड नेस का जहां तक प्रश्न है मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। देशी रजवाड़ों से राजस्थान बना। पर्दा सिस्टम होने से स्त्रियों में शिक्षा बिलकुल नहीं थी। जैसा कोटा से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा निश्चित रूप से प्रगति हुई है। राजस्थान अन्य प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है।

आपने यह पूछा कि इसके आगे क्या कार्यवाही कर रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी हम स्कूलों को कक्षा आठवीं से सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी में अथवा हा. से. से कालेज में क्रमोन्नत करेंगे उस समय निश्चित रूप से बालिकाओं का ध्यान रखा जायगा।

(कई मा. सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : बहुत सवाल हैं आगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा गांवों···

श्री अध्यक्ष : पहले ही बहुत पूछ चुके हैं आप।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है गांवों में को–एज्यूकेशन चलती है। लेकिन उसका प्रपोर्शन क्या है? कोशिश तो यह सब है। राज्य सरकार के सैन्टीमेन्ट्स हैं। राज्य सरकार विशेष कदम क्या उठायेगी कि अलग स्कूलें खोली जायं ?

श्री खेत सिंह : उसमें आपके सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। अगर आप सब सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से बालिकाओं की संख्या बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार नाथ ।

पौंग बान्ध की सुरंग की टूटी सील की मरम्मत

25. **श्री केदार नाथ** (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उच्च तलवाड़ा में पौंग बान्ध की एक सुरंग टूटी हुई सील में से गत दो माह में अब तक कितना पानी बान्ध से निकाला ?

(2) क्या यह सच है कि इसके कारण करीब 80 करोड़ रुपये का पानी व्यर्थ बह गया ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरा लाल देवपुरा): (1) टूटी हुई सील वाली सुरंग में से कोई भी पानी पौंग जलाशय का नहीं निकाला गया ।

(2) प्रश्न एक के सन्दर्भ में पानी के व्यर्थ बहने का प्रश्न नहीं उठता । वैसे टूटी हुई सील की मरम्मत भारत सरकार द्वारा की जा रही है ।

श्री केदार नाथ : पानी आज तक कौन से गेट से निकला ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पौंग जलाशय के 6 गेट्स हैं। तीन पावर हाउस के लिये हैं और तीन इर्रीगेशन को सप्लीमेन्ट करने के लिये हैं । तीन गेट्स इर्रीगेशन के टी–1, टी–2 और टी–3। जो गेट्स पावर हाउस के लिये हैं वह हैं पी–1, पी–2 और पी–3 । सील टूटी है वह टी–1 की टूटी है । टी–1 और टी–2 का काम चालू है । पी–2 और पी–3 का कोई नुकसान नहीं हुआ है । टी–1 की सील टूटी है अतः रेगूलेट नहीं किया जा सकता है इसलिये वह बिलकुल क्लोज्ड है। चूंकि उस सील को क्लोज करने से पी–1 बिलकुल खुला रखा है ताकि टाइम पर पानी पूरा निकल सके...

श्री केदार नाथ : 17 हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान को बह कर चला गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अब तक बिलकुल नहीं गया है ।

श्री केदार नाथ : क्या यह सही है कि भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड में उसमें हमारे राजस्थान का कोई इंजीनियर नहीं है ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : हमारा भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड में पूरा हिस्सा है । हमारे अधिकारी हैं, हमारे आफिसर्स हैं, हमारे मेम्बर जाते हैं ।

श्री केदार नाथ : जितना 17 हजार क्यूसेक पानी गया है उसका उपयोग नहीं हुआ है वह पानी वेस्ट गया है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही नहीं है लेकिन किसी हद तक यह पानी रेगूलेट होकर जाता तो इसका ज्यादा उपयोग सम्भव हो सकता था लेकिन यह कहना कि पानी का उपयोग नहीं हुआ है गलत है । उसका उपयोग हुआ है । राजस्थान कैनाल में और गंग कैनाल में जितना पानी पहले कभी नहीं आता था उतना पानी आया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि यह गेट्स एक फ्रेन्च कम्पनी के द्वारा

Page No 10

(10)

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

बनाये गये हैं-प्रश्न नं. 1, प्रश्न नं. 2, क्या जो सील टूटी है वह मेटल की बनी होने की वजह से टूटी है और बाकी का सारा गेट स्टील का बना हुआ है यह सील मेटल की बनी होने की वजह से कमजोर थी ? प्रश्न नं. 3, क्या यह सही है कि इसी प्रकार की सील बाकी के दोनों गेटों में भी है ? नं. 4 क्या यह सही है कि यह सील जब तक पूरे स्टील का गेट रिमूव नहीं किया जाय तब तक रिपेयर नहीं हो सकती है ? और मंत्री महोदय यह बतायें यह 17 हजार क्यूसेक पानी डिफरेण्ट लेवल से फ्लो होकर पाकिस्तान नहीं गया तो कहां युटिलाइज हुआ और मेरा एक सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन यह भी है कि आपके चीफ इंजीनियर को यह लिखकर दिया है कि व्यास बोर्ड और भाखरा बोर्ड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को नहीं लिया है कि सील लीक होने के बावजूद जो पानी आ रहा है उसका पूरा युटिलाइज नहीं कर सके ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सील किस प्रकार के मेटेरियल की बनी होने का प्रश्न है, इसका कन्ट्रोल राजस्थान से नहीं है। पोंग बान्ध के निर्माण का कार्य भारत सरकार से चल रहा है और वहीं से इसका सम्बन्ध है। इसलिये उस सम्बन्ध में इस सदन में जवाब देने में मैं अपने को सक्षम नहीं मानता हूं और न मुझे कोई जानकारी है। दूसरी बात जो कही है कि 17 हजार क्यूसेक पानी इसमें से निकल गया तो उसके लिये चीफ इंजीनियर ने बताया सील ठीक भी हो तो भी पानी इक्ट्ठा किया जाय उसका पूरा उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। हमने कहा है कि पानी का पूरा उपयोग करेंगे। यह बात अवश्य है कि पानी के रेगूलेट होने से ज्यादा लम्बे समय तक उपयोग हो सकता था इसलिये कम समय में ज्यादा पानी का उपयोग किया है। यह नहीं कह सकते है कि पानी का उपयोग नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अगर उसका उपयोग हुआ है तो जो पानी स्टोर है वह अब कितना है ? क्या यह सही है कि पांच हजार क्यूसेक पानी आपका 1–पी में जमा है 2–आपने घग्घर के फ्लो को राइस के मैचोर के लिये यूज किया है और 12 हजार क्यूसेक पानी जो राजस्थान कैनाल का है वह युटिलाइज नहीं हुआ है ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, 12 हजार क्यूसेक पानी, वह अभी तक···

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है···

श्री अध्यक्ष : पहले आप (श्री गुरदयाल-सिंह सन्धु) पूछ लें।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड में 52 पर्सेन्ट से ज्यादा हमारा हिस्सा है। यह जो सील टूटी है, आप कहते हैं सील नहीं टूटी है····

श्री हीरा लाल देवपुरा : मैंने कहा है सील टूटी है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु ··· (अश्रव्य) ····एमरजेन्सी के बाद भी वह लीक कर रही है। पानी के निकलने पर कोई कन्ट्रोल

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

नहीं हो रहा है। 17 हजार क्यूसेक पानी फालतू चल रहा है। मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं और आप कहते हैं···

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर दूं इस फैक्ट से कोई इन्कार नहीं किया जा रहा है कि सील टूटी हुई नहीं है। इस बात से इन्कार नहीं किया है। बात यह है कि रेगूलेटेड व्हे में पानी नहीं आने से उसका अधिक उपयोग नहीं हुआ है। सील टूटी हुई होने के कारण और बान्ध को खाली करने के लिहाज से एक को खुला रखा जा रहा है ताकि रिपेयर हो सके और चूंकि रेगूलेटेड व्हे में उपयोग नहीं हो रहा है इसलिये दूसरी तरफ जा भी रहा है तो इसका कोई चारा नहीं है। अब रहा इसके श्रोनस का सवाल, वह हमारे ऊपर नहीं है। शेयर होल्डर जरूर हैं लेकिन हम क्या करें?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : 65 पर्सेन्ट खर्चा राजस्थान सरकार का हुआ है और फिर आप कहते हैं ओनस का सवाल ही नहीं है। एक साम्राज्यवादी कन्ट्री तो यह सील बनाये और मंत्री महोदय कहें, मुख्य मंत्री महोदय कहें हमारी जानकारी में नहीं है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य औरों को भी मौका दें।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : टी–1, टी–2 और टी–3 को रिमूव करके और रिपेयर करने के बाद इसकी क्या स्थिति रहने वाली है?

श्री केदार नाथ : 52 पर्सेन्ट शेयर है तो मैनेजमेंट में हमारा हाथ क्यों नहीं है?

श्री हीरा लाल देवपुरा : मैनेजमेंट में हमारा हाथ है। सील टूटी है इसका जिक्र चला है। अब इसको टेक्निकल व्हे में ठीक की जायगी। जो माननीय सदस्य की आपत्ति है टी–1, टी–2 और टी–3 बिना खाली कैसे रिपेयर किया जाय–टी–1 की सील टूटी है टी–2 और टी–3 का काम चालू है। टी–1 को ब्लाक किया हुआ है। जो टी–1 की सील टूटी है उस लेवल तक ठीक किया जायगा। टी–1 का पानी निकला हैं। अब यह गेट्स को निकालकर ठीक करते हैं या कैसे करते हैं इस समय एक ले मेन के नाते में नहीं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री केसरीमल,

नैक्स्ट।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु: प्रश्न करने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मौका मिल गया।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं बारबार खड़ा हो रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राईवेट बसें

26. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को अब 25 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलाया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(श्री केशरीमल)

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राईवेट ओनर्स की बसें भी चल रही हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत मार्ग पर और कितनी बसें ?

(3) बस रूटों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद प्राईवेट बसों को चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

(4) क्या सरकार यह उचित समझती है कि प्राईवेट बसों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर नहीं चलने दिया जाये ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी हां । जून सन् 1964 से।

(2) जिन योजनाओं में पूर्ण निर्णय नहीं है, ऐसे मार्गों पर प्राईवेट ओनर्स को बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ऐसे मार्गों का प्रतिशत राष्ट्रीयकृत मार्गों का करीब एक प्रतिशत है। ऐसे निजी वाहन मालिकों की बसों की संख्या के बारे में जानकारी संकलित की जा रही है ।

(3) जनता की सुविधा को देखकर ।

(4) जी हां ।

श्री **केशरी मल** : राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यह प्राईवेट बसेज क्यों चलाई जा रही हैं ?

श्री **लक्ष्मण सिंह** : क्या मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि प्राईवट बसों वाले इतना किराया बसों का नहीं बढ़ायेंगे जितना सरकार बढ़ाने की चेष्टा करती है । मंत्री महोदय भी भावुकता में बह रहे हैं और सरकार भी भावुकता के अन्दर बह रही है लेकिन प्राईवेट बसों वाले इतना किराया नहीं बढ़ायेंगे जितना सरकार बढ़ाती है तो क्या जन कल्याणकारी सरकार को यह उचित अनुभव होता है कि किराया मनमाने ढंग से बढ़ाया जाये ?

श्री **मोहन लाल छंगाणी** : यह प्रश्न अलग से है । जो किराया वृद्धि का कारण है यह अरब देशों से पूछते तो ज्यादा अच्छा होता । पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गयी हैं । पेट्रोल यदि हमें सस्ता दिलाने की चेष्टा की जाये तो यह जरूर जन कल्याणकारी राज्य होगा ।

श्री **दलपत सिंह (खारची)** : बसें डीजल से चलती हैं या पेट्रोल से ?

श्री **मोहन लाल छंगाणी** : मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं । जो भी आइल आता है चाहे वह पेट्रोल हो या डीजल हो वह वहां से ही आता है ।

श्री **अध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर) एक समय में एक माननीय सदस्य ।

श्री **लक्ष्मण सिंह** : क्या मंत्री महोदय, यह अनुभव नहीं करते हैं कि स्वतंत्र प्रतियोगिता यदि जनता के हित में हो तो उसको अपनाना चाहिए, या केवल मात्र भावुकता से ही स्टेट मानोपोली के प्रिन्सिपल्स पर चलना चाहिए ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि राष्ट्रीयकरण पूरा का पूरा होना चाहिए और इस बारे में लास्ट बजट स्पीच में फाइनेन्स मिनिस्टर ने सदन को अवगत कराया था । हमारी राय है कि पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक सम्पूर्ण मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। मैं अधिक डिस्कशन में नहीं पड़ना चाहता हूं क्योंकि यह प्रश्न के रूप में पूछा गया है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जो प्राईवेट बसेज चलती हैं उनके बारे में आरोप लगाया था कि वह उन लोगों की हैं जो कि कांग्रेस की लाबी में बैठे हैं या जो आपको बहुत बड़ा चन्दा देते हैं ।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : राष्ट्रीयकरण रोड्स का कर दिया लेकिन रोड्स के उपर जो बसें चल रही हैं उनमें बहुत ज्यादा अव्यवस्था है । तो मेरा निवेदन है कि जिन जिन रोड्स के ऊपर बसें चला दी गयीं और किराया बढ़ा दिया गया लेकिन इतना होने के बावजूद भी कई रोड्स ऐसी हैं कि फागी की रोड है.....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह महिला है या पुरुष ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : फागी महिला है इसलिये विशेष ध्यान दिया जाये ।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीयकरण करने से कोई तुक नहीं है । मेरा निवेदन है कि जब तक वहां व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होती तब तक प्राईवेट बसें चला दी जायें तो हमारी जनता सुखी हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें ।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : मेरा एक प्रश्न यह भी है कि जो बसेज चल रही हैं और जितनी सवारियां बैठाते हैं उनके माल के लिए बहुत परेशानी है । खुद ही तो ऊपर रखना पड़ता है और खुद ही उतारना होता है । जहां भी स्टेशन आता है वहां बसेज नहीं उतारती हैं । उन का माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है । तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने के लिए तैयार है जैसी कि प्राइवेट बसों में है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मंत्री महोदय, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि रूट्स नेशनेलाइज हो गये हैं और उनके ऊपर अन-आथोराइज्ड टेम्पो, बसेज और ट्रक्स चल रहे हैं और उससे 5000 रुपये का नुकसान होता है इस पूरे जयपुर सर्किल के अन्दर, क्या यह सही है ? और उस पर किसी किस्म की पाबन्दी नहीं लगाई जा रही है और आपने इस काम के लिए जो पुलिस के अधिकारी एंगेज किये हैं वह भी निष्क्रिय हैं ।

श्री मोहन लाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण इसलिए करते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मिलें । अगर हमारी रोडवेज में जिस तरह की सुविधा देने में कमी है, या नहीं कर पाते, तो हम थोड़ा आंख को मूंद लेते हैं इसलिए कि जनता को तकलीफ नहीं हो । साथ ही हम हमारी पूरी की पूरी राष्ट्रीयकरण की नीति के आधार पर और रोडवेज को मजबूत

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

करने की दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा बसेज चलायेंगे । हमारी निश्चित राय है कि हमारी राष्ट्रीयकृत बसें इन मार्गों पर चलनी चाहिए। हम फेज्ड प्रोग्राम ले रहे हैं कन्सोलीडेशन का और आप थोड़े ही समय में देखेंगे कि कोई भी प्राईवेट आपरेटर नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री आचार्य ।

उपाध्यक्ष राजस्थान हाउसिंग फाईनेन्स सोसाइटी, उदयपुर के विरुद्ध शिकायतें

27. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गणेशी लाल, उपाध्यक्ष राजस्थान हाउसिंग फाईनेन्स सोसाइटी, उदयपुर के विरुद्ध धारा 74 राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार ने कार्यवाही चला रखी है ? यदि हां, तो अब तक उक्त कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त श्री गणेशीलाल के विरुद्ध राजस्थान गृह निर्माण सहकारी समिति से संबंधित गबन एवं फर्जी रिकार्ड बनाने के संबंध में कई फौजदारी मुकदमात मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, राजसमन्द (उदयपुर) में चल रहे हैं ? यदि हां, तो आरोपों का विस्तृत विवरण एवं प्रगति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त श्री गणेशी लाल को राजस्थान हाउसिंग फाईनेन्स सोसाइटी के उपाध्यक्ष पद से हटाने की कोई कार्यवाही राज्य सरकार के संमुख विचारार्थ है ? यदि हां, तो क्यों नहीं और हां, तो कब से ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) जी हां, श्री गणेशीलाल मंत्री, राजसमन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार के न्यायालय द्वारा दिनांक 5–10–74 को निर्णय दिया जा चुका है। इस निर्णय के विरुद्ध श्री गणेशीलाल द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के न्यायालय में अपील की गई, जिसके द्वारा ता-फैसला अपील स्थगन आदेश जारी किये गये हैं और अपील अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह मामला सबजुडिस है और निर्णय होने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य. : यह कितने समय से उपाध्यक्ष हैं और कहां रहने वाले हैं और इनकी नियुक्ति किस आधार पर है इस पद पर ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह राजसमन्द गृह निर्माण सहकारी समिति के 1971 से उपाध्यक्ष हैं ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : और किस किस समय इसकी अवधि बढ़ती रही ? और दूसरा यह है कि मैंने 2 प्रश्न किये हैं कि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है क्या ? आपने उसको इन्कार किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : राजसमन्द गृह निर्माण सहकारी समिति से सम्बन्धित कोई क्रिमिनल केस विचाराधीन नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आपकी जानकारी में है, उसे मत दबाओ। यह तो जनहित का प्रश्न है। कौन से हैं वह कह दीजिए। इस सदन में, कम से कम जो जानकारी आपके दिमाग में है उसको दबाना जनहित की दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मुन्सिफ कोर्ट, राजसमन्द में इनके खिलाफ मुकदमा नं. 4/71, 5/71, 1/73 और 2/73 विचाराधीन हैं। उपरोक्त मामलों की सुनवाई 22-3-75 और 24-3-75 को निश्चित की गयी है। यह केस प्राईवेट पार्टी के खिलाफ किये हैं जिनका ताल्लुक इस समिति से नहीं है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे···

श्री निरंजन नाथ आचार्य : नियुक्ति की तारीख क्या है और नियुक्ति कितनी अवधि के लिए थी और इसके बाद कब कब बढ़ी, यह आखरी सवाल बता दें कि कब बढ़ाई गई ?

श्री दीपंकर : एक प्रश्न मेरा भी है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय साथ ही जवाब दे दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह गणेशीलालजी शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और यहां के रहने वाले नहीं बल्कि हरियाणा के रहने वाले हैं और पूर्णतया राजस्थान में उदयपुर के हरिजनों में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा चुके हैं और राईवलरी की बदौलत केसेज लगाए गए हैं। यह भी बतावें कि कितना समय वे सोसाइटी में देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : इस समिति का गठन 28-1-71 को तीन साल के लिए हुआ था और फिर 28-1-74 को एक साल के लिए इसकी अवधि और बढ़ाई गई थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

संस्कृत कालेज, अलवर

28. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (वानसूर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर संस्कृत कालेज को जुलाई सन् 1974 में बन्द करने की आज्ञा के कारण कालेज के 11 अध्यापकों में से 9 के तबादले कर दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि जनता की संस्कृत कालेज जारी रखने की प्रार्थना पर मुख्य मंत्री ने शिक्षा मंत्री व संस्कृत विभाग के डाईरेक्टर की मीटिंग में दिनांक 26-7-74 को अलवर संस्कृत कालेज को जारी रखने का निर्णय लिया ?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्णय के करीब 3 महीने बाद 15 अक्टूबर, 1974 को चार अध्यापक संस्कृत कालेज में और नियुक्त किये गये ? यदि हां, तो इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(4) क्या अलवर संस्कृत कालेज को जारी रखने की आज्ञा दिसम्बर, 1974 में जारी की गई है ? कृपया आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारुक हसन): (1) जी हां ।

(2) जी हां । यह मौखिक निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया था कि कालेज में न्यूनतम छात्र संख्या 50 हो और स्टाफ कम करके यह कालेज चलाया जावे ।

(3) यह सही है। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक था ।

(4) अलवर संस्कृत कालेज को पुनः चालू करने की आज्ञा दिनांक 9 अक्टूबर, 74 को जारी कर दी गई थी । आज्ञा की प्रतिलिपि सदन को मेज पर रख दी गई है।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित एलीगेशन लगाता हूं कि अधिकारियों ने जान बूझकर साढ़े तीन महीने तक इस कालेज को दो अध्यापकों के अलावा कोई स्टाफ नहीं दिया । मुख्य मंत्रीजी के चेम्बर में शिक्षा मंत्रीजी और मैं भी मौजूद था, वहां पर बात हुई थी और कालेज खोलने का तय हुआ था लेकिन इसके बावजूद इस ख्याल से और स्टाफ नहीं भेजा गया कि लड़के कालेज छोड़कर चले जावें अपने आप और कालेज बन्द हो जावे । जान बूझकर यह किया गया । शिक्षा मंत्री स्वयं इस बात से परिचित हैं और उनको मालूम है कि जान बूझ कर यह किया गया है ।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस एलीगेशन को कतई मानने को तैयार नहीं हूं । इसका कारण आपसे निवेदन करना चाहता हूं । यह कालेज अनइकोनोमिक था, इसमें लड़के पूरे नहीं थे। हमारा 17 हजार रुपया प्रतिवर्ष खर्चा होता था और लड़कों की तादाद 48 थी । ऐसी स्थिति में कालेज बन्द किया गया । आखिरकार यह ब्यूरोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी है । जनता का प्रेशर आया, एम. एल. ए. साहब ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और हमने उनसे निवेदन किया कि मेहरबानी करके छात्रों की संख्या बढ़ाएं, छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद ही कालेज चल सकता है । उन्होंने छात्र संख्या बढ़ाई नहीं तीन महीने तक और जब 60 छात्र हो गए तो कालेज प्रारम्भ कर दिया गया जिसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रेशर नैतिक था या पोलिटिकल था जो एम.एल.ए. साहब ने डाला ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय के चेम्बर में फैसला हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि यह हमारा अपमान है और इसलिए जान बूझ कर स्टाफ नहीं भेजा गया। आपका कहना बिल्कुल गलत है।

श्री केदार नाथ : हाउस में चेम्बर की बातचीत नहीं रखनी चाहिए। एक बार पासिंग वे में आ गई बात तो ठीक है लेकिन पोइन्टेडली नहीं रखनी चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चेम्बर का मामला हाउस में नहीं आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद हमने जो संख्या छात्रों की मांगी थी वह संख्या तो जुलाई में ही पूरी कर दी गई थी फिर यह अक्टूबर तक जान बूझ कर स्टाफ नहीं भेजा गया है। यह सौ साल पुराना कालेज है अलवर में। जब मुख्य मंत्री जी अलवर गए तो वहां पर जनता का डेपुटेशन उनसे मिला और उसके बाद उनके चेम्बर में फैसला हुआ। दुबारा फिर जब वे अलवर गए तब उनसे डेपुटेशन मिला तब उसके बाद स्टाफ आया। हमने, जो हमारे पर शर्तें लगाई थी, उनको पूरा कर दिया था। यह कहना गलत है कि हमने छात्रों की संख्या पूरी नहीं की। मैं आपको जानकारी दूं कि 52 छात्र जुलाई में ही हो गए थे। मैं इस बात का सबूत देने के लिए तैयार हूं। जिन अधिकारियों ने जान बूझ कर ऐसा किया है उनकी आप जांच करिए और उनको सजा दीजिए। मैं डेफिनेट एलीगेशन लगाता हूं। आप जान बूझ कर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह : आपने यह फरमाया कि ब्यूरोक्रेट ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मुख्य मंत्री की आज्ञा को तो शिक्षा मंत्री भी नहीं टाल सकता है फिर ब्यूरोक्रेट की क्या हिम्मत हो सकती है कि वह टाले।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब जुलाई में ही छात्रों की संख्या पूरी हो गई तो फिर अध्यापक क्यों नहीं भेजे गए?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप इस बात की जांच कराइये यह ठीक बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य एक तथ्य को स्वीकार करेंगे, दुर्भाग्यवश जो सौ वर्ष पहले अलवर में संस्कृत शिक्षा के लिए रुचि थी वह पिछले वर्ष नहीं थी। और हकीकत यह है कि एक कालेज के अन्दर चालीस लड़के हैं। एक जगह तो स्थिति यह थी कि पोस्ट ग्रेज्यूएट कालेज चल रहा है और उसमें एक लड़की तीन साल से बराबर फेल हो रही है और हर साल एडमीशन ले रही है। चौथे साल भी उस लड़की ने एडमीशन लिया। यह जो स्थितियां थी उसको रेगुलराईज करने

(श्री हरिदेव जोशी)
के लिए हमने यह चाहा कि जो अनइकोनोमिकल स्कूल और कालेज हैं उनको बन्द कर दिया जावे। हम बन्द नहीं करना चाहते थे, आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि अगर कालेज चालू रखना है तो छात्रों की संख्या बढ़ानी चाहिये। आपका कहना है कि छात्रों की संख्या पूरी को गई तो कोई कारण नहीं था कि कालेज बन्द कर देते। शर्त यह थी कि अगर इकोनोमिकल नहीं बनती है, वायबल नहीं बनती है तो बन्द करना पड़ सकता है। किन्तु केवल अलवर के लोगों का सेंटीमेंट था कि हमारा सौ साल पुराना कालेज है वह रहना चाहिए और वह रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुख्य मंत्री जी के आदेश की तामील नहीं की गई यह मेरा एलीगेशन है कि यह जान बूझ कर किया गया है...

श्री अध्यक्ष : बार बार क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने से कोई उपयोग नहीं है। श्री मीठालाल।

आणविक विद्युत् केन्द्र से हरियाणा, पंजाब व दिल्ली को विद्युत् सप्लाई

29. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के आणविक विद्युत् केन्द्र से भाखड़ा के पावर हाउस को जोड़ कर हरियाणा, पंजाब व दिल्ली को विद्युत् सप्लाई प्रारम्भ हो गई है?

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्णय के फलस्वरूप राजस्थान में विद्युत् की कमी होने से कृषि व उद्योगों को होने वाली हानि का अन्दाजा लगाया गया था? यदि हां, तो उसका ब्योरा दें।

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के उक्त निर्णय पर आपत्ति प्रकट की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

(घ) क्या राजस्थान राज्य को होने वाली उक्त हानि की क्षति पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्य सुविधा राज्य को दिए जाने का आश्वासन दिया गया है? यदि हां, तो क्या?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (क) राजस्थान अणु शक्ति विद्युत् केन्द्र का समानान्तर जोड़ ता. 27 जनवरी सन् 1975 को कर दिया गया था और बिजली का एक्सचेंज शुरू हो गया है।

(ख) सिर्फ उक्त निर्णय से अभी तक कृषि उपयोग या अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग में कोई कटौती नहीं की गई है। अतः हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार से यह कहा गया है कि जहां तक समानान्तर जोड़ करने का आदेश है राजस्थान उसका पालन करेगा, परन्तु राजस्थान अभी इस स्थिति में नहीं है कि पड़ौसी राज्यों को, जिनमें बिजली की कमी है, राजस्थान में विद्युत् की कटौती करके राहत दे सके।

(घ) अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न स्पष्ट था कि क्या आपने लेखा जोखा किया है कि इस बिजली को देने से राज्य में कितनी बिजली की कटौती करनी पड़ेगी और कृषि और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? पहले इसका जवाब दे दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : जब तक कितनी बिजली देने का सवाल है यह तय नहीं हो जाता तब तक क्या नुकसान होगा, क्या लेखा जोखा किया जाय, इसका सवाल पैदा नहीं होता है। कोई सवाल ही नहीं है कि कितनी बिजली देंगे या दे रहे हैं....

श्री मीठालाल : क्या नहीं देनी पड़ेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न ही नहीं है सामने।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : एक स्थिति स्पष्ट कर दूं। यह डेलीकेट मामला है जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच चल रहा है। पैरेलेलिंग कर दिया गया है। दो इश्युज हैं। एक तो यह कि पैरेलेलिंग करना, तो यह पैरेलेलिंग हो गया है जिससे राजस्थान को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर मुझ से इन्फार्मल बात करना चाहें, जो भी माननीय सदस्य करना चाहें, मैं उनको सारी डिटेल्ड जानकारी करा दूंगा। अब रह जाता है सवाल कि एटामिक पावर प्रोजेक्ट से हम क्या बाध्य हैं कि उससे हम भारत सरकार को बिजली दें। प्राईम मिनिस्टर जब वहां बांसवाड़ा में आई थीं तो प्रेस कांफ्रेंस में उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ पत्रकारों ने पूछा था तब उन्होंने बहुत साफ कहा था कि राजस्थान को नुकसान पहुंचा करके हम दूसरी किसी स्टेट को नहीं देना चाहते हैं। तो आज मानसिक स्थिति यह है कि पंजाब में, हरियाणा में, पावर शोर्टेज है और फसल को नुकसान हो रहा है बिजली के बिना। तो जितनी भी बिजली दी जा सकती है वह दी जानी चाहिए। यह एक प्रश्न है। किन्तु जो एक्शन लिया गया है उस एक्शन से फ्लो कोई ज्यादा उभरा हो, यह स्थिति है या नहीं है, क्यों है कैसे है यह डिटेल की चीजें हैं। जैसा मैंने निवेदन किया, वैसे इस चीज को जब मैं रिप्लाई दूंगा बता दूंगा वरना लेसर दी डिस्कस परहेप्स बेटर इट वुड बी।

श्री मीठालाल : जो समझौता हुआ है..

श्री हरिदेव जोशी : कोई समझौता नहीं हुआ है माननीय सदस्य। हरियाणा में, पंजाब में, यू. पी. में पावर की कमी है और वहां पर कटौती हुई है और हमारे यहां पर कोई कटौती नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने हमको बारबार कहा है, मीटिंगें बुलाई हैं, माननीय विद्युत् मंत्रीजी के लेवल पर मीटिंगें हुई हैं और दूसरे स्तर पर यह कहा जाता है कि तुम देखो और उसका एक तरीका यह कहा गया कि राजस्थान का सिस्टम और भाखरा का सिस्टम पैरेलेलाईजिंग हो जावे उसमें यह समझा जाता था कि राजस्थान का पावर फ्लो होकर उधर ज्यादा चला जाएगा। वह पावर ज्यादा फ्लो नहीं हुआ और न ही ज्यादा लिया जा सका है टिल टुडे।

और मैं ऐसा समझता हूं कि उससे कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने निवेदन किया कि Less we discuss the better.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि....

Page No 20

(20)

श्री अध्यक्ष: Just a minute. माननीय मुख्य मंत्रीजी जब यह कहते हैं कि इस विषय को यहां के बजाय चेम्बर में डिसकस कर लें तो मानना चाहिए, क्योंकि कई मामले ऐसे हो सकते हैं कि उन पर चेम्बर में डिसकस कर लें तो अच्छा हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह कमी की वजह से लिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : इस प्रकार से पेरेलेलाइजिंग तो रहेगा। क्वेश्चन यह है कि हम पावर फ्लो ज्यादा नहीं कर रहे हैं उस तरफ तो मैंने निवेदन किया है कि राजस्थान के पावर को उधर फ्लो नहीं कर रहे हैं। अब मांग कर लेते हैं कि आप अपने हिस्से का पावर भाखरा से काटकर दे दो तो यह नेगोसियेशन्स का विषय है जो एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के बीच में और केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में है। यह इतना नाजुक विषय है कि इसके बारे में मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : हमारी आवश्यकता की बिजली काटकर उनको देने की कन्डीशन है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : यह गलत है। इस प्रकार से उन्होंने नहीं कहा है।

श्री केदारनाथ : गवर्नमेंट कहीं ऐसा सिस्टम न करे इसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या एश्योरेन्स दिया है ?

श्री पी. क. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कह दूं कि क्या यह बात सही है कि जबसे पेरेलेलाइजिंग किया है तब से हमारे यहां बिजली में डिपिंग शुरू हुआ है ? दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि इस पेरेलेलाइजिंग से हमारे फ्यूचर एक्स्पान्शन जो वेल्स का है और इन्डस्ट्रीज का है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिपिंग का सवाल है कि पेरेलेलाइजिंग आपरेशन की वजह से डिपिंग घट गया है या बढ़ा है तो यह तो सिस्टम का डिफेक्ट है उसकी वजह से डिपिंग होता है लेकिन उसकी (पेरेलेलाइजिंग) की वजह से नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : जबसे पेरेलेलाइजिंग हुआ है तबसे होना शुरू हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : जब से पेरेलेलाइजिंग की वजह से नहीं हुआ है। दिस इज नाट दी रीजन। दूसरे रीजन्स हो सकते हैं।

दूसरी बात आपने कही है कि पेरेलेलाइजिंग होने के बाद हमारे उत्पादन के एक्स्पान्शन पर असर पड़ेगा तो पेरेलेलाइजिंग से उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि एक्स्पान्शन हमारी क्षमता के अनुसार जितना करना चाहिए उतना हम करते रहेंगे।

एक प्रश्न यह आपने पूछा है कि क्या हमारा सिस्टम आज इतना सक्षम है कि इस पेरेलेलाइजिंग आपरेशन को बरदाश्त कर पायेगा, तो इस बात के लिए प्रारम्भ में चर्चा हुई थी तो हमारे टेक्निकल आफिसर्स का कहना था कि हमारा सिस्टम इसके अनुकुल

(श्री हीरालाल देवपुरा)

नहीं हो पाया है, लेकिन बाद में भारत सरकार के सीनियर टेक्निकल श्राफिसर्स श्रौर हमारे श्राफिसर्स सबने मिलकर कहा कि जब से पेरेलेलाइजिंग श्रापरेशन किया है और जब से इसको श्रापरेट कर रहे हैं हमारे सिस्टम पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है जिससे यह कह सकें कि इसका श्रसर पड़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी : एक चीज मैं श्रौर सप्लीमेंट कर दूं। फुलेरा से श्राने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था तो मैं कहना चाहता हूं कि पेरेललिंग की पहले पहल शुरूआत की थी बहुत ज्यादा नतीजा इस तरह का नहीं लिया गया था कि इस तरह के ह्यूज परेललिंग का यह भी परिणाम हो सकता है कि शायद you may get more power.

श्री श्रध्यक्ष : श्री शंकरसिंह।

सलाहकार समितियों की बैठक

30. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हर विभाग के लिए विधान सभा के सदस्यों की सलाहकार समितियां बनाई हुई हैं? यदि हां, तो जब से यह समितियां बनाई गईं तब से कब कब कौन कौन सी समितियों की बैठकें श्राज तक बुलाई गईं?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : जी हां, जिन जिन समितियों की बैठकें जिन जिन तारीखों में बुलाई गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री श्रध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) एक माननीय सदस्य एक वक्त।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : श्रध्यक्ष महोदय, यह तो सही है श्रौर यह एडमिट किया जाना चाहिए कि सलाहकार समितियों की बैठकें जिस तरह से बुलाई जानी चाहिए थीं, नहीं बुलाई गई हैं। मैं स्वयं जिस कमेटी में हूं उस कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। मैं स्वयं इस बात को मानूंगा श्रौर मंत्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि ड्यूरिंग श्रसेम्बली सेशन सारी कमेटियों को बुला लिया जाय। वैसे कल ही मैंने कमेटियों के रिकन्स्टीट्यूशन के कागज, पर दस्तखत किये हैं। बहुत ही जल्दी वह निकल जायेंगे या निकल गये होंगे।

(व्यवधान, श्रश्रव्य)

श्री शंकरलाल (पाली) : पिछली कमेटियां नहीं बुलाई गई हैं इसका क्या कारण है?

श्री हरिदेव जोशी : वह लाजमी इसलिए भी हो गया है कि स्टेट मिनिस्टर्स को कई डिपार्टमेंट्स का इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज दे दिया गया है। पहले तो वह जुड़े हुए थे श्रौर श्रब इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज दे दिया गया है, तो उनके विभाग की कोई कमेटी नहीं रह गई है, श्रौर हरेक के पास में जिसके पास में इन्डिपेन्डेट चार्ज हो गया तो वह कमेटी रह नहीं सकती। इसलिए रिकन्स्टीट्यूट करना लाजमी हो गया।

श्री मीठालाल : कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई।

श्री हरिदेव जोशी : इसी महीने के अन्दर अन्दर सब के नोटिसेज निकल जायेंगे।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं·····

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता हूं मुझे पहले पूछने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी आदेश दिये हैं कमेटियों के लिए तो मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि अगर आप सलाहकार समितियां जो बनायेंगे तो क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं कि उनके सदस्यों की सलाह मानी जाय। अगर सलाह मानते हैं तो समय समय पर वे बुलाई जायं। पहले सत्र और इस सत्र के बीच में कब मीटिंग बुलाई गई मुझे उसकी सूचना ही प्राप्त नहीं हुई।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार में जिस तरह से पार्लियामेंट की सलाहकार समितियां हैं उसी तरह से विधान सभा के सदस्यों की भी सलाहकार समितियां बनाई गई हैं लेकिन उनको सेशन के दौरान ही बुलाने का तय किया गया है। यदि यह सही है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। अगर सलाहकार समितियों की उपयोगिता और आवश्यकता समझी जाती है और उनका सही मायने में उपयोग किया जाना है तो वर्ष भर तक सलाहकार समितियों की बैठकें जैसी कि पार्लियामेंट में हुआ करती हैं उस तरह से होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, सलाहकार समितियों के सम्बन्ध में गत सत्र में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी प्रकार के प्रभावशाली शब्दों में यह कहा था·····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, क्वेश्चन।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या यह सही है कि उन्होंने यह भी कहा था कि अभी तक हुआ सो तो हुआ आयन्दा सलाहकार समितियों की बैठकें हमेशा बुलाई जायंगी और इसके लिए निर्देश जारी कर रहे हैं? क्या यह सही है कि गत सत्र समाप्त होने के पश्चात् आज तक एक भी बैठक नहीं बुलाई गई, और माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने यह कहा कि इसका कोई प्रावधान नहीं है कि संसद के सत्र के अलावा कभी बैठक बुलाई जाय? तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में सलाहकार समितियों को डिजाल्व करना ही उचित होगा, अन्यथा कांस्टीट्यूट, रिकान्स्टीट्यूट और ट्रिकान्स्टीट्यूट करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री शंकरलाल (पाली) : क्या इन सलाहकार समितियों को पार्लियामेंट की सलाहकार समितियों को जो इम्पार्टेन्स दी गई है उसी के अनुसार इम्पार्टेन्स दी जायगी?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने राय दी कि इन समितियों के लिए साल में कितनी बैठकें होंगी उसका टाइम फिक्स करना चाहिए। बिना टाइम फिक्स किये उनका कोई उपयोग नहीं है। आपने टाइम तय नहीं किया है कि साल में, 4 या 6 बार उनकी बैठकें होंगी। फिर उनकी सलाह का उपयोग भी है क्या? यह सलाहकार समितियों का उपयोग कुछ नहीं है। उनके सदस्यों की राय का उपयोग भी लिया जायगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष : (किसी माननीय सदस्य के खड़े होने पर) जब दूसरे आदमी बोल रहे हों तो खड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की तरह से सलाहकार समितियां चलाई जायं तो उपयोग है वरना कोई उपयोग नहीं है यदि अकेले सेशन में इनको चलाई जायं तो।

दूसरा इनके कान्स्टीट्यूशन के सम्बन्ध में वेरियस ग्रुप लीडर्स को कन्सल्ट करके उस ग्रुप से किन किन को समितियों में रखना है उनको रखा जाय। इसमें सदस्यों की सहमति का भी मेरे ख्याल से रखा जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयोगी होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि अब तक सलाहकार समितियों की बैठकें नहीं बुलाई गई तो उसका क्या कारण है?

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लोकसभा में कमेटियां है उस तरह की यहां पर कमेटियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया है वह विधान सभा पर लागू नहीं होता है। मैं यह समझता हूं कि यह प्रेक्टिकल भी नहीं है कि इतनी सलाहकार समितियां हों। आखिरकार केबिनेट है यहां पर और एक स्टेट केबिनेट है, स्टेट गवर्नमेंट है। यह सलाहकार समितियां बिल्कुल वह रह जाती हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : इतनी सलाहकार समितियां नहीं हैं। एक एक मंत्रालय के साथ एक सलाहकार समिति है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है। आप अगर उससे सहमत न हों अपनी असहमति प्रकट करें, उसका विरोध करें। जनतन्त्र में तो सदन के हर सदस्य को....

एक माननीय सदस्य : यह तो स्वतन्त्र पार्टी की विचारधारा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह प्रयोग नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

श्री मीठालाल : यह दिखावा क्यों कर रहे हैं। एक तरफ तो उनकी मीटिंगें बुलाते नहीं हैं और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं या तो कमेटियों को हटा दें....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : जहां तक शिक्षा व विधि से सम्बन्धित सलाहकार समितियों का सवाल है, इसकी दो बैठकें अब तक बुलाई जा सकी हैं। ये और बैठकें 18-3-74 और 20-8-74 को बुलाई गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मैं इन पर ध्यान नहीं देता। अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो प्रेक्टिस पार्लियामेंट में प्रचलित है वह यहां पर भी होनी चाहिए। इस बारे में मेरा निवेदन है कि स्टेट्स में इस प्रकार की प्रेक्टिस नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में हमने दूसरी स्टेट्स से भी जानकारी हासिल की है। इसके जो भी कन्सल्टेटिव कमेटीज है वह सत्र के वक्त ही बुलाई जा सकती है। यह इसलिए भी है कि इसके लिए अलग से टी. ए. और डी. ए. का प्रावधान करना ठीक नहीं रहेगा। सत्र के अलावा समय में बुलाने से और कोई लाभ इससे होने वाला नहीं है। इसलिए ये कमेटियां जिस वक्त सत्र चलेगा उसी वक्त बुलाई जा सकती हैं। हर एक मंत्री से निवेदन किया जायेगा कि वे इसी समय मीटिंग बुला लें। इस विषय में हमने पहले भी राय प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और मुख्य मंत्री महोदय और शिक्षा-मंत्री के पास ही सदस्य लोग, ज्यादा मेम्बर आते हैं, दूसरों के पास मेम्बर नहीं रहेंगे इसलिए जरूरी है कि सदस्यों को हर एक मन्त्रालय में लगा दें जिससे कि आप लोग सम्बन्धित विषयों में ज्यादा से ज्यादा रूचि ले सकेंगे और उसके बावजूद भी कोई सदस्य यह महसूस करे कि वह इस मन्त्रालय की कमेटी में नहीं रहना चाहता है तो मैं इसको डिजोल्व कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि ...

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटपूतली तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

1. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कोटपूतली तहसील में जनवरी 1972 से अब तक किन किन ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त ग्रामों के विद्युतिकरण में कितना खर्चा किया गया है ?

उत्तर

(1) कोटपूतली तहसील में जनवरी 1972 से अब तक आठ गांवों का विद्युतिकरण हुआ है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन गांवों के विद्युतिकरण की अनुमानित लागत संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया **परिशिष्ट 4** देखिए)

खेतड़ी से कोटपूतली विद्युत लाइन

श्री सुरेशचन्द शर्मा (कोटपूतली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खेतड़ी से कोटपूतली को 33 के.वी. की विद्युत् लाइन

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

से जोड़ा गया है ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा किया गया है ?

(2) क्या उपरोक्त लाइन का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा किया जावेगा ?

उत्तर

(1) खेतड़ी से कोटपूतली तक एक 33 के.वी. लाईन खींची जा रही है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

(2) अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इस लाइन के मई-जून 1975 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

जोधपुर नगर की हरिजन एवं अनुसूचित जाति तथा जन-जाति की बस्तियों का विद्युतिकरण

3. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1973–74 में जोधपुर नगर की कौन कौन सी हरिजन एवं अनुसूचित जाति और जन-जाति की वस्तियां राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत की गई थीं ?

(2) उपरोक्त वस्तियों में से कितनी का कार्य किस सीमा तक उपरोक्त वर्ष में पूर्ण हुआ, उसकी पूर्ण सूची मय व्यय की गई धनराशि के सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त स्वीकृत परन्तु अपूर्ण वस्तियों का कार्य कब तक अवश्य पूर्ण कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1973–74 में कुल 35 हरिजन एवं अनुसूचित व जन जाति की बस्तियां विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत की गई थीं, जिनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त में से 23 व्यक्तियों का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। इन बस्तियों के विद्युतिकरण पर अब तक कुल 86,42,000 रुपया खर्च हुआ है।

(3) शेष 12 अपूर्ण बस्तियों का कार्य माह अप्रेल/मई, 1975 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

गंगनहर क्षेत्र में राजवाहों व नहरों पर लगे हुए शीशम व कीकर के पेड़

4. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगनहर क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर में राजवाहों व नहरों के दोनों और लगे हुए शीशम के व कीकर के पेड़ ग्राम तौर पर आधे के लगभग पिछले दो तीन वर्षों में काटे जा चुके हैं ? क्या सरकार मौके पर ऐसे पेड़ों की गिनती करवायेगी जो काट कर नष्ट किए हुए हैं और जांच करायेगी कि वह किस किस व्यक्ति द्वारा नष्ट किये गये हैं ? इससे सिंचाई विभाग को कितने लाख की हानि हुई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(26)

(सिचाई मंत्री)

उत्तर

गंगनहर क्षेत्र जिला श्री गंगानगर में नहरों के दोनों ओर के पेड़ सरकारी नियमानुसार विधिवत सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे गये व कटवाये गए हैं। अतः इन पेड़ों को किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझ कर नष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता, ना ही सरकार को किसी प्रकार की हानि हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कल्याणपुरा (टोंक) में चारागाह सम्बन्धी झगड़ा

5. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि ता. 17-10-74 को ग्राम कल्याणपुरा तहसील व टोडारायसिंह (जिला टोंक) में कुछ लोगों ने वहां के चारागाह को फाडा था ? इस पर दोनों ओर के लोगों में झगड़ा हो गया जिसकी रिपोर्ट थाना टोडारायसिंह में की गई ? यदि हां, तो दोनों ओर से किन किन लोगों पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया सूची देने का कष्ट करें ?

उत्तर

जी हां। दिनांक 17-10-74 को ग्राम कल्याणपुरा के कुछ रेगरों पर चारागाह में उसी ग्राम के कुछ खटीक व कुरमी जाती के लोगों द्वारा हमला किया गया था जिसके फलस्वरूप 7 व्यक्तियों के चोटें पहुंची। इस सम्बन्ध में मुकदमा न. 112/74 दिनांक 17-10-74 को पुलिस थाना टोडारायसिंह पर दर्ज किया जाकर बाद तफतीश 21 मुलजिमानों के खिलाफ धारा 147/148/149/324/325/323 आई. पी. सी. में चालान पेश अदालत किया जा चुका है। दिनांक 19-10-74 को कुछ खटीक जाति के लोगों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने पर मुकदमा नम्बर 114/74 पुलिस थाना टोडारायसिंह पर दर्ज किया जाकर 15 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 147/148/149/325/452/423 आई पी.सी. में चालान अदालत पेश किया गया। दोनों मुकदमात अभी गैर तजबीज अदालत है। उपरोक्त दोनों मुकदमात चालान किये गये व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल कारपोरेशन के जोधपुर में लगाये जा रहे उद्योग

6. **श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुर, जोधपुर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल कारपोरेशन को किन किन उद्योगों के आशय-पत्र भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं, और वे कहां कहां लगाये जा रहे हैं ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त उद्योगों में से जोधपुर में कौन कौन से उद्योग लगाये जा रहे हैं ? यदि एक भी नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) किस स्थान पर कोनसा उद्योग स्थापित किया जाय निगम, विशेषज्ञों की राय से निर्णय करता है। वह निर्णय आर्थिक एवं तकनीकी बातों पर निर्भर रहता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

राजस्थान विश्व-विद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर में आशुलिपिक के पद

7. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार सन् 1965 में राजस्थान विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर में प्रि-युनिवर्सिटी परीक्षा आशुलिपिक व टंकण से उत्तीर्ण तथा सन् 1967 में विभिन्न विभागों में निरन्तर आशुलिपिक के पद पर कार्यरत आशुलिपिकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की आशुलिपिक परीक्षा से मुक्त कर उपलब्ध पदों पर स्थायी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

ऐसे आशुलिपिकों को जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय जयपुर से आशुलिपि एवं टंकण में प्री-यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 में वर्णित शर्तें पूरी करने पर स्थाई नियुक्ति की जा सकेगी।

तहसील रार्यसिहनगर में को-आपरेटिव सोसायटी, बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति तथा कृषि उपज मंडी का कर्जा

8. श्री बेगाराम चौहान (रार्यसिह नगर)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील रार्यसिहनगर में कोआपरेटिव सोसायटी का कर्जा किस किस व्यक्ति के नाम है व कितना कितना है ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता तथा कितनी रकम कब से है व किस साल से है, दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) तहसील रार्यसिहनगर के बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति में कर्जा किस किस व्यक्ति के नाम कितना कितना है ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता तथा कितनी रकम कब से ली हुई है दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) तहसील रार्यसिहनगर की कृषि उपज मंडी का कर्जा किस किस व्यक्ति के नाम कितना कितना है व यह किस साल से लिया हुआ है ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता और कितनी रकम कब से है, दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखे।

(स्थगित किया गया)

तहसील सांचोर में अकाल-राहत कार्य

9. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

Page No 28

(28)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर एवं विशेषतया तहसील सांचोर में इस वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति है? अगर हां, तो तहसील सांचोर में अब तक कितने अकाल-राहत कार्य कहां कहां पर खोले गये हैं ? इन अकाल-राहत कार्यों पर अब तक कितने मजदूर किस किस कार्य पर लगाये गये हैं ?

(2) उक्त अकाल-राहत कार्यों में मजदूर कार्य पर किस आधार पर लगाये गये हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में मजदूरों की मांग के अनुसार अभी तक अकाल-राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं खोले गये हैं एवं पूरे मजदूरों को आवश्यकतानुसार कार्य पर नहीं लगाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो किस प्रकार मांग पूरी की गई है ?

(4) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में मजदूरों को राहत कार्यों पर लगाने की हद बांध दी गई है ? अगर हां, तो किस आधार पर ?

(5) क्या अब इस हद को तोड़ कर मजदूरों की मांग के अनुसार पूरे मजदूरों को राहत कार्यों पर लगा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) अकाल-राहत कार्यों पर लगे मजदूरों के खाने के लिये अनाज, पीने के लिये पानी एवं बीमारी के उपचार के लिए अब तक क्या क्या इन्तजाम कहां पर किये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? अगर नहीं, तो क्या क्या व्यवस्थायें की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब निकट भविष्य में उपरोक्त विषय में क्या व्यवस्था सरकार द्वारा किये जाने की आशा है ?

(7) क्या यह सत्य है कि अकाल की स्थिति की घोषणा देरी से किये जाने के कारण काश्तकारों से पूरी राजस्व एवं अन्य प्रकार की वसूलियां कर ली गई ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या क्या कारण थे ? अब किस किस प्रकार की वसूलियां कब स्थगित की गई हैं ?

(8) क्या यह सत्य है कि अकाल पीड़ित अपाहिजों को जिला जालोर में अब तक सहायता देनी शुरू नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो अब तक अपाहिजों को किस माह से कितनी-कितनी सहायता प्रति व्यक्ति किस दर से दी गई है ? बाकी रही सहायता कब तक दे दी जावेगी ?

(9) जिला जालोर में अकालग्रसित क्षेत्रों में पीने के पानी की कहां कहां पर क्या क्या व्यवस्थायें की गई हैं ? पीने के पानी के लिये जिला जालोर को अब तक क्या आवंटित की गई है ?

उत्तर

(1) जिला जालोर इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किया गया है । तहसील

(अकाल राहत मंत्री)

सांचोर में भी अभावस्थिति की घोषणा की गई है। जिले के कुल 611 ग्रामों में से 596 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जहां तक तहसील सांचोर का संबंध है कुल 162 ग्रामों में से 16 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

तहसील सांचोर में जो कार्य इस वर्ष राहत व्यवस्था के तहत खोले गये हैं उनकी सूची संलग्न है। इन पर जो श्रमिक कार्यरत हैं उनकी अनुमानित संख्या भी सूची में अंकित है।

(2) राहत कार्य चालू हो जाने पर जो श्रमिक वहां काम के लिए पहुंचते हैं उन्हें उस काम पर लगाया जाता है। इनके नियमन के बाबत परिचय पत्र प्रणाली को भी लागू किया गया है, जिसके तहत एक परिवार से जितने श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है उसकी अधिकतम सीमा तय की गई है।

(3) राज्य सरकार ने रोजगार उपलब्ध करने की आवश्यकता का जो अन्दाज लगाया है उसको देखते हुए तथा उपलब्ध साधनों को देखते हुए राहत कार्य चालू किये हैं।

(4) तहसील सांचोर के लिए कोई हदबन्दी अलग से नहीं की गई है। जिलेवार श्रमिकों की अधिकतम सीमा का निर्धारण समय समय पर किया जाता रहा है। तदनुसार जालोर जिले के लिए भी इस प्रकार सीमा का निर्धारण किया है। श्रमिकों की अधिकतम सीमा का यह निर्धारण अभावस्थिति की व्यापकता, उसकी गहनता, अन्य प्रकार के रोजगारों की उपलब्धि एवं इसी प्रकार की अन्य बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(5) जिलेवार जो अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है वह कोई ऐसी सीमा नहीं है जिससे किसी भी दशा में श्रमिकों की संख्या को व्यवहार में बढ़ने अथवा घटने न दिया जावे। व्यवहार में जितने श्रमिक कार्यरत हों वे उस सीमा से कुछ कमी बेशी भी हो सकते हैं। सीमा का निर्धारण इस दृष्टि से किया जाता है कि राज्य सरकार सहायता व्यवस्था पर होने वाले खर्चे पर समुचित नियंत्रण रख सके।

(6) राहत कार्यों पर जो श्रमिक लगे हुए हैं उनके लिए अनाज की व्यवस्था अलग से नहीं की जाती। जो राशन जन साधारण को उचित मूल्य की दुकानों से मिलता है वही श्रमिकों को भी उपलब्ध किया जाता है। जहां तक मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का संबंध है, यह व्यवस्था उस अभिकरण द्वारा की जाती है जो उस कार्य का सम्पादन कर रहा है। बिमारी के उपचार के लिए राज्य का जन स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था करता है। इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि सरकार द्वारा मजदूरों के लिए इन सब बातों की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

(7) यह सही नहीं है कि अभावस्थिति की घोषणा देरी से की गई। विभिन्न जिलों से अभावस्थिति का अन्तिम प्रतिवेदन नवम्बर मास के अन्त तक अपेक्षित होता है। जिला

(अकाल राहत मंत्री)

जालोर से यह प्रतिवेदन राज्य सरकार को 4-12-74 को प्राप्त हो गया था । इस पर विचार किया जाकर 21-12-74 को अभावस्थिति की घोषणा कर दी गई थी । उस दिन यह आदेश भी जारी कर दिये गये थे कि अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के भू-राजस्व की वसूली 30 सितम्बर, 1975 तक स्थगित रखी जायेगी । सहायता विभाग ने भू-राजस्व की वसूली के स्थगन के बाबत ही आदेश जारी किये हैं ।

(8) अकाल से पीड़ित क्षेत्रों के निराश्रित एवं असमर्थ ऐसे लोगों को जो स्वयं कार्य पर जाकर रोजी कमाने में असमर्थ हैं असहाय सहायता 1) रु. प्रतिदिन की दर से दी जाती है । सहायता की इस व्यवस्था को अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1975 से लागू किया गया है । जालोर जिले में भी उसी तारीख से लागू कर दिया गया है। जिलाधीश, जालोर को जनवरी मास के लिए 26,000) रु. एवं फरवरी मास के लिए 26,000) रु. आवंटित किया गया था ।

(9) जिला जालोर में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 33000) रु. की राशि आवंटित की जा चुकी है ।

जिला जालोर में सहायता विभाग के 5 टैंकर हैं । वर्तमान में 3 ग्रामों को जल का परिवहन करके पहुंचाया जा रहा है ।

कूडा नलकूप को भी सहायता व्यवस्था से 4 घंटे चालू करके पेयजल उपलब्ध कराने के आदेश दे दिये गये हैं । गांव कांम्बा, खार, मांडला, चूडा एवं धूंबा के गांवई तालावों को जवाई नहर से पानी छोड़कर भर दिया गया है जिससे वहां से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध हो जावे ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

कोटपूतली डिग्री कालेज के लिए जमीन

10. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य सरकार डिग्री कालेजों के लिये कितनी जमीन होना पर्याप्त मानती है ?

(2) कोटपूतली डिग्री कालेज के पास इस समय कितनी जमीन है ? क्या यह जमीन पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार या विश्व विद्यालय द्वारा इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है किन्तु विश्वविद्यालय ने एक स्नातक स्तर के महाविद्यालय जिसमें तीनों संकाय हों तथा लगभग 1000 से 1500 छात्र हों, को खोलने के लिए जिन कमरों व मैदानों आदि के माप दंड निर्धारित किए हैं उनके अनुसार लगभग 6 से 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता रहती है ।

(2) कोटपूतली कालेज के पास इस समय लगभग तीस एकड़ भूमि है जो कि मौजूदा समय में पर्याप्त है ।

डाइरेक्टोरेट ग्राफ टेक्नीकल एज्यूकेशन के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों का स्थानान्तरण

11. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डाइरेक्टोरेट ग्राफ टेक्नीकल एज्यूकेशन के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों के स्थानान्तरण की क्या कोई नीति है ? यदि हां, तो नीति–पत्र को सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

(2) जोधपुर नगर में कार्य करने वाले उपरोक्त अध्यापकों की सूची मय नाम, कार्य करने का स्थान और जब से जोधपुर में यह कार्य कर रहे हैं उस दिनांक के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पोलिटेक्निक संस्थान चूंकि थोड़े ही हैं और उनमें स्टाफ भी थोड़ा ही है अतः पोलिटेक्निक संस्थानों में कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए किसी विशेष स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री केदारनाथ, निरंजननाथ आचार्य, केशरीमल व मालाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के अनेक स्थानों पर परीक्षाओं को स्थगित करने तथा अजमेर में कुछ विद्यार्थियों की भूख हड़ताल आदि के विषय में,

(2) सर्वश्री रामकिशन, योगेन्द्रनाथ हांडा व अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की कस्बा नोखा मंडी में गत 3 फरवरी को नगर पालिका द्वारा हरिजन परिवारों के कच्चे मकानों को नष्ट करने के विषय में,

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से यूनिवर्सिटी तथा कालेज के प्राध्यापकों को यू. जी. सी. का ग्रेड न दिये जाने के विषय में,

इन विषयों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर जिले में प्राथमिक योजना के अन्तर्गत किसानों को गत 2 वर्षों से बिजली न मिलने के विषय में,

(5) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से बयाना जिला भरतपुर में कुछ भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे के विषय में,

Page No 32

(32)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस के समय इन प्रश्नों को उठा सकते हैं।

(6) सर्व श्री मूलचन्द सामरिया और मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा में जिला मुख्यालय स्थापित न किये जाने के विषय में।

यह प्रश्न हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस पर भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस के समय उठा सकते हैं।

(7) श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्वविद्यालय के जे. सी. बोस. होस्टल में गत 18 जनवरी को पुलिस द्वारा छात्रों पर किये गये कथित आक्रमण के विषय में।

इस प्रश्न पर राज्य सरकार की ओर से आज एक वक्तव्य दिया जा रहा है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था, प्रेस के बारे में।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए आप चेम्बर में आ जाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दिनों हरिजनों को भूमि दिये जाने के बारे में घोषणाएं कई जगह सुनने में आ रही हैं। यह घटना उन सारी घोषणाओं को कलंकित करने के लिए काफी है। 3 फरवरी को 150 हरिजन परिवारों की झोपड़ियों को जिस निर्दयता और क्रूरता से जलाया गया उसका चित्र मेरे सामने मौजूद है। अगर अध्यक्ष महोदय स्वयं इसको देखें और सदन के माननीय सदस्य देखें तो यह बहुत ही रोमांचकारी चित्र है। इन झोंपड़ियों में हरिजन लोग दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह सालों से रह रहे थे। रेतीले टीबों के अन्दर, फूस के छप्परों में बैठे हुए थे, कोई कठिनाई नहीं थी, कोई कन्जस्टेड प्लेस नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। खाली रेगिस्तान है रेतीला रेगिस्तान और उसके साथ ही ये जलते हुए चित्र। यही बात नहीं कि इन झोपड़ियों को बुलडोजरों से बेरहमी से गिरा दिया गया बल्कि पुलिस की सहायता से इन 50-60 कच्ची और फूस की झोपड़ियों में आग लगा दी गई और सारे के सारे कपड़े, सामान, जो धान हरिजनों ने इकट्ठा किया था, उनके पलंग आदि तोड़ कर उस सारे के अन्दर आग लगा दी गई है। ऐसी रोमांचकारी घटना सारे राजस्थान में नहीं हुई है। मुख्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, वह इसकी जांच कराएं। वहां की नगरपालिका के कर्मचारी और पुलिस ने यह किया है। उसके बाद थाने के अन्दर उनको बुलाकर पीटा गया और उनसे जबरदस्ती यह लिखवाया गया है कि उनके झोंपड़ों के आग नहीं लगाई गई है, अपनी मर्जी से वह छोड़ गये हैं। मेरे पास 70 आदमियों के जो हरिजनों के मुखिया हैं, उनके दस्तखत हैं। अगर पुलिस प्रशासन को यह खुली छूट दे देते हैं तो मैं समझता हूं राजस्थान के अन्दर

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

हरिजनों की दुर्गति हो रही है, और भी होगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जोधपुर में यह घोषणा की थी कि हरिजनों को नगरीय आवास खण्ड दिये जायेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उस घोषणा पर तो कुछ नहीं हुआ है, अध्यक्ष महोदय, यह घटना उभर कर सामने आ रही है। नोखा के अन्दर 150 हरिजनों के घरों को आग लगा दी गई है। आपने हरिजनों के प्रश्न पर रावतभाटा शिविर में फैसला लिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जहां इम्प्लीमेण्टेशन का प्रश्न आता है, वहां ये ब्यूरोक्रेटिक और विशिष्ट वर्ग के लोग अड़चन पैदा करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इम्प्लीमेण्टेशन नहीं होने देते हैं। केवल घोषणाएं कोई माने नहीं रखती हैं। इस लिए मैं समझता हूं····

(समय-समाप्ति- सूचक घण्टी)

यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जो नोखा के विशिष्ट वर्ग के लोगों ने 150 हरिजनों के झोंपड़े जलाये हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह पूरी जानकारी कराकर स्टेटमेंट दें। यह उन सिद्धान्तों का प्रश्न है।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : चाहे वह नगरपालिका का चेयरमैन हो या कोई भी व्यक्ति हो। अगर नगरपालिका के अध्यक्ष ने यह किया है तो उनको दिवंगत किया जाये उनको डिसमिस किया जाये।

श्री **केशरीमल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव विद्यार्थियों के बारे में दिया है···

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, इस हरिजनों के मामले में, उनके घर जलाये जाने के बारे में सभी दलों को बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री **अध्यक्ष** : समय नहीं है।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : डेढ़ सौ परिवारों के जीवन मरण का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री **अध्यक्ष** : डिस्कशन नहीं कर पायेंगे। अलग से आप रेज करें तो मैं कुछ सोच सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, नोखा क्षेत्र के ही माननीय सदस्य बैठे हैं। उनको सुन लिया जाये।

श्री **अध्यक्ष** : मैं समय दे दूंगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, नोखा मण्डी का जहां तक प्रश्न है, नोखा मेरा क्षेत्र है। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर जो घटना है, उसके बारे में निवेदन करता हूं। यह घटना मैंने देखी है। बहुत ही दर्दनाक है। यहां जो कुछ भी कहा गया है, वह बिल्कुल सही है। यह सारा तथ्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। जितने

Page No 34

(३४)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
मकान जलाये गये हैं, मैं वहां मौके पर गया हूं। वहां उनका सामान जला है। यह घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : यह वास्तव में सही घटना है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

(व्यवधान)

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : इस प्रकार का यह एक अमानवीय कृत्य हुआ है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इस मुद्दे पर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट जल्दी से जल्दी आ जाये।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ सौ हरिजनों के मकान जलाये गये हैं। यह प्रश्न मुख्य मन्त्री महोदय को कन्वीन्स करने का रह जाता है।

श्री **हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद स्वायत्त शासन मन्त्री के सामने यह गया हो। मेरी जानकारी में नहीं आया है। लेकिन मैंने नोट कर लिया है। अध्यक्ष महोदय ने जो संकेत दिया है, मैंने नोट कर लिया है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : आप स्टेटमेंट देना चाहेंगे या नही ?

श्री **अध्यक्ष** : वह तो आपने कह दिया है।

श्री **केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, इसकी गम्भीरता इसलिए और बढ़ जाती है कि वहां की महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है।

श्री **रामलाल** : अध्यक्ष महोदय,...

श्री **अध्यक्ष** : जानकारी करेंगे।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : यदि आप कह देंगे तो वह देंगे।

श्री **केशरीमल (ब्यावर)** : अध्यक्ष महोदय, हमारे अजमेर जिले में पिछले 4,5 दिनों से विद्यार्थियों का आन्दोलन चल रहा है। वह हड़ताल कर रहे हैं और कहीं कही भूख हड़ताल भी करी है। कल अजमेर और किशनगढ़ में इसके लिए बन्द रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती हो। विद्यार्थी कहते हैं कि परीक्षाएं एक माह आगे सरका दी जायें। क्योंकि गत वर्ष में सत्र काफी देर में शुरू हुआ था। और जो छुट्टी थी, वह देर से हुई। इसलिए वह चाहते हैं कि परीक्षाएं एक माह आगे सरका दी जायें। दूसरी उनकी मांग यह है कि उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया जाये। क्योंकि पहले जो सरकार ने मान लिया है, वह जो विश्वविद्यालय कैम्पस के विद्यार्थी हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माना है। यह बाकी लोगों के लिए नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो 75% विद्यार्थी इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा लागू कर दिया गया है तो जो सम्बन्धित कालेजेज हैं, उनमें लागू करने में क्या दिक्कत है। उन को क्यों धोखे में रखा गया है। अगर ऐसा होता....

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में कहें।

श्री केसरीमल : ब्रीफ में कह रहा हूं। उन्होंने कई बार निवेदन किया है, लेकिन कोई नतीजा नही निकला है। ज्यादतियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। किशनगढ़ में विद्यार्थियों को पीटा गया है। जबकि ऐसी कोई सूरत नहीं थी। क्या पुलिस का काम विद्यार्थियों को पीटने का ही होता है। विद्यार्थी हैं, मजदूर हैं, इन को खूब पीटो। किशनगढ़ में पीटा है। अजमेर में पीटा है। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मसले को हल किया जाये। नहीं तो नतीजा ज्यादा से ज्यादा खराब निकल सकता है। नतीजा जल्दी नहीं निकालेंगे तो यह बढता जायेगा। इसलिए मन्त्री महोदय, इस पर तुरन्त कोई फैसला लें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इसलिए रखा है कि बयाना कस्बे में·····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैंने निर्णय दे दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें जानकारी के प्रश्न की आवश्यकता है ? स्टूडेण्ट्स आलरेडी एक्शन में हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री महोदय, यहां पर हैं। अखबार में ऐसा निकला है कि विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर परीक्षाएं बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, जो सिण्डीकेट में तय किया जायगा।

दूसरा सवाल रहा हाजरी का। यह सही है कि कैम्पस के अन्दर स्टूण्डेट्स के लिए अटेंडेंस कम्पलसरी नहीं रखी है। क्या यह डिस्क्रिमिनेट्री आधार नहीं है कि कैम्पस वालों के लिए तो अटेंडेंस कम्पलसरी न रखी जाय और कालेज वालों के लिए रखी जाय। इसके मेरिट पर न जाकर मैं निवेदन करूंगा कि इस साल उनको छूट दी है तो दूसरों को भी छूट देनी चाहिए। देअर इज नो ग्राउण्ड कि उनको छूट न दें। इससे यह फौरन मामला हल हो सकता है वरना असामाजिक तत्व इसका लाभ उठायेंगे, रीएक्शनरीज इसका लाभ उठाने को तैयार हैं। न मालूम शिक्षा विभाग में ऐसे लोग बैठे हैं जो इसको उनसे लिंक करना चाहते हैं। वरना यह मामला हल हो सकता है।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किशन मोटवानी और विद्यार्थी परिषद्, विद्यार्थी परिषद् नहीं छात्र परिषद् के जो अध्यक्ष हैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह विद्यार्थी परिषद् का मामला नहीं है। इसको विद्यार्थी परिषद् के हाथ में देना चाहें तो अलग बात है। यह विद्यार्थी परिषद् का आन्दोलन नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मंत्री जी के दिमाग में विद्यार्थी परिषद् का प्रभाव बढ़ रहा है।

श्री खेत सिंह : स्टूडेन्ट फेडरेशन के प्रेसीडेन्ट मेरे पास आये थे, एम. एल. ए. भी आये थे। हमने सारी बात कर ली है और विश्वविद्यालय को, वाइस चान्सलर को लिख दिया है कि कैम्पस में कर दिया है तो यह एफीलियेटेड कालेजेज में भी लागू होना चाहिये। उस पर आज डिसीजन ले लेंगे।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर-पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, यहां बात हो रही थी और उधर अप्रिय घटना अजमेर में घटी। बातचीत का दौर यहां पर चल रहा था और वहां पुलिस दमन कार्य कर रही थी। पुलिस ने विद्यार्थियों को पीटा, इसके कारण उनमें रोष है। वहां के स्टूडेन्ट्स में वैसे इस बात का संतोष है कि सरकार जागरूक है, इनकी मांगों के बारे में इस प्रकार का काम परसों हो गया है। मेरा यह निवेदन है कि यह निर्णय है यह वाइस चांसलर के सुपुर्द किया गया है, उस पर वह जल्दी से जल्दी निर्णय दें ताकि स्टूडेन्ट्स की स्ट्राइक टूट जाय और शांति स्थापित हो जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री संघु।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था, बयाना गांव में एक कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है। मैं भी अल्पमत से सम्बन्धित हूं। अल्पसंख्यक का, मुसलमानों का इस तरह कब्रिस्तान तोड़ा जा रहा है, मैं चाहूंगा कि सिक्यूलर स्टेट के अन्दर ऐसी कार्यवाही शीघ्र बन्द करनी चाहिये। वहां पर गृह निर्माण समिति बनाकर कब्रिस्तान को तोड़ने का प्रयत्न बड़े दिनों से चल रहा हैं। उस समिति के विरुद्ध तहसीलदार ने फैसला किया, अपीलेट आथोरिटी ने फैसला किया, माननीय स्वर्गीय बरकतुल्ला ने फैसला किया कि इस कब्रिस्तान को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर भी आज तोड़ा जा रहा है और पूंजीपति लोग, जिनके पहले ही शहर में मकान हैं, दो तीन मकान हैं, उसे तोड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा आपकी मारफत, वैसे आपने कह दिया, आदेश दे दिया कि मैं अलग से कह दूं लेकिन मैं चाहूंगा इस सम्बन्ध में सरकार शीघ्र कार्यवाही करे और उसकी तुड़ाई बन्द कराये। यह एक पुराना कब्रिस्तान है, सं. 2001 से रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। मेरे पास रेवेन्यू रिकार्ड है, आज भी वह कब्रिस्तान कहलाता है। उस कब्रिस्तान को आज तोड़ना उचित नहीं है। इसके कारण वहां कोई ऐसी घटना हो जायगी तो उसकी सरकार पर जिम्मेदारी आयेगी। मैं इतने शब्द कहता हुआ फिर निवेदन करूंगा आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को मजबूर करें कि वह वहां जो कन्स्ट्रक्शन हो रहा है उसे शीघ्र रोक दें और रोकने के बाद उसे वहां के लोगों को, वहां के मुसलमानों को देकर फिर उस पर विचार किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत सीरियस मैटर है। मुख्यमंत्री जी कम से कम फौरन टेलिग्राम से इस चीज को रोक दें। फिर खुद इसकी इन्क्वायरी करें और फिर मैटर को आगे बढ़ायें। यह सिक्यूलेरिज्म को एक चैलेंज है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अन्यत्र भी बढ़ता जा रहा है, वक्फ प्रापर्टी पर एन्क्रोचमेंट होता जा रहा है। उदयपुर में कब्रिस्तान के ऊपर प्रापर्टी

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

कन्स्ट्रक्ट की जा रही है । मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा, यू.आई.टी. का अधिकार इस तरह कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि सारे प्रसंग को देख कर सारे राजस्थान के अन्दर अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए ।

श्री **केदार नाथ** : अध्यक्ष जी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउन्ड भी है···

श्री **अध्यक्ष** : (श्री खेतसिंह व अन्य एक माननीय सदस्य को सदन में खड़े होकर बात करते देख कर) माननीय शिक्षा मंत्री जी का मैं ध्यान दिला सकता हूं ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : डिसीप्लीन ! क्लास से बाहर निकलने की आदत छोड़ें ।

श्री **केदारनाथ** : इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउन्ड भी है । बाबर और राणा सांगा की पहली लड़ाई हुई थी, उस समय से 45 एकड़ जमीन ग्रेवयार्ड की है । इस पर कोई कन्स्ट्रक्शन चल रहा है, मैंने सुना था, जब मुख्य मंत्री थे बरकतुल्ला, उन्होंने स्टे आर्डर दिया था कन्स्ट्रक्शन के बारे में । अब मुख्य मंत्री जी ने स्टे आर्डर को वैकेट कर दिया है । कन्स्ट्रक्शन की कार्यवाही, क्रेश प्रोग्राम से बड़ी तेजी से चल रही है—वह रोकी जाय और सारे फैक्ट्स को कि यह किसके लिए रिजर्व की हैं, इसकी जानकारी की जाय ।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत···

श्री **लक्ष्मण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावना के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मैं अनुभव करता हूं, मुख्य मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में उचित कदम उठा कर जो कन्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसको फौरन बन्द करें । फिर आन द मैरिट आफ द केस जो फैसला आपको देना हो वह दीजिये ।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी का ध्यान और विद्युत् मंत्री जी का ध्यान एक अहमियत वाले प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कई चीजें, देहातों में बिजली, बिजली योजना और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में बिजली को प्राथमिकता देने की बातें कही । इसके ही साथ साथ पड़ौसी राज्यों को राजस्थान ने बिजली दे दी । इस प्रश्न पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सत्य है कि पड़ौसी राज्य को बिजली देने से बोर्ड में बिजली की कमी आई है । उदाहरण के लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां पर यदि सत्यता देखनी है तो वह यह है, रात्रि में किसानों को पानी सप्लाई करते हैं और दिन में बन्द रखते हैं । आज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसी हालत में रात में खेतों में उन्हें खड़ा रहना पड़ता है । हम लोगों को दिन में ही सर्दी लग रही है तो उनकी रात में क्या हालत होती होगी इसकी आप कल्पना कर लीजिये । आज बिजली की कमी बोर्ड में आयी है । अभी पिछले दिनों जब देश की प्रधान मंत्री जयपुर में आयी थीं तो उन्होंने यहां पर कृषि अधिकारियों के सामने स्पीच दी थी, उन्होंने कहा था राजस्थान में कुए हैं, इन कुओं पर बिजली देने में प्राथमिकता देंगे । यह सारी बात मुझे निवेदन इसलिए करनी है कि अकाल राहत कार्य में कुए बने·

श्री अध्यक्ष : सीधे मुद्दे पर आ जायं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह दुःख की बात है कि प्राथमिकता के आधार पर जयपुर जिले की बात करूं तो पिछले एक वर्ष से कुओं पर लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर-यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो अग्रिम जमा योजना चल रही थी, जिसको एडवान्स स्कीम बोलते हैं, उसको 18 जनवरी, 1975 से जयपुर जिले में बन्द कर दिया है, अग्रिम जमा योजना के नाम से कुओं को बिजली नहीं मिलेगी। मेरा निवेदन करना है कि हजारों प्रार्थना-पत्र पड़े हैं, मंजूरशुदा पड़े हुए हैं, विचाराधीन हैं। मंजूरशुदा और विचाराधीन पड़े हुए हैं—इसके कारण से किसानों ने सोचा, वह कर्ज लेकर कुओं पर पम्पिंग सैट फिट कर लें। इसका कारण उनका मूलधन अटक गया, और ब्याज भी मैं समझता हूं, चुकाने के लिये उनको काफी कठिनाई हो रही है। मैं आपकी मार्फत प्रार्थना करना चाहता हूं कि पम्पिंग सैट फिट हो गये हैं इस कारण जिन कुओं से पहले पानी निकाल लेते थे चरस के आधार पर, वह आधार पर कुओं पर पम्पिंग सैट फिट हो जाने के कारण अनुपयोगी हो गया है क्योंकि पम्पिंग सैट फिट होने के कारण चरस काम नहीं करता है। और इस प्रकार जो पानी की सुविधा मिल रही थी मुफ्त की, वह अग्रिम जमा योजना पर पाबन्दी लगने से समाप्त हो गई है। मैं नियमों का उल्लेख करना चाहूंगा · · ·

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नियमों के अन्तर्गत 45 दिन के भीतर अग्रिम जमा योजना के आधार पर कुओं पर कनेक्शन दे देना चाहिए। अब सरकार कुछ भी कहे, भाषण में कुछ भी कहे, किसानों को सहूलियत के नाते कुछ भी कहे, लेकिन दूसरी ओर किसानों को कोई सहूलियत नहीं है, खाद की सहूलियत नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन नहीं मिलता है, अग्रिम जमा योजना के आधार पर कनेक्शन नहीं मिलता है, और फिर भी किसानों से लेवी लेने की बात कही जाती है।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि डीजल ईंजन किसान लगाते हैं वह मंहगा पड़ता है। जो दो पानी गेहूं और जौ में दिये होंगे लेकिन दो तीन हजार का डीजल समाप्त हो गया है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जब सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय इस प्रकार की बात करते हैं और पड़ौसी राज्यों को बिजली दी है क्योंकि राजस्थान में बिजली का विकास हुआ है, लेकिन दूसरी ओर दुकानों पर धन्धा खत्म हो गया है क्योंकि सात बजे बन्द करने का आदेश हो गया है। ताहम पड़ौसी राज्य हरयाणा और उत्तर प्रदेश को बिजली देते रहे। राजस्थान के किसानों को बिजली का कनेक्शन भले ही नहीं मिले पड़ौसी राज्यों को आप बिजली देते चले जायेंगे पड़ौसी हमारे सुखी हों। मेरा निवेदन है कि पहले हमारे किसान सुखी होने चाहिए। ऐसी घोषणा हमारे प्रधान मंत्री ने की है और राज्यपाल महोदय ने भी घोषणा की है। मैं राज्य सरकार का, मुख्य मंत्री

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का और विद्युत् मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जयपुर के किसानों को अग्रिम जमा योजना बन्द करने के कारण कुओं पर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, उनको कनेक्शन मिलना बन्द हो गया है राज्य सरकार को विचार करना चाहिए और राजस्थान के किसानों को विद्युत् कनेक्शन जल्दी से जल्दी मिल सके, यह प्रायरिटी के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा आपने दिया है। मेरा अंत में निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी सारे प्रश्न को गंभीरता से विचार करके, विद्युत् मंत्री से सलाह करके अपना वक्तव्य सदन में कृपापूर्वक देंगे।

श्री मीठालाल : माननीय भार्गव साहब ने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही गंभीर है। आज जयपुर शहर के लिए और बड़े बड़े शहरों के लिए एयरकण्डीशन के लिए···

श्री अध्यक्ष : अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलें।

श्री **मीठालाल** : उस पर मैं जा रहा हूं। तो आप एयरकंडीशनर्स के लिए बिजली दे रहे हैं लेकिन किसानों के लिए रात को 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक या रात को 12 बजे से प्रातः 5 बजे तक देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि उत्पादन बढ़ायेंगे और किसानों को सुविधा देंगे। एडवांस स्कीम थी, चालू भी की, तो इस पर गंभीरता से सोचकर शीघ्र निर्णय लें और दिन में बिजली दें।

मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह दौसा को जिला बनाने के लिए है और दौसा शहर को जिला मुख्यालय बनाने के लिए। जयपुर जिला इतना बड़ा जिला है प्रशासन की दृष्टि से विकास की दृष्टि से कि दो दो तीन तीन कार्यालयों का एक कोष्ठ खोल दिया। जयपुर जिले में 17 तहसीलें हैं इसलिए दौसा को जिला मुख्यालय बनाया जाय, जयपुर जिले को दो टुकड़ों में बांटें तो विकास की दृष्टि से चाहे जनता के हित की दृष्टि से सारी असुविधा दूर हो जाएगी इसलिए मुख्य मंत्रीजी गंभीरता से इस पर विचार करें और दौसा को जिला मुख्यालय बनाया जाय तो अच्छा होगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव यूनिवर्सिटी और कालेजों के जो लेक्चरर्स हैं उनकी पे स्केल्स के संबंध में दिया है। मेरा कहना है कि भारत सरकार ने यू. जी. सी. की सिफारिशों को मंजूर करके जो नए पे स्केल सुझाए हैं उनको मंजूर किया है और तमाम राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे भी अपने यहां पर इनको लागू कर दें। जो प्रांत केन्द्र से शासित हैं वहां पर उन्होंने पहले ही लागू कर दिया है। दूसरी राज्य सरकारों के लिए बड़ी ही स्पोर्टिंग आफर दी है कि 80 प्रतिशत जो भी खर्चा है इन ग्रेड्स को बढ़ाने से राज्य सरकारों पर होगा वह 5 वर्ष तक केन्द्रीय सरकार देगी। केवल 20 प्रतिशत खर्चा राज्य सरकारों को 5 वर्ष तक भुगतना पड़ेगा···

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : 5 वर्ष के बाद हमारा पूरा पैसा लगेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तब तक आप काबिल हो जायेंगे सारे खर्चे को बर्दाश्त कर लेंगे। इसके लिए तमाम कालेज और विश्वविद्यालय के टीचर्स आन्दोलित हैं. रूटा, तीनों यूनिवर्सिटीज और कालेज के टीचर्स आन्दोलन चला रहे हैं, सारे हिन्दुस्तान में यह आन्दोलन चल रहा है। कई बार उनका शिष्टमण्डल मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री से भी मिला है, आश्वासन या विचार करेंगे, इस हद तक मामला गया है लेकिन केवल इससे तो ग्रेड्स बढ़ते नहीं। इसलिए समस्या ज्यों की त्यों उलझी हुई है। इससे पहले कि मामला ज्यादा उलझे क्योंकि फिर वे विचार कर रहे हैं कि अगर सरकार सुनती ही नहीं तो उनको कोई और एक्शन सोचना पड़ेगा। अखबार में पढ़ने को मिला कि वे आने वाली परीक्षाओं के अन्दर भाग नहीं लेंगे, उनका बहिष्कार करें। तो यह अननेसेसरी कन्फन्ट्रेशन है। आप कन्फन्ट्रेशन जमाखोरों से करें, ब्लेकमार्केटियर्स से करें, डाकुओं से करें, बदमाशों से करें। ये इन्टेलेक्चूएल्स हैं जो अपनी बुद्धि के आधार पर समाज की सेवा कर रहे हैं, सरकार को ऐसे लोगों से कन्फन्ट्रेशन मोल लेना उचित नहीं होगा। इसलिए सरकार इस पर विचार करके तुरन्त निर्णय करे और जब 21 तारीख को मुख्य मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर दें या इस बीच यदि शिक्षा मंत्री बोलें तो इस विषय पर पोजिटिव उत्तर दें ताकि समस्या का समाधान हो जाय।

श्री केदारनाथ : इन-प्रिंसीपल यूनिवर्सिटीज ने मानकर एकेडेमिक कौंसिल को भेज दिया और एकेडेमिक कौंसिल्स ने पास कर दिया। राज्य सरकार भी इन-प्रिंसीपल मानती रही है कि जब यू जी. सी. पे स्केल्स का रिवीजन करेगी तो इन-प्रिंसीपल राज्य सरकार ने मानना स्वीकार किया है, कमिटमेंट है। अब केन्द्रीय सरकार ने और दूसरे राज्यों ने मान लिया। इससे पहले स्टरिंग कैम्पस में आए, सारे एफिलिएटिंग कालेजिज टीचर्स ने डिसाइड कर दिया, आने वाली परीक्षाओं का बाईकाट किया है अगर उनकी मांग नहीं मानी गई।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव दौसा को जिला मुख्यालय बनाने के लिए दिया हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान छोटी छोटी रियासतों से बना हुआ है। इसमें कुछ रजवाड़े तो ऐसे हैं जहां तीन तहसीलों को मिलाकर जिला बनाया है कहीं 4 तहसीलें हैं जबकि जयपुर जिले में 17 तहसीलें हैं और जयपुर सिटी में 10 लाख की आबादी है। एक तरफ तो तीन तहसीलों के लिए जिला लेविल आफीसर्स होंगे, उनका प्रशासन जितना इफेक्टिव और एफीशिएंट हो सकता है उतना 17 तहसीलों और 10 लाख की आबादी वाले शहर के लिए एक ही तरह के अधिकारी प्रशासनिक दृष्टि से इफेक्टिव नहीं होते हैं। विस्तार की दृष्टि से देखा जाय तो सब-डिवीजन; दौसा एक तरफ अलवर जिले की तहसील राजगढ़ और दूसरी तरफ सवाई माधोपुर जिले की तहसील बामनवास से मिलती है। मुकदमात को देखा जाए तो किसी भी छोटे जिले के मुकाबले में वहां केसेज ज्यादा हैं। यह कहां का न्याय है कि सब-डिविजन, दौसा की पूर्वी तहसील सिकराय के व्यक्ति को जयपुर आकर न्याय लेना पड़े और इसी तरह से लालसोट तहसील बामनवास के

(श्री मूलचन्द सामरिया)
व्यक्ति को भी जयपुर आना पड़े। हमारे यहां मुकदमों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर दौसा को जिला मुख्यालय बनाया जाए तो कलक्टरी और सेशन जजी से उनको आसानी से न्याय मिल सकता है। आज की हालत में न्याय इतनी देरी से मिलता है कि वह एक तरह से न मिलने के समान है। ज्यादा मुकदमों की वजह से जयपुर में डिस्पोजल नहीं हो पाता। रियासतों के समय अगर तीन तहसीलों का जिला है तो 17 तहसीलों वाले जयपुर जैसे बहुत बड़े शहर को मिलाकर एक जिला रख रखा है। इस बात की बुराइयों को सरकार दूर करे और दौसा को जिला मुख्यालय को दर्जा देंगे तो बहुत सी समस्यायों का स्वतः ही निराकरण हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दौसा सब डिविजन का विस्तार इतना अधिक है कि आपके दूसरे छोटे जितने भी राजस्थान के जिले हैं उनसे राजस्व कहीं अधिक है तथा मुकदमात भी अधिक हैं। आप अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आपको मालूम होगा कि दौसा सब-डिविजन अपने आप में एक प्रकार से जिला है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राजनैतिक तरीके से नहीं सोच करके अगर जनता के हित के लिए सोचें, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करना चाहते हैं तो आपको दौसा को जिला घोषित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए राज्य सरकार को निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। और आपको जिलों का वाईफरकेशन करना चाहिए और उसमें दौसा को जिला घोषित करना चाहिए। अगर आप इसे जिला घोषित करेंगे तो दौसा एक इफेक्टिव यूनिट होगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोक कल्याण के दृष्टिकोण से तथा गरीब लोगों के हित के लिए यह एक बहुत बड़ा राहत का कार्य होगा। लोगों को इससे सस्ता न्याय मिलेगा दूसरी प्रशासनिक समस्यायें जल्दी से जल्दी सुलझ सकेंगी। नहीं तो आज जयपुर इतना बड़ा जिला बन गया है कि उसकी समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और दौसा सब डिविजन की जनता खास तौर से इससे पीड़ित है इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर राज्य सरकार इस बारे में जल्दी निर्णय नहीं लेगी तो मैं राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह एक दिन बहुत बड़ा आन्दोलन का रूप धारण कर लेगा। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचे और राजनैतिक कारणों को ध्यान में नहीं रखते हुए दौसा सब डिविजन के लिए वहां पर जिला मुख्यालय स्थापित करने के आदेश फरमावें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मूल चन्द जी ने जो सदन में दौसा सब-डिविजन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं उसके लिए एक आधा मिनट मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचे। मैं समझता हूं कि जयपुर और उदयपुर ऐसे जिले हैं जो बहुत ही बड़े हैं और जिसमें खास तौर से जयपुर जिला। बड़ा जिला होने की वजह से कई प्रशासनिक समस्यायें भी हो जाती हैं अगर आप दौसा को

Page No 42

(42)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

ज़िला स्तर दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रशासनिक रूप में और ज्योग्राफिकली भी राज्य सरकार की कई समस्यायें हल हो जायेंगी। माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसके लिए किसी हद तक मेरी भी सहानुभूति है और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में उचित कदम उठाये ताकि वहां की जनता को सुविधायें मिल सकें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

अधिसूचना

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(क) अधिसूचना संख्या एफ. 3(2) (8) म. शा. वि./72 दिनांक 1 जनवरी, 1973

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. 3(2) (8) (एल. एस. जी.) 72 दिनांक 7 मई, 1974

शासकीय वक्तव्य

उदयपुर के जे. सी. बोस छात्रावास के विद्यार्थियों की पुलिस द्वारा पिटाई

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव बाबत – उदयपुर में जे. सी. बोस छात्रावास पर पुलिस द्वारा गत 17-1-75 को बर्बरता पूर्ण हमले के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है:—

जे. सी. बोस छात्रावास उदयपुर के छात्र और पुलिस के रेक्रूट्स के बीच झगड़े की शुरूआत इस घटना से बतलाई जाती है कि 16 जनवरी, 1975 को रात्रि को पुलिस के 2 रेक्रूट्स को जे. सी. बोस छात्रावास के अन्दर ले जाकर पीटा तथा तारीख 17 जनवरी की रात्रि को पुलिस के रेक्रूट्स को ट्रक पर जो गश्त पर जा रहा था छात्रावास के पास से निकलते हुए, पथराव किया। पुलिस के रेक्रूट्स को पकड़ रखा था। उनको छुड़ाने के लिये पुलिस के रेक्रूट्स छात्रावास में घुसे जहां विद्यार्थियों में और पुलिस के रेक्रूट्स ने छात्रों को पीटा, छात्रावास की इमारत एवं छात्रों के सामान को नुकसान पहुंचाया। इसकी सूचना मिलते ही रिजर्व सब इन्सपेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पा लिया। पुलिस के 7 रेक्रूट्स को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना से संबंधित 40 रेक्रूट्स को निलम्बित किया गया और राज्य सरकार के आदेश से इस मुकदमे की तफतीश गुप्तचर विभाग को दे दी। यह घटना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिये राज्य सरकार को खेद है। इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के लिये श्री पी. डी. कुदाल, सदस्य राजस्व मंडल को नियुक्त किया गया है। यह एक सदस्यीय जांच आयोग इस घटना से संबंधित कारणों, जिम्मेदारी और छात्रावास में हुई क्षति के बारे में जांच करेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे में राज्य सरकार को सुझाव देगा।

राज्य सरकार ने छात्रों को रिलीफ देने के लिये 15000 रुपये की स्वीकृति दी है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वहां पर कितना नुकसान हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्होंने तो 15 हज़ार रुपये आंका है लेकिन नुकसान कम से कम 5 लाख रुपये से कम नहीं हुआ था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि गृह मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है वह वही है जो कि हमने इस घटना के होने के तीन चार दिन बाद अखबारों में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि सात पुलिस के रिक्रूट्स को गिरफ्तार किया और 40 पुलिस के रिक्रूट्स को निलम्बित किया गया तथा उसके लिए कुदाल आयोग भी बैठा है। यह तो हमने अखबारों में भी पढ़ लिया था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव में कुछ बातें और थीं इसमें जो जानकारी मुझे मिली थी उसमें केवल पुलिस के रगरूट ही नहीं थे बल्कि उनके अलावा घटना स्थल पर पुलिस के बड़े अधिकारीगण भी मौजूद थे वहां पर जिनमें एडीशनल पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, तथा एस.एच.ओ. भी मौजूद थे। और वहां के एस.पी. साहब भी इधर उधर कहीं खड़े हुये थे। लेकिन उनके बारे में किसी का भी उल्लेख इसमें नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि वह छात्रावास और पुलिस लाईन्स पास पास ही हैं। जहां से कि यह रिक्रूट गये हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बोहरों के झगड़ों की वजह से उदयपुर शहर में धारा 144 लगी हुई थी और वहां पर बाहर से भी पुलिस बुलाई हुई थी वातावरण आतंकित था। पुलिस के दो ट्रक्स भर कर वहां पर घूम रहे थे। पुलिस के दो ट्रक्स रिक्रूट्स के भर कर छात्रावास में घुस गया था और वहां पर जाकर होस्टल में लड़कों को बुरी तरह से पीटा, वहां की बिल्डिंग को बुरी तरह नष्ट कर दिया गया तथा जो शीशे के दरवाजे वगैरह थे उन्हें तोड़ दिया गया तथा साईकिलें वगैरह थीं उन्हें भी तोड़ दिया गया। लोग लोहे के सरिये वगैरह लेकर गये थे हांलाकि मैं स्वयं तो वहां पर नहीं था लेकिन माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा वहां पर जिन लोगों ने आंखों से देखा उन्होंने मुझे ऐसा बताया। वहां जिस तरह से नुकसान हुआ है उसमें ऐसे लगता है कि लोगों के पास कुछ शार्प चीजें भी थीं जिनसे यह नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, झगड़ा तो पहले यह हुआ था कि पुलिस के दो रिक्रूट्स को छात्रों ने पीटा उसके बाद ऐसा हुआ। अध्यक्ष महोदय, वहां से छात्रों को पकड़कर ले गये और उनको बुरी तरह से रिब्यूक किया गया उस वक्त एस.पी. साहब खुद मौजूद थे जैसा कि घटनाओं से आभास होता है ऐसा मालूम होता है कि यह सभी एस.पी. साहब के इशारों से हुआ था। और वहां के कुछ रिक्रूट्स ने ऐसा भी कहा है कि एस.पी. साहब ने हुक्म दिया था। क्योंकि छात्रों ने दो पुलिस वालों को पीटा तो उनसे बदला लेने के लिये ऐसा एस.पी. साहब ने हुक्म दिया था। यह ठीक है कि अगर छात्रों ने पुलिस वालों को पीटा तो उसके लिये उनको चाहिये था कि वह रिक्रूट्स पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाते लेकिन कानून को हाथ में लेना कहां तक उचित है। अगर लड़कों का झगड़ा हुआ तो क्या इस तरह का पुलिस का एक्शन वाजिब था। मैं तो समझता हूं कि जो कुछ हुआ पुलिस के अधिकारियों की जानकारी से हुआ क्योंकि बोहरों के झगड़े के कारण धारा 144 वहां पर लगी हुई थी सारा वातावरण टेन्शन में था पुलिस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के ट्रक्स गश्त लगा रही थी शहर में और जब पुलिस के रिक्रूट्स के ट्रक भर कर जावें और इस तरह की घटना हों और पुलिस के अधिकारियों की नोलेज में यह बात नहीं हो यह बात समझ में आने वाली बात नहीं है। बेशक वहां नहीं भी गये हों। माननीय सदस्य गम्भीरता से सोचें तो यह बात समझ में नहीं आवेगी कि इतनी विजिलेन्ट होकर पुलिस काम कर रही हो और ऑफिसर्स वहां न पहुंचे और बगैर जानकारी के उनके यह सारी कार्यवाही हो गई हो।

आपने रैवेन्यू बोर्ड के श्री कुदाल की अध्यक्षता में वन मैन कमीशन नियुक्त किया है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें पुलिस के फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स इन्वोल्व्ड हैं इसलिये इसकी जांच रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से करायें वह जांच पब्लिक में कान्फिडेन्स जनरेट नहीं करेगी और जो एटमोस्फीयर क्रीयेट होना चाहिये वह क्रियेट नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट भी यही चाहती है कि पुलिस इस तरह की नादिरशाही न चलाये और अन्य भी जो घटनायें हुई हैं वह भी आपके ध्यान में हैं और हम आपका ध्यान दिलायेंगे कि जिससे पूरा इस केस पर भी असर हुआ मालूम पड़ता है, जैसे कोटा में जो घटना की वहां से आपने डी. आई. जी. का ट्रान्सफर मात्र कर दिया सरकार खुद खेदजनक कहती है। पुलिस बेलगाम हो गयी है, बदहवास हो गयी है उनको इस गवर्नमेन्ट का ख्याल नहीं है कि उनके ऊपर भी अथोरिटीज हैं जो लगाम लगा सकते हैं, जो डिसिप्लिन्ड कर सकते हैं। आज तो यही महसूस हो रहा है कि सरकार स्वयं उनके ऊपर ही निर्भर करती है और सरकार का आधार जो जनता में होना चाहिये वह जनता में नहीं रहा है और वह केवल पुलिस के डंडों पर ही निर्भर हो रही है। चेन्ज्ड आफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या हो रहा है यह गवर्नमेन्ट को खुद को सोचना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, गवर्नमेन्ट बताये। दूसरा इस बारे में, इसकी न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज से करायी जानी चाहिये तो न्याय हो सकेगा वरना न्याय प्राप्त नहीं होगा।

पुलिस के बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में यह सारा काण्ड हुआ है। कोई दूर भी हो तो वे उस रैस्पोन्सिबिलिटी से बरी नहीं हो सकते हैं। इतने बड़े टेम्पल की जहां पर स्थिति तो वायरलेस से भी निकट होंगे, ऐसे यहां घूमते रहते हैं, वैसे वहां पर भी घूमते रहते होंगे, इतनी देर में रंगरूटों ने छात्रावास में ऐसा काण्ड किया, प्रिवेन्टिव एक्शन के लिये कोई कुछ नहीं किया, कोई गया हो तत्काल वहां पर और किसी को तत्काल पकड़ा हो, इतनी पुलिस होते हुए भी जो एक्सन कर रहे थे उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। आपने न ही अपने स्टेटमेन्ट में ऐसा कहा कि एस. पी. भागे और मौके पर गिरफ्तार किया। आपने कुछ नहीं कहा। अब आप इस सम्बन्ध में बतायेंगे। मेरा यह ओब्जेक्शन है। मैं दो तीन बातों पर स्ट्रेस करूंगा। आप न्यायिक जांच इस की करायेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं......

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं उस समय पहुंच चुका था मौके पर जब घटना घटी थी। मुझे बड़ा खेद है, राज्य सरकार ने तथ्यों को बहुत तोड़ मरोड़ कर हाउस में रखा है। अच्छी राज्य सरकार वही है कि जो ऐसे अधिकारियों को, जिनके ऊपर रक्षक का काम सौंपा गया है, प्रहरी का काम सौंपा गया है उनको अपराधी पाये जाने पर उन्हें संरक्षण देने के लिए सरकार गलत तरीके न अपनाये। पहले उन्होंने यह कहा कि 16 तारीख को 2 रिक्रूटों को उन्होंने पीटा और 17 को दो रिक्रूटों को उन्होंने पकड़ रखा। मुझे आश्चर्य है कि आप इसकी गहराई में क्यों नहीं गये, राज्य सरकार को इसमें गहराई में जाना चाहिये था। बोस होस्टल और पुलिस लाइन्स दोनों पास पास में हैं। दीवार टूटी हुई है। जानकारी होते हुए भी सरकार इसको छिपाती हो यह भी हो सकता है। विद्यार्थी जो मां बाप की कमाई से वहां पर पढ़ाई और अध्ययन करते हैं, वे वहां मैदान में कपड़े सुखाते हैं। पुलिस वाले जिन पर संरक्षण का उत्तरदायित्व है वे उनके कपड़े पैंट्स वगैरा चोरी करके ले गये, टैरेलीन की पैंट्स चोरी करके ले गये थे। जब विद्यार्थियों को पता लगा कि एक रिक्रूट पैंट पहिने हुए जा रहा है तो तरकीब से उस रिक्रूट को बुला कर उससे उनका पैंट खुलवाया और कहा कि अब आप जाइये। वास्तविक रूप से तो यही घटना थी। कुछ भी कर दिया हो किसी ने, तो यह दूसरा कारण हो सकता है। यही झगड़े का कारण है। राज्य सरकार ने इसकी गहराई में न जाकर यह कह दिया कि विद्यार्थियों ने रिक्रूटों को पीटा। 17 तारीख को यह बताया गया कि उनको पकड़ रखा था। यह बिलकुल गलत है। किसी को नहीं पकड़ रखा था। विश्वविद्यालय की परीक्षायें 19 से स्टार्ट होने वाली थीं, विद्यार्थी अपने अध्ययन में लगे हुए थे। लगभग 8.45 बजे पुलिस वाले शस्त्रों से लैस हो कर उस बोस होस्टल में घुस गये। 127 कमरे हैं उसमें। एक को भी नहीं छोड़ा। दरवाजे तोड़ दिये उनके, रोशनदान तोड़ दिये, ट्रान्जिस्टर घड़ियां तोड़ दीं, पलंग तोड़ दिये, बिस्तर उठा कर कड़ाके की सर्दी में बाहर फेंक दिये, टैबल लैंप तोड़ दिये, ट्यूबलाइट्स तोड़ दीं, एक भी चीज नहीं बची जिसको नहीं तोड़ा गया हो, विद्यार्थियों को इतना पीटा गया किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा और कइयों के सिर फूटे। सारे बोस होस्टल में एक कोहराम मच गया। मैं लगभग 11.45 बजे, एक बजे वहां पर पहुंचा। एक बत्ती जल नहीं रही थी। मोमबत्ती जला कर घूमते-घूमते मैंने देखा, एक कमरे में केरल का एक विद्यार्थी खून में लथ-पथ पड़ा था। उस समय लगभग 11.45 बजे थे, दो दिन तक लड़के को होस्पिटल में होश नहीं आया। एक मोरिशियस का विद्यार्थी था उसका हाथ टूटा हुआ था। उसी दिन मनिआर्डर से उसके पास पैसा आया था। कहने लगा, शास्त्रीजी, घर वालों को क्या बताऊंगा। मेरे रक्षक पुलिस वाले चोरी करके मेरा पैसा ले गये। वहां पर मोरिशियस के विद्यार्थी, नेपाल के विद्यार्थी, केरल के विद्यार्थी, अन्य अन्य कई जगहों के विद्यार्थी रहते हैं। यह मुझे कहते हुए दुख होता है कि राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार का स्टेटमेंन्ट देना कि दो रिक्रूटों को पकड़ रखा था उचित नहीं है। एक को भी नहीं पकड़ रखा था। जब मैं वहां पहुंचा तो एडीशनल आई. जी. पी. वहां पर थे, वे भी उनको निकाल सकने में असमर्थ हुए। वार्डन,

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

इन्चार्ज था उसके घर के दरवाजों को तोड़ नहीं सकते थे, वे बाहर थे, उनको पीटा। उन्होंने भी विश्व विद्यालय को अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर दिया कि जो पुलिस रक्षक मानी जाती है वह मेरी रक्षा नहीं कर सकी वह विद्यार्थियों की क्या सुरक्षा कर सकती है। रात भर वहां बोस होस्टल में विद्यार्थी इस स्थिति में थे। आक्रमण करने वाले आक्रमण के लिये गये हों, और आक्रमण करने के पश्चात् जो स्थिति बनती है, वैसी स्थिति हो रही थी। राज्य सरकार बताये कि रिक्रूट लाइन से उठ कर गये थे ड्रेस पहिने हुए थे या नहीं। क्यों गये? किसकी आज्ञा से वहां पर गये? उन्होंने वार्डन को क्यों पीटा? या तो वहां से छात्रावास को हटा दीजिये या लाइन को वहां से हटा दीजिये। यदि व्यवस्था बनाई रखनी है तो दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। आपने सात पुलिस वालों को अरेस्ट किया और 40 को निलम्बित कर दिया। क्या इन 125 और 130 विद्यार्थियों के लिए बल्कि यह संख्या 150 से ज्यादा है और 200 से ज्यादा है और उस संख्या में वहां के पुलिस अधिकारी इन्वोल्व है और आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, स्वयं जिलाधीश महोदय ने कहा है मैंने ऐसी घटना अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जो इस प्रकार की घटना घटे और आप घरेलू विवाद जैसी संज्ञा दें जैसे कोई साग-सब्जी का विवाद हो और उसकी एन्क्वायरी करनी हो। एन्क्वायरी, एन्क्वायरी अन्डर कमशीन एन्क्वायरी एक्ट में होनी चाहिये और किसी उच्च न्यायिक अधिकारी से होनी चाहिये। कोई घरेलू रिपोर्ट है जो आप ऐसा करते हैं। अन्डर कमीशन एन्क्वायरी न्यायिक जांच हो तो इसका कोई अर्थ है बाकी अर्थ नहीं है। दूसरा कम्पनसेशन का आपने 15 हजार दिया हैं, अच्छा किया है लेकिन विद्यार्थियों के कितने पैसे गये, कितनी घड़ियां गई, कितने ट्रान्जिस्टर गये। उस रिपोर्ट के अनुसार कितनी रकम बनती है एक चीज, दूसरी बिल्डिंग का नुकसान पहुंचाया है, साईकिलें तोड़ी गई हैं, तीसरे यह हुआ क्यों, यह पुलिस का उत्पात क्यों हुआ? यह कहना कि हमने दो को पकड़ रखा है यह केवल आपका डिफेन्स मात्र है। सही तथ्यों पर प्रयास किया जाय तो मैं समझता हूं सही अंजाम पर पहुंचा जा सकता है अन्यथा हम गलत रास्ते पर चले जायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मुझे केवल एक बात और कहनी है जो निलम्बित हुये हैं उसमें पुलिस के जो इन्चार्ज हैं वह नहीं हैं। इमीजियेटली राज्य सरकार जो भी उस समय इन्चार्ज था उसको निलम्बित करे। जो ड्यूटी पर उपस्थित था उसने विशिल बजाई है। मैं समझता हूं सारी बातों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार कोई कदम उठायेगी तो कुछ व्यवस्था हो सकेगी, नहीं तो मुझे लगता है आज का पुलिस का जो प्रशासन है वह इतना उच्छृंखल, भ्रष्ट और गिरा हुआ है कि रक्षक के स्थान पर भक्षक बन गया है। अगर राज्य सरकार पूर्ण सतर्क नहीं रही तो इनके भ्रष्ट आचरण को कभी भी नहीं रोका जा सकता है। मैं निवेदन करना

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

चाहता हूं इन दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(कई मा. सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा और विशेष मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। जो उदयपुर की घटनाएं है। 17 को बोहरा समाज की घटना हुई और 18 को यह हुई...

(अश्रव्य)

मैं मुख्य मंत्री महोदय को केवल सजग करना चाहता हूं–पुलिस की मनोवृत्ति को नही रोका गया तो अन्त में पूरा राजस्थान इनकी मनोवृत्ति से सन्तप्त हो जायगा और हो रहा है। पड़ौसी राज्यों में पुलिस का विद्रोह हुआ है लेकिन वह सरकार के खिलाफ था। यह विद्रोह जनता के खिलाफ है और यह जो विद्रोह हुआ है मैं समझता हूं ऐसा विद्रोह किसी अन्य प्रान्त में नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक घटना है। यह इस बात का द्योतक है, पुलिस की उच्छृंखलता, पुलिस के अनुशासन पर यदि आपने आरम्भ से ही अंकुश नहीं लगाया तो आगे जाकर जनता और राज्य के लिये एक अभिशाप होगा। यह मैंने इसलिये सजग किया 40 हो, 125 हो, 150 रंगरूट हो, लेकिन सहसा ये लोग विद्यार्थियों पर आक्रमण करे और पिटाई करे और बड़ी मार्मिकता से पिटाई करे। यह विद्रोह केवल राजस्थान का ही नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान का है। यह दिशा ज्ञान कराता है कि पुलिस की किस प्रकार की स्थिति है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आप फिर से ध्यान दें–पुलिस का प्रशिक्षण पुलिस के द्वारा न हो, जनता के द्वारा हो–जनता के प्रतिनिधियों का उसमें समावेश हो। जो सारा प्रशिक्षण अभी किया जाता है यह पुलिस की मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। यह नहीं होना चाहिये-पुलिस की अपनी मान्यतायें होती हैं इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय को सजग करना चाहता हूं। कमीशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक निवेदन करना है जैसे माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी ने कहा अन्त में चलकर कमीशन के निर्णयों पर अविश्वास न हो इसलिये अभी से सर्तकता बरतनी चाहिये। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं वन मेम्बर कमीशन के साथ एक मेम्बर और जोड़ दिया जाय। एक मेम्बर जनता का जोड़ा जाय, किसी पार्टी का न हो, योग्य हो ताकि जनता का सही प्रतिनिधित्व कर सके...

कई माननीय सदस्य : निर्दलीय सदस्य हो, इन्डिपेन्डेन्ट हों...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे फुर्सत नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : निकालिये फुर्सत तो।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैं आ रहा हूं, वह योग्य व्यक्ति कौन है। उसका भी हल निकाल लेता हूं। लेकिन यह जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको मत टालिये। यह पुलिस कभी इधर है तो कभी उधर भी है। यदि

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)
सम्भव हो तो राजस्व मंडल का एक मेम्बर दे दें। वन मेम्बर कमीशन इतने बड़े काण्ड के लिये उपयुक्त नहीं है। एक मेम्बर हाई कोर्ट का रख लीजिये और दूसरा मैम्बर राजस्व मण्डल का रख लीजिये। यह पुलिस की मार पिटाई के सम्बन्ध में नहीं है यह पुलिस की मनोवृत्ति के सम्बन्ध में है। यह कमीशन आपने बनाया है, आह्वान दे दिया है जनता को कि मेरे सम्मुख आवो और शहादत देकर चले जावो। इस प्रक्रिया से कौन शहादत दिलवायेंगे और कौन गाईड करेंगे। इस स्थिति का अवलोकन करना चाहिये था। शहादत दिलाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये। इन्वेस्टीगेशन पुलिस के द्वारा न हो, यह सारा शहादत का कलेक्शन कैसे होगा इसलिये इन सब बातों को टर्म्स आफ रेफरेन्स में देखना चाहिये।

तीसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पुलिस का इन्वेस्टीगेशन जैसा माननीय सदस्य ने कहा चार या पांच पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। किनके खिलाफ कमीशन निर्णय देगा, यह निर्णय कमीशन का किस प्रकार होगा। पुलिस का इन्वेस्टीगेशन कमीशन के निर्णयों के कन्ट्राडिक्टरी होगा चालान कौन करेगा ? पुलिस करेगी क्या ? प्रोसीक्यूटर कौन होगा, पुलिस का होगा या क्या होगा ? इसलिये मैं चाहता हूं तफतीश को स्टे किया जाय 40 का हो तो 50 का होगा और ज्यादा का हो तो ज्यादा का होगा। यह मैंने आपसे निवेदन किया। एक निवेदन और है प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है ? माननीय सदस्य ने कहा मारीशस के विद्यार्थी हैं, नेपाल के विद्यार्थी हैं, कश्मीर के विद्यार्थी हैं, यह इन्टरनेशनल इश्यू है। विदेशी छात्रों के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार किया गया तो यह राजस्थान के प्रशासन पर ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के प्रशासन पर इसका आघात पहुंचता है। आपने 15 हजार डेमेजेज के दिये हैं। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में विशिष्ठ व्यवहार किया जाना चाहिये। विद्यार्थियों के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ है और जो सामान का नुकसान हुआ है उसका सही प्रपोर्शन रखा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर यह परम्परा · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो शब्द मैं भी कह दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं निवेदन करना चाहता था · · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं केवल दो शब्द ही कहूंगा · · · ·

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी भी सुन लीजिये। मैं निवेदन करना चाहता था ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट हो और मैं यह भी चाहूंगा कि बिजनिस में किसी प्रकार की उथल पुथल न हो। ज्यादा से ज्यादा बात सामने आये। अगर बिजनिस को रेगूलेट नहीं करें तो फिर मुझे कुछ समय कम करना पड़ेगा। मैं आपके डिस्क्रीशन पर ही छोड़ रहा हूं। नारमल पोजिशन यह है कि जो वक्त दिया जाता है उसी में सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा है लेकिन आप लोगों ने इसको काफी व्यापक कर रखा है। आपको पूरा पूरा

(श्री अध्यक्ष)
मौका मिल गया है। आपके डिस्क्रीशन पर ही छोड़ देना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा लाभ सदन को मिले, आपके बोलने से और ज्यादा से ज्यादा विषय आ सके।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कुछ फैक्ट्स हैं जो सदन के समक्ष नहीं आये हैं वह मैं कहना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हर समय में दोनों साथ साथ ही उठते हैं यह जरूरी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जरूरी तो नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, कुछ फैक्ट्स सामने नहीं आये हैं। मैं वहां होकर आया हूं। कुछ गम्भीर फैक्ट्स हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि माननीय मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। पहला तो यह है····

श्री अध्यक्ष : वाकयात वहरे तवील में न हों।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वहां के होस्टल वार्डन ने एक रिटिन रिपोर्ट सबमिट की है। अगर मंत्री महोदय केवल उसी रिपोर्ट को पढ़ते तो वह अपने अन्दर में बड़ी गम्भीर है और उसमें उन्होंने सारा इन्डीकेशन दिया है। दूसरे मंत्री महोदय ने और राज्य सरकार ने पुलिस को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया है और सारा का सारा मामला कि रिक्रूट्स को सस्पेण्ड कर दिया और उनको अरेस्ट कर दिया– मैं भी वहां पहुंचा हूं और शिक्षा मंत्री जी बाद में पहुंचे हैं और होस्टल के 8 ब्लाक्स, कामन रूम, किचन कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो कि डैमेज्ड न हो और कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो कि शार्प वेपन से डेमेज्ड न हो। यह तथ्य मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह कोई एमेच्योर्ड स्टूडेन्ट्स का होस्टल नहीं नही है। यह मेच्योर्ड स्टुडेन्ट्स का होस्टल है जिसमें लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स करते हैं, डाक्टरेट करते हैं, डेरी आफिसर्स हैं, जम्मू एण्ड कश्मीर के डेरी आफिसर्स हैं, राजस्थान के डेरी आफिसर्स हैं, एग्रोनामी का स्पेशलाइ-जेशन कर रहे हैं। सबके सब एम्पलाइज हैं। उनके जितने स्टेटमेन्ट्स हैं उनमें स्टूडेन्ट का स्टेटमेन्ट नहीं मान सकते हैं, मेजर लोगों के स्टेटमेंट्स हैं। होस्टल और पुलिस लाइन्स के बीच में दीवार है और टूटी हुई है। रिक्रूट्स आये और चले गये और दुबारा आये तो उन्होंने कहा कि एस. पी. ने कहा है कि पीटो। मैंने कई बातें की और सबने कहा है कि रिक्रूट्स दुबारा आये हैं और उन्होंने यह बातें कही हैं कि अब तो एस.पी. साहब की ओर से छुट्टी हो गई है विशल बज गई है। और अध्यक्ष महोदय, 2 ट्रक नहीं, 4 ट्रक, धारा 144 लगी हुई थी और शहर में सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मौजूद थी, बैल आर्म्ड थी, गन्स थीं, हैलमेट थे।

4 ट्रक्स आये हैं और उसमें डी. एस. पी. आये हैं, ए. एस. पी. आये हैं, सब-इन्सपेक्टर आये हैं। खुद होस्टल के वार्डन ने उनके नाम इन्डीकेट किये हैं और उसके बाद एस.पी. साहब की प्रजेन्स भी वहां साबित होती है 8.45 बजे का मामला जैसा

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

माननीय सदस्य जो कि उदयपुर से आते हैं वह बताते हैं। 9 बजे एस.पी. साहब की प्रजेन्स है। 9 और 10 के बीच में कई स्टेटमेन्ट के मुताबिक प्रजेन्स है। कोई स्टेटमेन्ट नहीं है जिसमें 10 बजे के बाद एस.पी. की प्रजेन्स नहीं है और लड़कों को ले जाया गया, अरेस्ट करके पकड़ कर ले जाया गया। लड़कों ने पानी मांगा है और एस.पी. ने कहा हरामजादों तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है और कई लड़कों के हैड इन्जुरी है। 9 बजे यह घटना होती है और 9 बजे सुबह इन्हीं पुलिस के लोगों ने 150 लोगों को हैड इन्जुरी पहुंचाई। वह दूसरा मामला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं विनती करूंगा कि सारे फैक्ट्स इस तरह के हैं कि एस.पी. इम्पलीकेट होता है, ए.एस.पी. इम्पलीकेट होता है, डी. एस.पी इम्पीलीकेट होता है और खेद की बात तो यह है कि खुद शिक्षा मंत्री जी वहां पहुंचे और मेरे पहुंचने के दो घन्टे बाद पहुंचे। एक डी.एस.पी. की स्टेटस के आदमी और एक ए.एस.पी. की स्टेटस के आदमी एस.पी. के इन्क्वायरी करने के लिए बैठे हैं। क्या न्याय होगा ? आप शुक्र मानिये कि इन्सपेक्टर से इन्क्वायरी नहीं कराई। जो जम्मु और काश्मीर के डेरी आफिसर्स हैं उन्होंने आखों आंसु भरकर कहा कि जम्मु कश्मीर में यदि ऐसा होता तो मीर कासिम आते। आज 17 तारीख का वाकया है और एक भी मंत्री नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, डकोयटी हुई है, लूट हुई है। ट्रान्जिस्टर लूटे गये हैं, केश लूटा गया है, पैसे लूटे गये हैं और जलाने की कोशिश की गयी है। कुछ कमरों के अन्दर मैं खुद गया हूं 3 दिन के बाद भी मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। जले हुए कपड़े प्राप्त किये हैं। एक नौजवान जो कि बेहोश हो गया था उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया और आग लगाने की और कोशिश की गयी है। इससे ज्यादा बढ़कर रोमांचकारी घटना हो ही नहीं सकती। इसलिए हाईकोर्ट के जज से कम से कम यह इन्क्वायरी कराई जानी चाहिए। कुदाल साहब इसकी इन्क्वायरी करते हैं मैं समझता हूं कि यह नहीं हो सकती। पुलिस की एट्रोसिटीज रोकने के लिए हाईकोर्ट के जज के बिना यह इन्क्वायरी नहीं हो सकती।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस एट्रोसिटीज के ऊपर इस सेशन में मुख्य मंत्री जी का पहला स्टेटमेन्ट होने जा रहा है और मैं आपसे आशा करता हूं कि हमने रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स की फाइन्डिंग्स का असर देख लिया और हमने जुडीशियल मेम्बर्स की फाइंडिंग्स का भी असर देख लिया। मैं उनकी इन्टीग्रिटी पर किसी प्रकार का डाउट नहीं करता लेकिन पुलिस के अन्दर जो डेन्जरस एटीट्यूड है इन्डीविजुअल को हरेस करने का और मैं समझता हूं कि अगर लाठी चार्ज होता है और उसमें किसी को चोट आ जाये तो हो सकता है लेकिन किसी को ब्रोड डे लाइट में पीटना, बुरी तरह से पीटना यह इतना गन्दा ट्रेण्ड है जो कि बहुत खतरनाक है।

मेरा सुझाव है कि असेम्बली का मेम्बर प्राब का काम करे। असेम्बली के मेम्बर्स जो कि जनता के बीच में रहते हैं उनकी फाइन्डिंग्स इस चीज को जरूर चैक करेगी, मेरा ऐसा सुझाव है इसलिए 3 सदस्य तो कांग्रेस

(श्री केदारनाथ)

के हों और 2 सदस्य अपोजीशन के हों। काण्ड चाहे चूरू का हो चाहे कोटा का हो और चाहे उदयपुर का हो, अगर यहां के मेम्बर्स की फाइंडिंग्स को देख लें तो वह ज्यादा प्रेक्टिकल होगी ऐसा मेरा मानना है।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट का समय लूंगा। क्षमा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जो इस बारे में वक्तव्य दिया गया है क्या इस घटना के होने से पहले पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस के अधिकारी को अपहरण करने की कोई एफ. आई. आर. लाज हुई थी और यदि हुई थी तो कितने बजे? मैं चाहूंगा कि उनको पढ़कर सुनाया जाये।

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई एफ. आई.आर. लाज हुई तो क्या सब-इन्सपेक्टर एस.पी. या डी.एस.पी. ने जिनका अपहरण हुआ है उसे छुड़ाने के लिए रेगुलर कोर्स में कार्यवाही की?

एक मैं यह जानना चाहूंगा कि यानि कोई एफ.आई.आर. लाज नहीं हुई तो क्या यह नहीं माना जायेगा कि इस दुर्घटना होने के पश्चात् जघन्य कृत्य होने के पश्चात् जब राजस्थान सरकार और पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह के ऊपर केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि फारेन कन्ट्रीज के मौरीशश और अन्य स्थानों से आये हुए विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया ऐसे इन्टर-नेशनल रूलर, स्टिगमा और कलंक लग गया तो क्या अपना बचाव करने के लिए यह कहानी नहीं रची गयी है? मैं यह कहना चाहूंगा कि यह साधारण घटना नहीं है जहां एक दो व्यक्ति के साथ मारपीट की गयी है। यह घटना तो सारे पुलिस एड-मिनिस्ट्रेशन और उसके ऊपर जो गवर्नमेन्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है और मंत्री मण्डल के वरिष्ठ मंत्रियों या इस संबंध में जो चौकसी होनी चाहिए उसका अभाव है उसको बहुत बड़ी चुनौती है अध्यक्ष महोदय, दो सौ, तीन सौ पुलिस के लोग एक साथ ट्रकों में भर कर, हथियार ले करके ऐसे तनाव पूर्ण वातावरण में जब कि दूसरी और धारा 144 लगी हुई थी, जब कि पुलिस का इण्टलीजेंस इस बात की खबर रखता है कि विरोधी पक्ष का नेता कैसे कहां जाता है, कौनसी बस में बैठ रहा है, कहां पर मीटिंग कर रहा है, वह इतनी बड़ी हरकत के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं करे, कलेक्टर के पास, एस. पी. के पास, डी. आई. जी. के पास, सी. एम. के पास इतना बड़ा, इस प्रकार प्लान बन रहा है, गेदरिंग हो रही है, असंतोष हो रहा है या प्लान बना करके किस प्रकार की दुर्घटना होने वाली है यह इंटेलीजेंस डिपार्टमेन्ट पर बहुत बड़ा कलंक है। मैं समझता हूं कि या तो यह इनएफिशियेंसी है। या कालोबोरेशन है या उनकी इनएफिशियेंसी है, ग्रोस नेग्लीजेंस आफ ड्यूटी है या डेलीबरेट कोलोबोरेशन है। दोनों ही स्थितियों के लिए मेरा निवे-दन है कि इंटेलीजेंस डिपार्टमेन्ट के जो प्रमुख हैं उनसे त्याग पत्र मांगा जाना चाहिए और इसके साथ के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी इस उदयपुर की घटना को, केवल बोस छात्रावास की घटना को ही, इस सीमा तक न समझें कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इस छोटे से कैनवास में इसको नहीं लें, मेरा स्पष्ट निवेदन है और इस बात पर मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास के अन्दर छात्रों के ऊपर एक साथ सवा घण्टे, डेढ़ घण्टे तक लगातार उदयपुर जैसे नगर के अन्दर जहां पर वायरलैस से मैसेज जाते हैं, आदमी चांद पर चला जाता है कुछ ही घण्टों में, वहां पर 127 कमरों के अन्दर छात्रों को पीटा गया, ट्रांजिस्टर तोड़े गए, किवाड़ तोड़े गए, खून बहता रहा और उसके बाद भी पता नहीं लगे, अध्यक्ष महोदय, यह कुदाल महोदय इसके लिए एक बहुत छोटे हैं इसकी इन्क्वायरी करने के लिए। मैं उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा मानता हूं घटना के महत्व को देखते हुए। इसलिए मैं समझता हूं कि श्री कुदाल के द्वारा इस घटना की जांच करवाना, this is adding insult to injury इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने इसको गम्भीरता के साथ में नहीं लिया। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो गम्भीरता इस मामले में अपनाई जानी चाहिए थी वह नहीं अपनाई गई है। इसलिए तीन हों या पांच असेम्बली के मेम्बर हों या किस प्रकार का कौरम हो, नहीं हो, यह राज्य सरकार तय करे मैं इस बारे में आग्रह नहीं करना चाहता लेकिन यह निश्चित है कि अजमेर जिला कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, मंत्री या कार्यकर्त्ता जो भी वे रहे हों, श्री कुदाल रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर, वह क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करेंगे। प्रशासनिक जांच होती है इनएफिशियेंसी की, यह घनघोर कुकृत्य है जिसके बारे में भारतवर्ष के सारे छात्र जगत में और राजस्थान के छात्र जगत में रोष व्याप्त है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में कुदाल जांच करने के अक्षम हैं। इंक्वायरी के लिए कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है और उस कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस के अन्दर लिखना पड़ता है राज्य सरकार के द्वारा कि यह रेफरेंस के टर्म हैं और कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे चाहे यहां के माननीय सदस्यों से हो या अन्य किसी प्रकार का ट्रिब्यूनल बनाया जावे। यह मेरा विश्वास है कि एक व्यक्ति इसकी जांच नहीं करें, अध्यक्ष महोदय। मैं कहता हूं कि कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे इसकी जांच कराई जाय जिसके लिए आज ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय घोषणा करें। यह तो उनके अपने खुद के दामन को साफ करने के लिए आवश्यक है। आपको अपना चेहरा साफ रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) उन्होंने बार बार कहा है कि वे प्रशासन को ऊपर रखना चाहते हैं, उजागर रखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, आज ही घोषणा की जावे, इसके बारे में टर्म एण्ड रेफरेंस तय करें और उसमें इन बातों को ध्यान में रखा जावे कि क्यों इस प्रकार की यह घटना हुई और कौनसे उच्च अधिकारी थे। कुछ पुलिस के कांस्टेबल्स को बलि का बकरा बना कर सड़कों पर घुमा कर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को बचाने का प्रयास करते हैं यह दूसरा जघण्य कृत्य है। छोटा सा कांस्टेबल को आप पकड़ लें, पटवारी को पकड़ लें, एल. डी. सी. और दूसरे छोटे कर्मचारी को बलि का

(व्यवधान–अश्रव्य)

(श्री गुमानमल लोढा)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

बकरा बना कर कठघरे के अन्दर खड़ा कर दें, हथकड़ी डाल दें, पहले तो उनके साथ आप कुकृत्य करवाते हैं और उसके बाद में बलि का बकरा बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जले पर नमक है। कौन से वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी वजह से यह षड़यंत्र रचा गया। दो सौ, तीन सौ पुलिस वाले वहां पर लगातार हमला जैसा कार्य करते रहे और कोई किसी को बचाने नहीं आवे, कोई आ करके रोके नहीं, कोई प्रिवेंटिव फोर्स नहीं भेजी जावे, रोते हुओं के आंसू नहीं पोंछे जावें, जिनके घाव लगे हैं उन पर दवा नहीं छिड़की जावे, यह सारा का सारा घनघोर षडयंत्र का परिणाम है और यह षडयंत्र साफ होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आज चूरू में दुर्घटना हो, जोधपुर में दुर्घटना हो या धौलपुर में दुर्घटना हो पुलिस वाले नंगा नाच करें जैसे चंगेजखां के टाईम में, तैमूरलंग के टाईम में और बाबर के टाईम में जिस प्रकार की बर्बरता होती है आज उसको बन्द करना होगा। इसको बन्द नहीं किया गया तो अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के अन्दर हम सबको बैठ कर सोचना पडेगा कि कौन से कारगर उपाय ढूंढे जावें और जनतंत्र में आस्था रखने वालों को फैसला करना पड़ेगा कि निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा जो कुकृत्य किए गए हैं उन पर पर्दा डालने के स्थान पर निश्चित रूप से ज्युडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए, ट्रिब्यूनल के द्वारा जांच करवानी चाहिए और उस समय तक वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सीनियर आफिसर हैं, एस. पी. हैं, इंटलिजेंस के इंचार्ज हैं उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगर कुछ प्रमाण मिलें तो उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। उनका स्थानान्तरण इसका पहला कदम है और मैं चाहूंगा और आप भी कहते हैं कि ऐसे प्रश्नों पर विरोधी पक्ष की ओर से सहयोग मिले तो हम इसमें सहयोग करेंगे यदि आज यह घोषणा कर दी जावे। मैं समझता हूं कि आज भारतवर्ष के विद्यार्थियों में और विश्व के अन्दर देश के अन्दर इस बात की सराहना होगी कि बहुत सीरियस एक्शन लिया गया है तो उनमें भी विश्वास प्राप्त हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोनय, माननीय सदस्यों ने जे. सी. बोस होस्टल में जो घटना घटी उसके बारे में चिंता व्यक्त की है, वह स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को नजरन्दाज नहीं कर सकता। और अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार के कदम को समझने की कोशिश की हो तो वे निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि राज्य सरकार ने इसमें कोई भी अपनी ओर से एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं की है। जहां तक दुर्घटना होने का सवाल है, वह हो चुकी थी और यह सही है कि हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होगी। मैं शायद उस दिन सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच में सफर कर रहा था और मुझे वायरलैस से यह मैसेज मिला कि इस प्रकार की कोई घटना हुई

(श्री हरिदेव जोशी)

है । मैंने तुरन्त ही प्रिकोशनरी ग्रादेश वायरलैस से दिया था ग्रौर यहां ग्राने के बाद में मुझे सबसे पहला मैसेज कलेक्टर ग्रौर डी. ग्राई. जी. की मार्फत मिला था । ग्रौर जो कुछ भी कलेक्टर ग्रौर डी.ग्राई.जी. से सुना उसके ग्राधार पर तत्काल मुझे न तो वहां के कोई दूसरे साथी मिल सके उधर के रहने वाले ग्रथवा कोई भी ग्रन्य । मैं ग्रपनी बुद्धि से जो भी कर सकता था मैंने तत्काल कदम उठाया है ग्रौर वह कदम था मैंने तुरन्त ही ज्युडिशियल इंक्वायरी ग्रपोइन्ट करने का ग्रौर मैं निवेदन करूं कि यह जो इंक्वायरी की जा रही है यह कमीशन ग्राफ इंक्वायरी एक्ट के तहत की जा रही है । इसलिए यह इंक्वायरी ग्रण्डर सेक्शन 3 ग्राफ दी कमीशन ग्राफ इंक्वायरी एक्ट 52, एक्ट नम्बर 66 ग्राफ दी 1952 है । इसलिए माननीय सदस्यों को इस बाबत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मन में कहीं भी यह नहीं है कि यह इंक्वायरी ज्यूडिशल नहीं हो, किसी प्रकार का पक्षपात इसके ग्रन्दर रहे ।

ग्रध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो माननीय सदस्यों ने कही कि दूसरी तरफ इन्वेटीगेशन करते हैं इसको रोक दिया जाना चाहिए, साइमलटेनियसली होने पर प्रिजूडिस कर देगी, हमने इसको भी रोक दिया है ।

जोधपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या ग्रापको पहले से इस बात की एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज हुई है, वहां पर किन्हीं लोगों को रोक रखा गया था । मेरी जानकारी में न तो यह एफ. ग्राई. ग्रार. है ग्रौर न वह एफ. ग्राई. ग्रार. है जिसमें इस प्रकार की कोई पेंट वगैरा की चोरी की बात हो । इस प्रकार की एफ. ग्राई. ग्रार. की जानकारी इस ग्रोर की या उस ग्रोर की जानकारी में नहीं है ।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : उनको बचाने का भी नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : जो कुछ भी मुझे जानकारी मिली है वह है । मैंने यह नहीं कहा कि फेक्ट यह है जिसको हमने वेरीफाई किया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उनकी एफ. ग्राई. ग्रार. ।

श्री हरिदेव जोशी : माफ करें । सवाल तो ग्रापका वह वाला है कि जो कुछ स्टेटमेंट में कहा गया है यह कहा है····

श्री गुमानमल लोढ़ा : "It is alleged."

श्री हरिदेव जोशी: "It is alleged." हमारी कोई फाईंडिग नहीं है । ग्रौर मैं भी नहीं कहता कि जिन 40 ग्रादमियों को सस्पेंड किया गया है उनके सिवाय ग्रौर कोई दोषी नहीं है, या मैं यह भी नहीं कहता कि कोई उच्च ग्रधिकारी इसमें शरीक नहीं था । मैं यह भी नहीं कहता हूं कि जो 40 ग्रादमी सस्पेंड किये गये हैं यह उनके खिलाफ फाईंडिंग है । मुझे स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो राय इसमें दी उसके ग्राधार पर उस समय यह कदम उठाया है । यह कदम ग्रधूरा भी हो । मैं नहीं कह सकता, मगर मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार के लिए ही इत्तिला मिली कि रिक्रूट्स ने ऐसा किया है तो राज्य सरकार ने तत्काल यह कदम उठाया

(श्री हरिदेव जोशी)

है यहां से नाम इन्डीकेट करने का प्रश्न नहीं था। कलेक्टर को यह इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये कि जो भी इन्वाल्व्ड मालूम पड़ता हो उसको सस्पेंड कर दें। डी. आई. जी. ने कहा मुझको कि रिक्रूट्स ने ऐसा कियां है तो हमने डी. आई. जी. को कह दिया कि जो भी वह है सस्पेंड कर दें। सरकार ने किसी स्पेसिफिक आदमी को उसमें से निकाल देने की बात नहीं कही। जो भी गुनहगार है उनका चालान कर दें। उस वक्त सारे डिटेल्स भी नहीं आये थे। डिटेल्स बाद में आये थे तब तक हमने यह समझा कि मेटर इज वेरी सीरियस इसलिए इसकी एन्क्वायरी हो ही जानी चाहिए, तटस्थ एन्क्वायरी हो जानी चाहिए। आमतौर से जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि विभाग के लोगों में आपस में एफिमिटी होती है। लोगबाग यह चाहते हैं कि विभाग के द्वारा ही इसको हल करने की बात कही जाय। हमने उस वक्त कह दिया कि जो लोग वहां पर स्टेशन्ड है वह एन्क्वायरी नहीं करेंगे। सी. आई.डी. से कराने की आपने कहा वह बात नहीं है। आज जो सस्पेंडेड हैं अथवा नहीं हो वह कमीशन के सामने अपनी बात को साफ कर सकते हैं और एलेज कर सकते हैं कि अमुक लोग भी थे और उनका एप्रिहेन्शन यह था। यह जलाना चाहते थे अथवा वह चीज थी वह सारी चीजें उसके अन्दर आ सकती हैं। आज जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनके सिवाय अभी तक किसी पर मुकद्दमा नहीं चल रहा है और वह चल भी नहीं सकता है क्योंकि स्टे कर दिया है। इसलिए कोई भी एस.पी. इन्वाल्व्ड था, एडिशनल एस. पी. इन्वाल्व्ड था, डी.वाई.एस.पी. इन्वाल्व्ड था अथवा दूसरा कोई था वह कमीशन के सामने अपनी बात रख सकते हैं। सरकार की ओर से, मैं गवर्नमेंट की ओर से इस सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि कमीशन जो भी अपनी फाइंडिंग्स देगा गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगी। कतई मेरे दिमाग में यह नहीं है कि किसी राज्य कर्मचारी को डिफेण्ड किया जाय और बगैर किसी कारण से डिफेण्ड किया जाय। राज्य कर्मचारियों ने किसी के राखी बान्धी हैं? किसको डिफेण्ड करें? किनको डिफेण्ड करें, मुझे उनसे कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनको डिफेण्ड करने जाऊं। मेरा मानस कतई इस प्रकार का नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों ने यहां पर जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि यह कमीशन के सामने तथ्यों को रखें।

माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट के अन्दर कहा है कि गवर्नमेंट को खेद है कि ऐसा हुआ है। उस दिन डी. आई.जी. ने भी खेद प्रकट किया था। लोगबाग गवर्नमेंट के बारे में यह महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट की प्रेस्टीज होती है कि वह खेद व्यक्त नहीं करती है। कोई खेदजनक घटना होती है उसमें खेद प्रकट करने में कोई गवर्नमेंट की प्रेस्टीज खराब नहीं होती है। इसलिए न मैं किसी फाल्स प्रेस्टीज के बारे में कहना चाहूंगा और न मेरे दिमाग में यह है कि कोई एस. पी. यदि गुनाहगार है तो भी उसको बक्शा जाना चाहिए।

श्री केदारनाथ : शहादत कौन पेश करेगा?

Page No 56

(५८)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : Who will conduct the cases of students ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस मामले में माहिर नहीं हूं। अगर कोई शहादत पेश करवाने की मशीनरी इन्स्टीट्यूट करने की बात हो that will be done.

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टुडेन्ट्स की...

श्री हरिदेव जोशी : मैं एडवाइस ले लूंगा। एडवाइस लेकर इसमें एक्शन लेने की जरूरत है That would be done; that should be done.

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक प्रश्न है कि इसमें एक और एड कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करूंगा कि कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट के तहत नोटीफिकेशन भी निकल गये हैं और गजट में शाया हो गये हैं।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : एमेंड कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : It would be an aspersion on the Commission. The Commission has started its working, it has issued notices और कमीशन को जो हमने इन्स्ट्रक्शन्स भेजी हैं तो उसमें 3 महीने का टाईम दिया है और कहा है कि 3 महीने से आगे एक दिन का भी टाईम नहीं बढ़ायेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्षमा करेंगे। बिहार गवर्नमेंट ने मिश्रा साहब के मर्डर की जांच के बारे में एक एन्क्वायरी कमीशन इन्स्टीट्यूट किया था और सेन्ट्रल गवर्नमेंट एन्क्वायरी कमीशन के डिक्लेरेशन के बाद कुछ अहमियत समझी तो लेटर्स के जाने के बाद उसकी अहमियत को समझा और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा रिकन्स्टीट्यूट कर दिया। रिकन्स्टीट्यूशन में लीगल डिफिकल्टी नहीं है। मैं समझता हूं कि कान्फीडेन्स के लिए आवश्यक है कि एक और एड कर दें।

श्री **हरिदेव जोशी** : मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। यह बात मुझे कहना चाहिए अथवा नहीं कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं लेकिन इसमें विद्यार्थियों को कान्फीडेन्स में लिया है, और मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा कमीशन के काम में किसी प्रकार का इन्टरफियरेन्स करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। किसके लिए इन्टरफियरेन्स करें? इसलिए सदन को विश्वास करके चलना चाहिए कि कमीशन एक इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी है अन्डर कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट, वह कोई डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कमीशन नहीं है। वह कायम कर दिया गया है और गजट में शाया हो गया है और नोटिसेज निकल गये हैं। The work has been started इस स्टेज पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि अमुक ने क्या रिपोर्ट दी है और अमुक ने क्या रिपोर्ट दी है। वह रिपोर्ट मेरे पास में है मगर वह एन्क्वायरी को प्रेज्युडिस करेगा। इसलिए सारी रिपोर्ट्स एवेलेबल हैं कमीशन को। वार्डन ने जो रिपोर्ट पेश की है, किस ने कुछ रिपोर्ट पेश की है वह सारी की सारी रिपोर्ट कमीशन के लिए एवेलेबल हैं। कमीशन इन पर रिपोर्ट करेगा। मैं गवर्नमेंट की ओर से कह सकता हूं वह यह है कि राज्य सरकार कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर

(श्री हरिदेव जोशी)

जिस प्रकार से कमीशन लिखेगा, जो कमीशन की मन्शा है उस प्रकार से राज्य सरकार कार्यवाही करेगी यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष, एक बात यह है कि यह सारा पुलिस वालों के ऊपर निर्भर है। यह कुछ भी हुआ। एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट हुई लेकिन जहां तक शहादत का प्रश्न है, गवाहों को लाने का है..

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह मैंने नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने (मुख्य मंत्री) कहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पुलिस वाले वहां पर बैठे हैं जब तक उनके खिलाफ गवाह देने कौन आयेगा ? उनके खिलाफ कार्यवाही करने को आप तैयार नहीं हैं। उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। एन्क्वायरी कमीशन एक्ट के अन्दर मान लें कि एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दें तो भी कौन गवाह देने आयेगा ? आपने उनको वहां पर बैठा रखा है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि अब बीच में कमीशन की इस स्टेज के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। अब तो कुछ भी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही हो सकेगा। अगर किसी को सस्पैंड नहीं किया है तो आज सस्पैंड नहीं कर सकते हैं। कमीशन इन्स्टीट्यूट हो गया है इसलिए नहीं कर सकते हैं। इसमें अब कोई एक्शन अपने आप में एन्क्वायरी कमीशन की एन्क्वायरी को प्रेज्युडिस करेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस प्रश्न के ऊपर कमीशन के पर्सोनल में वह न एड करने को स्वीकार करते हैं और न एन्क्वायरी कमिश्नर जिनके बारे में सदन के सदस्यों ने अविश्वास प्रकट किया है बदलने को तैयार हैं और न डी. वाई. एस. पी. व दूसरे अधिकारियों को हटाने की बात को स्वीकार करते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि यह सारी एन्क्वायरी फाल्स है। इसलिए इस प्रश्न पर हमारी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(जनसंघ के मा. सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अविश्वास नहीं किया गया। We want an important man.

श्री खेतसिंह : उनको तो जाना है बाहर।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का बीसवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं कि "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन मे अपनी सहमति प्रकट करता है।"

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय बढ़ाया गया ।

विधेयकों का पुरःस्थापन

विधेयकों का पुरःस्थापन ।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 29 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय, (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 28 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में श्री अमृतलाल गहलोत अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

(1.42 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, 1973-74 में पिछले साल के मुकाबले स्टेट इन्कम में काफी बढ़ोतरी हुई है। सन् 1972-73 में स्टेट इन्कम 740 करोड़ रुपये थी जो 1973-74 में बढ़कर 826 करोड़ हो गई। यह इन्कम पिछले साल के मुकाबले 12 पर्सेन्ट ज्यादा है यानी स्टेट इन्कम में 1955-56 के भावों के मुकाबले 12 पर्सेन्ट की इन्क्रीज हुई है। इसी प्रकार पर केपिटा इन्कम में भी बढोतरी हुई है जो 1972-73 में 251 रुपये से बढकर 1973-74 में 304 रुपये हो गई है यानी इसमें भी 8 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है। बढ़ते हुए भावों के बारे में कल डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही उत्तेजना दिखाई थी। चीजों के भाव जरूर पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़े हैं। 1974 में गये साल के मुकाबले 35 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है यह बढ़ोतरी थोक भावों की है और खुदरा भाव लगभग 29 प्रतिशत बढ़े हैं। परन्तु यह भी देखना चाहिए कि यह भाव केवल अपने प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों और पूरे देश में बढ़े हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतने ज्यादा भाव बढ़ाना चाहते हो क्या ? यह गलत है।

श्री अमृतलाल गहलोत : भारतवर्ष अरब देशों से पैट्रोलियम का आयात करता है। पैट्रोलियम के भाव अचानक उन देशों ने बढ़ा दिये। अगर पैट्रोलियम के भाव दुगने-तिगुने और चार गुने बढ़ सकते हैं तो आप बताइये क्या मंहगाई पर असर नहीं पड़ेगा। मंहगाई बढ़ेगी ही। हम पैट्रोलियम विदेशों से आयात करते हैं और हमको भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। आज भाव कहां नहीं बढ़े हैं, फ्रांस में, अमेरिका में और कई देशों में भाव तिगुने हो गये हैं तो क्या इसका असर हमारे देश में नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हम शक्कर 12 लाख टन बाहर भेज रहे हैं जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। उसका भी हमको अच्छा मूल्य मिलता है तो मेरे कहने का मतलब है कि भाव दोनों ही तरफ बढ़े हैं। भारत से भेजे हुए बासमती चावल कुवैत में 8 रुपये किलो दिये जाते हैं। फिर भी पिछले कुछ महीनों में इस ओर कार्यवाही की गई है जिससे चीजों के भाव स्थिर हुए हैं और 1974 के आखिरी महीनों में कीमतें और बढ़ने से रुकी हैं। भाव गिरे भी हैं। अतः केवल सरकार को दोष देना कि मंहगाई बढ़ी है, यह उनकी अव्यवस्था से हुआ है, मैं समझता हूं यह बिल्कुल निराधार है। मैं यह मानता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सिच्युएशन को देखते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस पर गौर करना चाहिए।

सिंचाई के क्षेत्र में भी राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण काम किये गये हैं। 1971 से विश्व बैंक की आर्थिक सहायता द्वारा सिंचाई की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये जो प्रयास किये जा रहे थे उसमें 1974 में सफलता मिली है। मुख्य सचिव

(श्री अमृतलाल गहलोत)

की अध्यक्षता में भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल ने विश्व बैंक से इन योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 1974–75 से प्रारम्भ होकर कुल 6 वर्षों की अवधि में 139.20 करोड़ रुपये का ऋण विश्व बैंक से प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार चम्बल क्षेत्र के लिये, यह राशि तो है राजस्थान नहर क्षेत्र के लिये, और चम्बल क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से 73.20 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी। विश्व बैंक के सदस्यों के सामने जब ऋण की मांग की जाती है तो वह प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेन्स देखती है, इसके लिये राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट की इन्कम को और अधिक बढ़ाने के लिये हमको उत्पादन वृद्धि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिये मैं आशा करता हूं निश्चित रूप से भाग्य हमारे साथ रहेगा। अब मैं कृषि के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। राजस्थान में 6 करोड़ एकड़ भूमि पर कृषि की जाती है। हम कितना भी जोर लगावें, जैसा कि कल मैंने कहा था कि तीन तरीके हमारे पास हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इनकी नदियों से पानी हमारे राज्य में लाया जावे और सिंचाई के काम में लिया जावे। इन सबके पानी में हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। तत्कालीन सिंचाई मंत्री के. एल राव ने एक योजना भी सिंचाई के बारे में प्रस्तुत की थी। वे गंगा के पानी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहते थे जिससे हमको भी फायदा मिल सकता था। इसके अलावा हमको भू-गर्भ के पानी का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिये। अब दो चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय जिसके लिये राजस्थान सरकार को कोशिश करनी चाहिये। आज हमारा अधिकतर भूभाग पानी के बिना रह रहा है जिससे सिंचाई के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं इसलिए हमको सिंचाई में मैकेनिज्म का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिये। स्प्रिन्कलिंग इर्रीगेशन और लिफ्ट इर्रिगेशन का भी उपयोग अधिक होना चाहिये। इस तरह का उपयोग इजराईल में किया जा रहा है, ड्रिप और स्प्रिन्कलिंग इर्रीगेशन का। इस प्रकार के साधनों से हम ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहां भूभाग अधिक है और पानी बहुत कम है, हम अधिकतर वर्षा के पानी पर निर्भर रहते हैं इसलिए हमको जो भी पानी उपलब्ध है उसका अधिकतम उपयोग करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि विद्युत मण्डल की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस ओर अधिक प्रयास की आवश्यकता है। पिछले साल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के 23 वें पैरा के अनुसार 15 हजार कुओं के विद्युतिकरण का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य एक हजार बस्तियों के लिये था। इसके स्थान पर अब 254 बस्तियों और 10500 कुओं के लिये विद्युतिकरण का लक्ष्य रखा गया है जो 25 और 70 ही पिछले साल के मुकाबले है। जहां तक कुओं का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि पिछले कई महीनों में इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक हजार का भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। इसलिये

(श्री अमृतलाल गहलोत)

इस ओर एक अभियान के रूप में कार्यवाही होनी चाहिये। जनवरी के अन्त तक 10,500 कुओं का विद्युतिकरण हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक किसान अपने इलाके में खेती करता है तो एक यूनिट लैन्ड के लिए 10) तक खर्चा आता है। परन्तु जब उसको बिजली मिल जाती है तो केवल 1 रु. ही आता है। देहातों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन मजदूरों को 5,48,317 भूखंड आवंटित किये गये हैं परन्तु, अध्यक्ष महोदय, शहरों में इस प्रकार का कोई आवंटन नहीं हुआ है। कच्ची बस्तियों में एन्वायरमेन्टल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत 1974-75 में 80 करोड रुपये खर्च के लिये रखे गए हैं इसमें से 35 लाख जयपुर के लिए, 15 लाख जोधपुर के लिए और 4 लाख रुपये अजमेर शहर के लिये रखे गये हैं। इसके अलावा 1975-76 में सालाना योजना के लिए 105.50 करोड रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है उसमें से जोधपुर के लिए 30 लाख रुपये ही रखे गये हैं जब कि जोधपुर में 45 लाख रुपयों के कामों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और काम भी चालू कर दिया गया है, ऐसी हालत में यदि पूरा पैसा नहीं मिला तो काम अधूरे ही रह जावेंगे। अर्थात् विद्युत् मिलने से सिंचाई की कीमत कम आती है। साथ ही साथ जालौर जिले में लाइट डीजल आइल की देश की सर्वाधिक खपत यदि वहां बिजली चली जाय तो लाइट डीजल आइल पर खर्च, विदेशी मुद्रा बचेगी। जैसा कि हमारे प्लान में सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जालौर, बाड़मेर और सिवाना तहसील में अकाल का जबरदस्त प्रहार हो रहा है। वहां पर एक तिहाई पोपुलेशन इन्साल्टेड हो जायेगी अकाल से। उन्होंने एलम्यूनियम कण्डक्टर के लिए दो तीन फर्म से बात की। लेकिन हुआ क्या, एकाएक चीजों को गायब कर देने से मनमाना भाव हो गया और विद्युत् मण्डल ने मुंह मांगा पैसा दिया है। कानून के अन्दर यह होता नहीं है। हम उसको कैंसिल कर सकते थे। आगामी वर्ष में हमें यदि अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस बारे में सोचना चाहिए। विद्युत् शक्ति हमारे पास है। अगर ट्रांसमीशन का तरीका नहीं निकाला गया तो वह हवा में उड जाएगी। राजस्थान की बिजली पर अन्यों की नजर पड गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो चीजों का राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र नहीं है। एक तो उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके बारे में क्या किया गया है। शायद आप इसको हास्यास्पद समझें, पर मैं इसको कटु सत्य समझता हूं। यदि इस देश में इसी प्रकार से वृद्धि होती रही और जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो कितनी ही योजनाएं बनायें, वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

दूसरी चीज है, जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया है, वह है अनएम्प्लायमेन्ट। बेरोजगारी। अकाल पड़ गया तो राहत कार्य खोले गये। इससे विकास का पैसा कम होगा। इससे रोजगार की जो क्षमता थी, वह कम हो गई।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज इस बारे में आंकड़े देता है। हमारे यहां ट्रेण्ड लोग वर्षों से बेकार पड़े हैं। दिनों दिन अनएम्प्लायमेन्ट बढता जा रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि नवयुवक कहीं कहीं हिंसात्मक हो जाते हैं उनके मस्तिष्क में विचित्र बात घुस जाती है। वह वर्षों से बेकार बैठे हैं। बड़े बड़े बाल रखे हुए हिप्पी बने फिरते हैं। आखिरकार उनके दिल में भी जलन है। वह कभी भयंकर विस्फोट का रूप धारण करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शहरों में गन्दी बस्तियां है। राजस्थान सरकार ने दिसम्बर से लेकर 26 जनवरी तक 5,48,357 लोगों को देहाती क्षेत्र में भूखण्ड, अनुसूचित जाति, जनजाति और हरिजनों को एलाट किये हैं। यह बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। परन्तु राजस्थान सरकार ने जो कच्ची बस्तियों में, नगर में रहते हैं, उनके लिए क्या किया है ? जो वहां नर्क जैसी स्थिति में रहते है। गांवों में रहने वालों से भी ज्यादा खराब हालत में रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्ष गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये 74–75 में 50 लाख रखा। 54 लाख खर्च हुआ। जिसमें 35 लाख जयपुर में खर्च हुआ। परन्तु इस आगामी वर्ष 75–76 में 30 लाख रखा गया है। बड़े शर्म ी बात है कि 74–75 में 80 करोड़ की योजना थी। और 75–76 में 105.50 करोड़ की। एक तो बजट में पैसा कम देंगे। दूसरे शहरों में बहुत ही कम देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शहरी क्षेत्र से आता हूं और जनता का दुखदर्द आपके द्वारा सरकार को पहुंचाना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट और लूंगा।

एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेकर के 45 लाख के जोधपुर में काम शुरू करा दिये गये हैं। एक चीज की ओर ध्यान दिलाऊं। आजकल जो कुछ भी गन्दी चीजें शहरों में इकट्ठी होती है इनको कम्पोस्ट किया जाये। इनका साइण्टिफिक कम्पोस्टिंग किया जाये तो 5 लाख टन कम्पोस्ट मिल सकता है। 5 लाख टन टाउन कम्पोस्ट मिल सकता है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करता हूं कि शहरों की गन्दगी को दूर किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्कूलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 25 माध्यमिक स्कूल खोले गये। 115 क्रमोन्नत किये गये। दो सेकेण्डरी स्कूल, एक हायर सेकेण्डरी, राजस्थान प्रदेश में खोले जायें तो यह कोई मजाक की बात है।

श्री भगराज चौधरी : एक खुला है, वह भी प्लान में नहीं था।

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिक्षा के लिए इस प्रकार से शिथिलता लाना हास्यास्पद है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे से पूर्व वक्ता माननीय गहलोत जी ने कुछ मुद्दों पर जो विचार प्रकट किये, उन पर मैं अब नहीं बोलना चाहता। मैं समझता हूं कि राजस्थान जब से बना और जिस प्रकार की पृष्ठ भूमि में होकर गुजरा वह बनने से पूर्व जो सामन्तवादी तत्वों से ग्रस्त ग्राम

(श्री शोभाराम)

लोगों के दिमाग थे इसलिए कतई तरक्की नहीं हो पायी। इन तमाम चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन पर बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन मैं राजस्थान के किसानों के बारे में ही कि उनके लिए अभी क्या किया जा सकता है और जो कुछ भी हम कायदे-कानून बनाते हैं उनका लाभ उनको मिल सकता है, अपनी तकरीर को सीमित रखना चाहता हूं।

रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में इतना निवेदन करना है कि कुछ दिन पूर्व राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया कि प्रत्येक किसान को, लैंड होल्डर को, पास बुक वितरित कर दी जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि कितने किसानों को पास बुक वितरित की गई और कितने किसानों को अभी तक पास बुक वितरित नहीं कर पाये। इसमें जल्दी की जाय लेकिन इसके साथ साथ जब तक इस पास बुक को एवीडेंसियरी वेल्यू नहीं दी जायगी तब तक उनको पास बुक वितरित करने से कोई लाभ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि लैंड रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जिस प्रकार और दस्तावेज रेवेन्यू के हैं जिनकी एवीडेंसियरी वेल्यू हैं उसी प्रकार इस पास बुक की एवीडेंसियरी वेल्यू होनी चाहिए। हम समझते हैं कि जब पास बुक की एवीडेंसियरी वेल्यू हो जाती है तो जितनी फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, फाइनेंस कार्मशियल बैंक हैं, और इन्स्टीट्यूशन्स हैं, दीगर रिसोर्सेज हैं, जिनसे लोन मिलता है उसके लिए पास बुक एक आधार बन जाता है कि इसके नाम की मिल्कियत है। मैं समझता हूं कि इसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर आवश्यक संशोधन करके इसको किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और है, जब जमीन का परिवर्तन होता है, लैंड ट्रान्सफर होती है किसी भी शक्ल में, तो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रेशन आथोरिटी है, उसमें जो सब रजिस्ट्रार है वह बिना टाइटल में जाये हुए रजिस्ट्रेशन कर देता है। मैं समझता हूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में यह अमेंडमेंट होना चाहिए कि सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार तब रजिस्ट्रेशन करेगा जब किसी प्रापर्टी का ट्रान्सफर किया जा रहा है, उस ट्रान्सफर के बारे में वह पूरा देख ले कि वाकई में मिल्कियत या स्वामित्व रखता है या नहीं। एक यह चीज लाजिमी हो जाती है तो बहुत सी मुकदमेबाजी से लोग बाग बच जाते हैं। किसी नाम से पहले रजिस्ट्रेशन किसी ने कराया, फिर असली मालिक मुकदमेबाजी में पड़ता है। उसमें वर्षों गुजर जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी इस प्रकार की तरमीम होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए।

मैं बहुत दिनों से सोचता हूं कि सैटलमेंट डिपार्टमेन्ट करता क्या है। 18-18 वर्ष हो गए, सेटलमेन्ट संवत् 74 में हुआ था। लेकिन अभी तक मुकदमेबाजी उसकी चल रही है। लोग बड़े परेशान हैं। इस सैटलमेंट डिपार्टमेंट को खत्म ही क्यों न कर दिया जाय। क्या जरूरत है इसको रखने की। दो मकसद के लिए सैटलमेंट डिपार्टमेंट कायम रखना सोचा गया। एक तो यह कि बीस, पच्चीस साल के अन्दर जो जमीन इरिगेशन के अन्दर आयी, उन पर चाही रेट का करार देना,

(श्री शोभाराम)

दूसरा यह कि हम हर सैटलमेंट पर कोस्ट आफ प्राइस इन्डेक्स को ध्यान में रखकर कुछ पर्सेन्ट बढ़ाना चाहते हैं। वह भी 25 पर्सेन्ट है, उससे ज्यादा हम एक दफा में नहीं बढ़ा सकते। मैं प्रतिशत के बारे में नहीं कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि बीस साल के सैटलमेंट के बाद गवर्नमेंट एक कलम से यह कह दे कि इन किस्म के बारे में इतनी रेट थी, उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। वृद्धि एक आर्डर से हो जायगी। दूसरा जो उद्देश्य रह जाता है कि 20 साल के अन्दर कितना इरिगेशन बढ़ाया, और बढ़ाया उसके जरिये से, कमाण्ड में आने से जो कीमत बढ़ी, जो किस्म जमीन की बदली उसके नार्म्स तय हो जाने चाहिए। और नार्म्स के लिए नार्मली आठ जिलों के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि उनमें ज्योलोजिकल सर्वे हो चुकी है। उसके आधार पर मैं समझता हूं कि रेट मुकर्रर की जा सकती है।

अब दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जब कि हम रेट की वसूली की बात करते हैं तो पंचायत समितियों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के पास कोई काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जो फण्ड का पैसा आता है वह तो खैर तनख्वाह वितरित करने में लग जाता है। फिर वह हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं। जिस वक्त पंचायतों की शुरुआत की गई थी तो लोगों में उम्मीद थी। अब दो विकल्प हो सकते हैं या तो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों को खत्म कर दिया जाय या इनके लिए मेजर डिपार्टमेंट्स के सब्सटेंसियल फण्ड को डाइवर्ट कर दिया जाय। अगर लोगों के इन्वाल्वमेंट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि एजूकेशन, पी. डब्ल्यू. डी, इरिगेशन जितने भी ऊंचे डिपार्टमेंट हैं जिनकी जिम्मेदारी शुरू में पंचायत समितियों पर रखी गई थी, उनके मेजर हैड्स से इनके लिए सब्सटेंसियल फण्ड डाइवर्ट कर दिया जाय और उनके लिए सीमा निर्धारित कर दी जाय कि इतने हद तक छोटे बांध, इतनी सड़कें, इतने मिडिल स्कूल तक में से इतनों को अपग्रेड करने के लिए फण्ड डाइवर्ट किये जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह जो हमारी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति-इनको कायम रख सकते हैं। उनको रखना भी लाजिमी है। नहीं तो मैं समझता हूं कि इन्हें कायम रखना इस तरह की शक्ल, अवस्था में किसी तरह सम्भव नहीं है। एक दूसरी बात मनी लैंडर्स के बारे में कहना चाहता हूं हम जानते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो प्राइवेट एजेंसी से लोन लिया जाता है इसमें किसान का बहुत बड़ा शोषण हुआ है। मैं समझता हूं कि अभी कुछ गवर्नमेंट ने यह कानून पास किया है, जिसमें कहा है, जिन्होंने मनीलैंडर्स से कर्जा लिया है, जिनकी होल्डिंग चार एकड़ से कम है, उनका ओटोमेटिकली स्केल जितना डेट है वह माफ कर दिया जायगा, और एक स्केल तक सब कर्जा माफ हो जायगा। दूसरा उन्होंने क्या किया, कई जगहों पर किया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक डेट रिलीफ बोर्ड कायम कर दिया गया, जिसमें जन प्रतिनिधि भी काफी मात्रा में शामिल होंगे, पांच का बने, सात का बने-वह एक जिले में बैठ कर मनीलैंडर का

(श्री शोभाराम)

जितना कर्जा है, वह उनके समक्ष पेश होगा और उनको पूर्ण अधिकार होगा कि जितना कर्जा है उसको स्केल डाउन कर दे, दस हजार का कर्जा है तो पांच हजार कर सकते हैं उनको पच्चीस साल की किश्तों में बांट सकते हैं जब तक इस तरह के कायदे कानून अपने यहां न हों व डेब्ट रिलीफ बोर्ड की स्थापना न हो, जितना मनी लैंडर्स का कर्जा है राइट आफ न किया जाय तब तक यह जो वित्तीय संस्थाओं का लाभ लेना चाहते हैं उससे वंचित रह जायेंगे।

मैं सहकारिता के बारे में सहकारिता विभाग की मांगों के समय सुझाव पेश करूंगा। लेकिन दो तीन बातें ऐसी हैं जिनके लिए कहना लाजमी हो जाता है। वसूली की पोजीशन बहुत खराब है, एम्बेजिलमेंट के केसेज पड़े हुए हैं, 35 करोड के ओवर ड्यूज पड़े हुए हैं, एक साल में 16 प्रतिशत की वसूली हुई। कुछ एसिस्टेंट रजिस्ट्रार्स के पास आर्बीट्रेशन के केसेज पड़े हैं, एग्जीक्यूशन आफ अवार्ड्स बहुत दिनों से पड़े हैं। गबन के केसेज पुलिस को देंगे, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। कम से कम एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दें कि सेक्शन 34 के अन्दर आर्बीटेशन के केसेज का और एग्जीक्यूशन आफ अवार्ड को '6 महीने में फाइनलाइज करके कार्यवाही की जाय। अगर नहीं करते हैं तो जहां नान-आफीशियल्स पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं वहां एसिस्टेंट रजिस्ट्रार के डिमोशन, टर्मीनेशन और डिसमिसल का भी उनकी सर्विस कन्डीशन्स में आ जाना चाहिए क्योंकि यदि लिमिटेड पीरियड के अन्दर जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है अगर वह पूरा नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ डिस्पलनरी कार्यवाही करनी चाहिये, उनके डिसमिसल तक सोचा जा सकता है। इस तरीके से अगर चीज होती है तो को-आपरेटिव्ज की सफलता के बारे में मुझे कोई शंका नहीं है।

अभी मोटा कपड़ा या मोटा अनाज वितरण के बारे में जो प्राईवेट डीलर्स मुकर्रर किए गये उसका हमने विरोध किया। हम सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण की बात करते हैं। सरकार के स्पेसीफिक आदेश होने चाहिए कि कोई भी इन्डिवीज्यूअल, विजनेसमैन वितरण के लिए नियुक्त नहीं किया जायगा। अगर एक सहकारी समिति के पास फंड्स नहीं हैं तो दूसरी समिति है पास में उसको यह काम दे सकते हैं। आखिर हम एम्पलाईमेंट पोटेन्शल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वितरण व्यवस्था में ऐसा काम करना चाहिये ताकि आम लोगों के पास आवश्यक वस्तुएं सही दाम में पहुंच जायें। अगर ज्यादा दाम होता है तो सेविंग्स कम हो जाती हैं और कैपीटल फार्मेशन में बाधा होती है।

सर्विसेज के बारे में एक इकोनोमी कमेटी बैठी। उसके फलस्वरूप चपरासियों और छोटे मोटे क्लर्कों को हटाया गया। कोई हैड आफ डिपार्टमेंट, कमिश्नर या एसिस्टेंट कमिश्नर नहीं। विभाग में एक कमिश्नर, फिर एडीशनल कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर सहायक कमिश्नर याने 4 चरण होते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। इनको घटाकर दो लेविल्स की जा

Page No 66

(66)

(श्री शोभाराम)

सकती है। इस तरह सचिवालय में आफिस सुपरेटेंडेंट लाजमी है लेकिन उसके ऊपर सहायक सचिव, उप सचिव, एडीशनल सचिव और फिर सचिव। आखिरकार 4 लेविल्स से होकर अगर कोई चीज गुजरती है तो कोई माइने नहीं। दो स्टेजिज को जरूर खतम करना चाहिये। इन चारों की जरूरत नहीं है। सहायक सचिव के पास उप सचिव व एडीशनल सचिव की जरूरत नहीं, सीधा सचिव के पास कागज जाना चाहिये। जल्दी डिस्पोजल किसी कागज का इसलिए नहीं होता कि कई चरणों से गुजरता है।

सर्विसेज के लिए प्रोमोशन और डिमोशन का इन्सेंटिव और डिसइन्सेंटिव होना चाहिए उनके काम की परफॉर्मेन्स आडिट होनी चाहिए हमें देखना चाहिये कि एक कर्मचारी ने किस हद तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। जो समय हमने निर्धारित किया था उसके अंदर निभाई या नहीं। उनका परफार्मेंस कैसा है। उस आधार पर ही उनकी तरक्की होनी चाहिये तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि अभी तक जो केवल फाइनेन्शल आडिट होती हैं उसका कोई मतलब नहीं।

मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर कोटा डिवीजन के तीनों जिले व गंगानगर में इनमें ए. आर. सी. स्कीम्स को आर. ई. सी. की स्कीम्स से कोआर्डिनेट की बात कुछ माननीय सदस्यों ने कही। कहने से काम नहीं चलेगा। एक कमेटी बनाई जाए जिसमें ए. आर. सी. के डिप्टी गवर्नर जो इन स्कीम्स को डील करते हैं, मुख्य मंत्री बुलायें और एग्रीकल्चर की स्पेशल सेल में स्कीम्स बनाते हैं व उसमें जन प्रतिनिधि भी हों, वे बैठकर कम से कम एक समय निर्धारित किया जाय कि इतने समय में पूरे जिलों को ए. आर. सी. स्कीम्स से कवर कर देंगे। तो फिर आर. ई. सी. और ए. आर. सी. दोनों स्कीम्स मिलने से किसी को अपनी जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह जो रुपया आएगा विश्व बैंक से आएगा वह प्लान से बाहर होगा। जब हमारी योजना के लक्ष्यों पर असर नहीं पडता है तो वैसे पहले गेहलोतजी ने कहा था कि विद्युतिकरण की जरूरत है, जहां कृषि उत्पादन तिगुना, चौगना किया जा सकता है दो तीन सालों में तो यह जरूर करना चाहिए। यदि सन् 1976 के आखिर तक इस तरह ए. आर. सी. स्कीम से पूरे जिलों को कवर कर दिया जाए तो हो सकता है कि दो साल में बहुत बड़ा विद्युतीकरण हो सकता है।

मैं अलवर के बारे में कहना चाहता हूँ। पहले बांध योजना बनी थी। बजट स्पीच में भी इसके लिए प्रावधान का उल्लेख किया गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मेरी मान्यता है कि बांध नहीं बन सकता। क्लस्टर ट्यूब वेल्स स्कीम वहां पर लागू करके एक एक फर्लांग के फासले पर हम एक एक ट्यूब वेल लगायें दोनों तरफ, अगर 500 ट्यूबवेल्स लगाते हैं तो थोडी कास्ट पर ही लग सकते हैं। इस तरह से यदि हमने किया तो 50 हजार एकड़ जमीन को सिंचित कर सकते हैं। उसमें एक फसल नहीं बल्कि डबल या ट्रिपिल क्राप एरिया वह हो सकती है। वह हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इधर वाले बोल लेते तो फिर उधर वाले बोलते ।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल धन्यवाद प्रस्ताव रखते समय प्रस्तावक महोदय ने स्वयं जिस प्रकार से वेदना का अनुभव किया व निराशा का वातावरण प्रस्तुत किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावक व समर्थक महोदय स्वयं मेरी इस बात से सहमत होंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव औपचारिकता के लिए चाहे सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर पारित भी करवा लें परन्तु वास्तविक तरीके से राजस्थान आज अभाव से संतप्त ऐसे निराशाजनक वातावरण में है. ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके मोटापे से यह बिल्कुल नहीं लगता कि राजस्थान में किसी चीज का अभाव है ।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य जो भीनमाल से आने वाले हैं उन्होंने जो बात कही है वह तो मेरे स्वरूप के बारे में कही है । लेकिन राजस्थान की स्थिति बहुत ही दयनीय है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे भारतवर्ष के अन्दर शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जिसकी हालत हमारे प्रान्त से खराब हो । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में हर साल अकाल पड़ता है और हमारे प्रदेश की जनता अकाल से हर साल सन्तप्त रहती है । पहले तो कम से कम अकाल के समय में राजस्थान में अकाल राहत कार्य तो राज्य सरकार द्वारा खोले गये थे लेकिन इस वर्ष राजस्थान की जनता अकाल से त्रस्त है, पीड़ित है लेकिन उनके लिये कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं । हमारे नये मुख्य मन्त्री जी ने अकाल राहत कार्यों की छुट्टी करदी । उन्होंने कहा कि राजस्थान के अन्दर कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोला जायेगा । उन्होंने उन्हें देश निकाला दे दिया है और कहा है कि आप लोग जाकर राजस्थान नहर क्षेत्र में जाकर काम करो । बेचारी अकाल से त्रस्त राजस्थान की गरीब जनता वहां जाये अपने परिवारों के साथ और वहां पर झोपड़ियों में जाकर अपने बाल बच्चों को रखे वह मैं समझता हूं कि किसी भी पकार से सम्भव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का आज अधिकांश क्षेत्र अकाल से ग्रसित है और राज्यपाल महोदय ने खुद ने अपने अभिभाषण में यह स्वीकार किया है कि राजस्थान में अकाल है लेकिन उसके हल के लिये राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा । पिछली बार जब अकाल पड़ा था तब राज्य सरकार ने सदन में कहा था कि हम अकाल जो राजस्थान में बार बार पड़ रहा है उसके लिये कोई परमानेन्ट सोल्यूशन ढूंढ कर निकालेंगे लेकिन आज तक कोई भी स्थायी हल नहीं निकल सका है । आज अकाल के कारण राजस्थान की करीब डेढ करोड़ जनता इस अकाल से सन्तप्त है, दुखी है । आज का युग ऐसा है कि जब दुनिया के लोग चांद पर जा रहे हैं उस वक्त हमारे प्रदेश में पीने को मानव के लिये पानी नहीं है, खाने को दो रोटी नहीं और मवेशी के लिये कोई चारे की व्यवस्था नहीं है मवेशी भूख से तड़फ तड़फ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कर मर रही हैं। यह उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार के लिये कलंक है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में बजट पेश करते हुए वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि राजस्थान सरकार इस साल कोई बजट में नये टैक्स नहीं लगा रही है। नो टैक्स का नारा दिया और यहां पर सदन के कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपायीं, तालियां बजायीं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने राजस्थान की जनता को भुलावा में रखा और यह कहा कि नो टैक्स लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि राजस्थान सरकार टैक्स जरूर लगायेगी और वह सही निकला। इससे यह साबित होता है कि अगर पहले वित्त मन्त्रीजी टैक्स लगा देते तो उस वक्त वह सामने के दरवाजे से नहीं आते चोर दरवाजे से आते। वित्त मन्त्रीजी ने बाद में टैक्स लगाया और इससे साबित होता है कि हमारे वित्त मन्त्रीजी सामने के दरवाजे से आने वाले नहीं हैं बल्कि चोर दरवाजे से आने वाले बैंक डोरएन्ट्री से आने वाले हैं। मुझे इसका अहसास था कि यह राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं नो टैक्स का कह कर। और आप देखेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि वित्त मन्त्रीजी ने राजस्थान की गरीब जनता पर अकाल से पीड़ित जनता पर करों का बोझ डाला। अगर वह उस वक्त बजट में टैक्स लगाते तो सदन में चारों तरफ से उन पर छींटा कसी होती उनकी भर्त्सना होती, आलोचना होती। आज एक बिजली के ऊपर ही वित्त मन्त्री जी ने 11 करोड़ रुपये की टैक्स में बढ़ोतरी की है उपाध्यक्ष महोदय, यह बढ़ोतरी अगर इसी प्रकार से चलती रही तो मैं समझता हूं कि पांच वर्षों में 60 करोड़ रुपये की हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह 11 करोड़ रुपये आपने राजस्थान के किसानों और मजदूरों पर लगाया है जो गरीब तबका है। आज बिजली पर जो टैक्स लगाया तो किस पर लगाया आपने टैक्स लगाया तो कलकारखानों पर लगाया जहां पर मजदूर काम करता है, किसानों पर लगाया तो खेत खलियानों पर अपने आप ही लगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। इस प्रकार इर्रीगेशन पर आपने एक करोड़ 40 लाख रुपये की टैक्स में बढोतरी की है। उपाध्यक्ष महोदय, आप अान्दाज लगाइये राजस्थान का इलाका हर साल अकाल से ग्रस्त रहता है। जो कि पिछड़ा हुआ जहां सिंचाई के साधन वैसे भी कम हैं उस पर आपने पिछड़े वर्ग पर टैक्स लगाकर राजस्थान के किसानों की कमर तोड़ दी है। आपने उनकी रीड़ की हड्डी पर आक्रमण किया है। आज आपने जो टैक्स लगायें हैं वह पंजाब और हरियाणा के मुकाबले बहुत ही अधिक लगाया है जबकि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब का किसान हमारे काश्तकार से कितना खुशहाल है। जो हरियाणा और पंजाब का किसान खेती के लिये टैक्स देता है उसमें कितना फर्क है जहां राजस्थान का किसान शुगर केन पर 35 रुपये टैक्स देता है वहां पंजाब और हरियाणा 16.50 पैसे टैक्स देता है। चावल में हमारे यहां पर 33 रुपये टैक्स कर दिया गया है वहां पर पंजाब और हरियाणा में 25 रुपये टैक्स है इसी प्रकार हरियाणा में और पंजाब में कपास के ऊपर 19 रुपये 50 पैसे टैक्स है वहां राजस्थान में बढ़ कर 25 रुपये हो गयी है। बाजरा में

(श्री गुमानमल लोढा)

जहां हमारे यहां पर 12 रुपया है वहां पर पंजाब में 9.75 पैसे है इसी प्रकार ज्वार हमारे यहां पर 7 से बढाकर 12 रुपये कर दी गयी वह हरियाणा में 7.50 रुपये है इसी प्रकार गुवार हमारे यहां 12 से बढाकर 15 रुपये कर दी गयी है वहां पन्जाव में सिर्फ 7 रुपये है। इसी प्रकार गेहूं के लिए हमारे राजस्थान में 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया वहां पंजाब और हरियाना में 11 रुपये 70 पैसे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आंकड़ों में न पड़ कर केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो गजट सत्र के समय यह कहा था कि टैक्स नहीं डालेंगे उसी सरकार ने राजस्थान की जनता पर टोटल सभी मिलाकर 25 करोड़ और 87 लाख रुपये का टैक्स लगाया है। जिसमें सिर्फ 11 करोड़ रुपये की टैक्स की बढोतरी तो सिर्फ बिजली में की गई है। सिचाई के ऊपर 1 करोड़ और 40 लाख रुपये लगाया। कामर्शियल क्राप के ऊपर 90 लाख रुपये। एक्साईज ड्यूटीज पर 10 लाख रुपये लगाये। इसके अलावा पीने के पानी के ऊपर भी राज्य सरकार ने टैक्स लगा कर उसे भी नहीं बक्शा उसमें भी बढोतरी की गयी है और वह बढोतरी 60 लाख रुपये की है। इसी प्रकार राजस्व कर में 40 लाख रुपये की बढोतरी की है मोटर गाड़ी पर 55 लाख रुपये की टैक्स की बढोतरी की गई है इसी प्रकार सभी मिलाकर 25 करोड़ और 87 लाख रुपये की टैक्स की बढोतरी की गयी है।

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : यह तो ऐसी बातें आप बजट भाषण में कहना। -

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने बजट अभिभाषण में गत वर्ष को सन्तोषजनक बताया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार से राजस्थान कीं जनता पर टैक्स न लगाने का कह कर विश्वासघात किया है। इस का राजस्थान के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है उसका दिग्दर्शन आपको कहीं नहीं होता। मुझे इस बात का दुख है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया कि राजस्थान की गरीब जनता पर टैक्स लगाकर विश्वासघात किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो टैक्स राजस्थान सरकार ने राजस्थान की जनता पर 2 करोड़ रुपये का लगाया है बिना बजट में घोषणा करके यह जो इस प्रकार की इनडाइरेक्ट टैक्स लगाकर बढोतरी की है उस प्रकार का विश्वासघात का उदाहरण आपको हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिल सकता। मैं राजस्थान सरकार के इस कलंकपूर्ण कार्य की भर्त्सना करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में टैक्स के उल्लेख नहीं होने की बात को एक बहुत ही दर्दनाक और खटकने वाली बात समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ महीनों में जो रुख अपनाया है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि रेलवे हड़ताल और अन्य आन्दोलनों को सतर्कता और तत्परता से मुकावला किया है। यह तो समझ में आ सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सामन्तवाद के समय में, डिक्टेटरशिप

(श्री गुमानमल लोढा)

आटोक्रेसी में आन्दोलनों को कुचला जा सकता है लेकिन डेमोक्रेसी में इन आन्दोलनों को कुचला जाय और इसमें सरकार अपनी सतर्कता और तत्परता से मुकाबला करने का अपना बड़ा अचीवमेंट माने यह समझ में नहीं आता। डेमोक्रेसी में आन्दोलनों को कुचलने के बाद सरकार और राज्यपाल यह उद्घोष करें इसका हमने सतर्कता और साहस के साथ मुकाबला किया और उनको दबा दिया और इसमें अपनी प्रशासनिक कुशलता समझें यह एक शर्मनाक बात है। राज्य सरकार को यह शोभा नहीं देता कहना कि जिस प्रकार आन्दोलन को जिस पृष्ठभूमि में कुचला गया है उसको अपनी उपलब्धि समझे। पिछले दिनों जिस प्रकार के दर्दनाक कांड राजस्थान की धरती पर हुए हैं उनकी सानी का इतिहास पिछले कई वर्षों में भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत एक वर्ष में पुलिस को खुली छूट देकर सारे राजस्थान में एक आतंक का वातावरण बनाया हुआ है चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक हों, चाहे व्यापारी हों सब और पुलिस का डंडा बज रहा है और पुलिस को एक प्रकार से खुला छोड़ दिया गया है। न संविधान की कोई परवाह है, न कोर्ट्स हैं और न ही कहीं जाकर इसकी रुकावट है। और इसका नतीजा, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि सारे राजस्थान में त्राहि त्राहि मची हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये कांड कहां कहां नहीं किये गये। पिछले कुछ अर्से से चारों तरफ इस प्रकार के कांड पुलिस द्वारा किये जा रहे हैं।

आप को पता होगा कि जहां जहां पर मुख्य मन्त्री जाते थे, तोरण द्वार बनाये जाते थे, फूलों की चौसरें बंटती थीं, स्वागत द्वार बनते थे, कुंकुम से उनके तिलक करके आरती उतारी जाती थी लेकिन आज जहां जहां यह देखा जा रहा है कि विद्यार्थियों के ऊष्ण रक्त की धारा, गरम गरम रक्त की धारा सड़कों पर बहायी जा रही है। उस रक्त से आज पुलिस के द्वारा मुख्य मंत्रीजी का स्वागत किया जा रहा है।

श्री दीपंकर : यह जनसंघ करवा रहा हैं।

श्री गुमानमल लोढा : जनसंघ करवा रहा है या आप करवा रहे हो, या गरीब इन्सान की भूख करवा रही है, अकाल करवा रहा है यह जायजा तो आपके और हमारे लेने का है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले दिनों जहां जहां पर मुख्य मंत्रीजी गये वहां वहां पर पुलिस के द्वारा अत्याचार किये गये। एक नहीं अनेक, चूरू का काण्ड आपके सामने मौजूद है। कल यहां पर उस पर विचार होगा इसलिए मैं आज इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं स्वयं आज चूरू जा रहा हूं, स्थिति का जायजा लूंगा। जो जेल में हैं उनके साथ बात करूंगा। जिन पत्रकारों को पेशाब पिलाने और टट्टी खिलाने जैसे घृणित प्रयास किये गये उनसे भी मैं बात करूंगा। चूरू की एक अपने आप में घटना नहीं है। चूरू के उदाहरण को अलगाव से भी देखना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी नागौर में गये, बाजार में गये, नागौर में उनके जाने के बाद

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पुलिस ने वहां क्या किया ? यही काण्ड किया। विद्यार्थियों पर 307 के मुकदमे बनाये। इसलिए बनाये कि उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को काले झंडे बताये। नागौर में मुख्य मंत्री जी का स्वागत नहीं हो सका इसमें विद्यार्थियों का क्या अपराध है।

(व्यवधान)

श्री दीपंकर : जनसंघ वालों ने बाधा पहुंचायी उनके आने जाने में और भद्दे तरीके अपनाये, नारे लगाये और उत्तेजित किया · ·

(व्यवधान)

श्री मानुकुमार शास्त्री : यह समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य बार बार क्यों अवरोध पैदा कर रहे हैं ?

श्री दीपंकर : मेरे यहां की घटना है, मैं समय पर कहूंगा लेकिन मेरा यहां कहना लाजमी है क्योंकि गलत कह रहे हैं और हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री मानुकुमार शास्त्री : जो सही बात है वह कही जायगी। आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं ? कहां से सीखे हो यह बीच में बोलने की बात ?

श्री गुमानमल लोढा : एक बात छूट गयी थी। वे ज्यादा बीच बीच में इसलिए बोल रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने एक डोर में जलेबी बांध कर लटका दी है। उसको लेने के लिए कई माननीय सदस्य फुदक रहे हैं कि उनके जलेबी मुंह में आ जाय। लाडनूं वाले माननीय सदस्य फुदक फुदक कर, लपक झपक कर यह बताना चाहते हैं जिससे मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में यह तस्वीर बन जाय कि उनको मंत्रीमण्डल में शामिल किया जायगा। तो यह जलेबी रेस है। वे भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उनके हाथ में आने वाली नहीं है।

श्री दीपंकर : जलेबी के नाम से हमको ·

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा : नागौर में कांग्रेस के दो फिरके हैं। आपस में उनका संघर्ष है यह बात ऐसी नहीं है कि जो छुपी हुई हो। नागौर में जब मुख्य मंत्रीजी गये तो वहां पर यह कहा गया कि ये सामन्तों के यहाँ जा रहे हैं या किसानों के प्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं। इस बात को लेकर के आपस में संघर्ष हो गया कौन किसान कार्यकर्ता है कौन किसके खिलाफ है और वास्तव में कौन जमीन जोतने वाला किसान है · · ·

श्री दीपंकर : (व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, अपने आपको संयम में रखें।

श्री गुमानमल लोढा : प्रश्न केवल इस बात का है उपाध्यक्ष महोदय, कौन किसको सपोर्ट करता है और कौन किसको नहीं करता है इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, कौन किस पक्ष का है और कौन विपक्ष का है। राजनैतिक क्षेत्र में अपना अपना दृष्टिकोण प्रकट करने का सबको हक है। लेकिन सवाल यह है

(श्री गुमानमल लोढा)

कि विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमें बनाये गये। उनको निकाला गया, लोगों को घरों से निकाला गया, होटलों पर से आदमियों को निकाला गया और लोगों पर झूठे मुकदमें बनाये गये उनको सींकचों में बन्द कर दिया गया।

सूरतगढ़ में माननीय मुख्य मंत्रीजी गये। छात्रावासों के लड़कों ने सूरतगढ़ बन्द का आह्वान किया हड़ताल हुई और सूरतगढ़ बन्द रहा। कांग्रेस के नेताओं को यह अच्छा नहीं लगा। सिनेमा के बहुत बड़े मालिक भूतपूर्व मंत्री 60–70 गुण्डों को लाये, छात्र कार्यकर्ताओं को पकड़ा और उनको मारा पीटा गया। उठा कर उनको वहाँ से अमरपुर ले जाया गया जो कि भूतपूर्व मंत्री का गांव हैं। उनको वहां फिर मारा पीटा। सारे सूरतगढ़ में और आस पास एक तहलका मच गया कि लड़कों को भूतपूर्व मंत्री के गुन्डों ने रोक रखा है। उनके साथ बहुत बड़ा कान्ड हुआ। यह कौनसा तरीका है। इसको लेकर सूरतगढ़ में पूर्ण हड़ताल रही और उनको मजबूर होकर पीछा छुड़ाना पड़ा। राजस्थान में गुन्डा एक्ट बनाने के बाद क्या इससे गुन्डे दूर हो गये? मुख्य मंन्त्री जी यहां पर खड़े होकर ऐलान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सूरतगढ़ काण्ड में चौधरी मनफूलसिंह के गुन्डों ने कानून को अपने हाथ में लेकर क्या उसको तोड़ नहीं डाला उस समय आपका गुन्डा एक्ट कहां गया? आपने क्यों नहीं उसको लागू किया? क्यों नहीं उनको गुन्डा एक्ट में गिरफ्तार किया? सौ गुन्डे आये हथियारों से लैस होकर के, उनको क्यों नहीं पकड़ा? क्या कसूर था छात्रों का? क्या जयप्रकाश जिन्दाबाद बोलना कोई कसूर है? जनतन्त्र में आजादी है किसी का जिन्दाबाद बोलना और किसी का मुर्दाबाद बोलना। चूरू में इसलिये पीटा जाय कि उनसे कहा गया कि बोलो 'इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद' और उन्होंने बोला जयप्रकाश जिन्दाबाद और इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद। फिर उस छात्र कार्यकर्ता को कहा गया कि बोलो इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद। उसने कहा नहीं बोलता। उसके शरीर पर दो व्यक्ति खड़े हो गये। उसको पीटा गया। चार पांच घंटे तक उसको पीटा गया जब तक उसको कहा गया वह इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद नहीं बोलेगा तब तक उसको नहीं छोड़ा जायगा। उसने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। कहां जा रहे हैं आप? विचार विभेद हो सकता है कोई कह सकता है कि जयप्रकाश का आन्दोलन उचित नहीं है। कोई कह सकता है कि उचित है कोई बोल सकता है 'जयप्रकाश जिन्दाबाद' कोई बोल सकता है 'इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद'। कोई इसके विपरीत भी बोल सकता है, कोई जयप्रकाश मुर्दाबाद बोल सकता है और कोई इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद बोल सकता है लेकिन पुलिस वालों को खुली छूट दे दी गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जघन्य अपराध किये, अत्याचार किये, जिसकी कोई सानी नहीं। जोधपुर में 2 तारीख को खून खोलने वाला काण्ड हुआ। 800 ग्राम राशन एक व्यक्ति को देने की घोषणा की। जोधपुर की जनता खड़ी हो गयी। हम इतना सा राशन नहीं लेंगे आप इसको ही समाप्त कर दीजिये। जनता को राशन देना है दो जून रोटी मिल सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। 800 ग्राम गेहूं और 30 दिन तक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

खाना बनाकर खा सकता है। एक एक दाना नहीं आ सकता है। हमने जिलाधीश महोदय से कहा यह मखोल कैसा ? लेकिन जो व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है वह केवल एक धोखा मात्र है, गरीबी हटाने का थोथा नारा है, राष्ट्रीयकरण का केवल नारा है। व्यवस्था है कहां ? राज्यपाल महोदय ने भाषण में लिख दिया हमने पब्लिक को डिस्ट्रिब्यूशन के लिये कहा है, मोटा कपड़ा मिलता है, मोटा अनाज मिलता है लेकिन जोधपुर शहर में 800 ग्राम अनाज मिलता है। इसके विरोध में एक जन संघर्ष समिति बनी और उस संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि हम इसका मुकाबला करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सारे लोग इसमें थे। सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, जनसंघ के लोग थे, स्वतन्त्र पार्टी के लोग थे, भारतीय लोक दल के लोग थे, दूसरे कार्यकर्ता थे, विद्यार्थी कार्यकर्ता थे, राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, राजकुमार ओझा थे, सारी युवा पीढ़ी के लोग थे, गरम खून था उन्होंने कहा हम मुकाबला करेंगे और 2 तारीख को जोधपुर बन्द रहा। जोधपुर बन्द राशन के लिये किया गया, जोधपुर बन्द रोटी के लिये किया गया। जोधपुर में यह मांग नहीं थी कि इन्दिरा गांधी को पलट दिया जाय, यह मांग नहीं थी कि विधान सभा भंग कर दी जाय लेकिन दो जून रोटी की मांग पर जब महंगाई की अर्थी बनाकर सोजती गेट पर लाया गया और उस महंगाई की अर्थी पर जब विद्यार्थी खड़े हुये थे तो आर. ए. सी. के लोगों ने हमला कर दिया जैसे ढाका पर हमला कर रहे हों, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही हो। आर. ए. सी. के लोग उन मासूम बच्चों पर इस प्रकार टूट पड़े कि उनके सिर तोड़ फोड़ दिये गये। खून की धारा बहा दी और जब गरम खून बहता है वह गरम खून गाढ़ा होता है और जोधपुर के विद्यार्थियों ने कसम ली राशन की 800 ग्राम की व्यवस्था को खत्म करेंगे और पुरानी व्यवस्था को फिर से कायम करायेंगे। जब तक हम यह नहीं करेंगे दुकानें नहीं खोलने देंगे।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर दुःख होगा राशन की जगह लाठी मारी गई, लाठी से कुहराम मच गया। पुलिस ने ऐलान कर दिया जहां कहीं पर बच्चा हो मारो-पीटो। उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी होना भी अपराध हो गया है। जहां कहीं पर चौराहे पर कोई नजर आ जाता था उसकी बुरी तरह से पिटाई हो जाती थी, खून से लथपथ कर दिया जाता था। पुलिस के लोग कहते थे जहां कहीं बढ़े हुये बाल मिलें पकड़ लो और जूते लगावो और इतने जूते लगावो कि खून की धारा बह निकले जब तक खून नहीं बहे तब तक जूते लगाते ही रहो। सारे दिन जोधपुर शहर में मार पिटाई होती रही। जोधपुर की जनता, जोधपुर का शहर पीड़ित था। उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया गया ? मैं जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी यहां पर आकर घोषणा करते हैं गुण्डा एक्ट लागू करके मैंने गुन्डागर्दी बन्द कर दी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में जो कुछ किया गया और कहीं पर अन्याय है तो उस अन्याय का जिम्मेदार मंत्री है और राजस्थान के गुण्डा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नं. वन में वह आता है। चाहे वह कोई हो–व्यक्ति विशेष से कोई रिश्ता नहीं है। आज युवकों के साथ सरकार होली खेलना चाहती है। फिर से जोधपुर बन्द रहा पुलिस खड़ी रही और वह पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही। किस प्रकार का जोधपुर शहर में प्रशासन चलता है–डी. आई. जी. खड़े हैं, जिलाधीश खड़े हैं, आर. ए. सी. की प्लाटून खड़ी है, फायर बिग्रेड खड़ी है। लोग आते हैं उन पर लाठी चार्ज होता है, अश्रु गैस के गोले बरसाये जाते हैं। एक एक व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है। जब मैंने सुना आर. ए. सी. के लोग अमर किशोर व्यास जो संघर्ष समिति का मंत्री है, टूट पड़े तब भी कहा यह नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे सोजती गेट को कलंकित कर दिया गया और एक एक बालक के लिये एक एक विद्यार्थी के लिये ऐसा महसूस किया जा रहा था कि पाकिस्तान का सिपाही आ गया हो। हो हो की अवाज लगाकर उस पर बुरी तरह से टूट पड़ते थे, लाठियों और जूतों की बरसा उस पर की जाती थी। वह युवक चीत्कार करता था कि यह राशन की मांग को लेकर आन्दोलन हो रहा है, राशन की मांग करना कौनसा गुनाह हो गया। कोई बलात्कार नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला है, कोई अन्याय नहीं किया है। मेरी समझ में नहीं आता है कहां पर गुण्डा कानून लागू करते हो। जोधपुर में 2 तारीख को जिस प्रकार का नग्न अत्याचार किया गया उसका उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। उसके बाद 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको छोटे छोटे कमरों में ठूंस दिया गया और उनको रात को पानी तक नहीं दिया गया।

एक 14–15 साल के बच्चे ने मुझे बताया मैंने पानी मांगा और पानी तक नहीं दिया गया। मुंह से खून आ रहा था, प्यास लग रही थी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें पानी नहीं मिला। पानी के लिये रिश्वत देनी पड़ती है। पानी पिलाने के लिये दो रुपये मांगे–पांच रुपये का नोट दिया गया, तीन रुपये वापिस दिये गये। दो रुपये में एक घूंट पानी पिलाया गया। नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति किसी की मां और किसी का बाप होता है। हो सकता है वह यहां के किसी का भाई का बच्चा हो। हर बच्चा किसी का मां होता है, किसी का बाप होता है। उपाध्यक्ष महोदय 14–14 साल के बच्चों के साथ इस प्रकार निर्मम अत्याचार किया जाता है···

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : हर बच्चा किसी की मां कैसे बन जाता है?

श्री गुमानमल लोढा : ···मैं नहीं समझता राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री राज कुमार ओझा···

(व्यवधान, अश्रव्य···)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बच्चा किसी की मां बन जाय, यह एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है।

श्री दीपंकर : जोश में कह गये। वकील होते हुये भी जिसने रिश्वत ली उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई, यह कैसे हो सकता है ? ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इन्टरप्शन हो गया यह तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ जनसंघ के नेता से, क्या इनके हाथ में पत्थर नहीं था और पत्थर नहीं मार रहे थे दुकानों पर ?

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, युवा शक्ति पर इस प्रकार अट्टहास करना, उभरते हुये खून पर इस प्रकार निम्न स्तर का कीचड़ उछालना यह तो कम्यूनिस्ट पार्टी के लोगों का स्वभाव बन गया है। राशन की मांग को लेकर, 800 ग्राम को लेकर जोधपुर शहर बन्द किया जाता है, जोधपुर शहर में आन्दोलन किये जाते हैं और पुलिस के लोग उन पर अत्याचार करती है तो भी हमारे साथी यहां बैठकर अट्टहास करें, किलकारी मारें, हंसी विनोद करें, यह शर्म की बात नहीं तो और क्या हो सकती है। अंग्रेजों के जमाने में भी राज दिवाने हुआ करते थे। इन्कलाब के नारे लगाकर पिटाई करते थे और लोग अपने बंगलों में बैठकर हंसा करते थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका राशन से क्या मतलब है ?

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार ओझा, राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष पनेहसिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मेहता

(व्यवधान, अश्रव्य ..)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने कुछ नमूने रखूंगा। पुलिस का यह कहना है कि 307 से कम का मुकदमा नहीं चलाते है, 207, 147, 148, 149, 353, 302, 427 और 402 सी.आर.पी.सी. का(अश्रव्य) 147, 148, 313, 332, 442, 395 सी. आर. पी.सी. का ही 440 148, 149, 332, 352, 427 सी.आर.पी. सी.नं. 48, 49, 302, 305, 427, 440, 337, 451, 147, 148 (अश्रव्य) 322, 353 (अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : 420, नहीं लगी क्या किसी पर ?

श्री गुमानमल लोढा : 420 तो जो करने वाले हैं वह जानते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप तो खुद वकालात कर रहे हैं 420 की।

श्री गुमानमल लोढा : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कह सकता हूं कि इस तरह से इसको मजाक में टालने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह क्रिमिनल केसेज जो कि संख्या में 11 हैं इनको कोर्ट में दायर किया गया है और वहां पर चल रहे हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि क्या राशन की बढ़ोतरी की मांग करना पाप है ? उपाध्यक्ष महोदय, गांव के ग्रामीण व्यक्ति को आप एक किलो धान भी नहीं देते। उसको प्रति व्यक्ति एक किलो धान भी नहीं मिलता और यह स्थिति आज सारे राजस्थान के अन्दर है। तो क्या इस प्रकार की स्थिति के अन्दर राजस्थान जहां चल रहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

राज्यपाल महोदय का कर्त्तव्य नहीं था कि वह अपने अभिभाषण में यह बताते की पिछले सत्र के बाद यह हमारे कुकृत्य हैं जिनके कारणों से हमने लोगों को दबाने का प्रयत्न किया है। यह केवल नागोर और जोधपुर की घटना नहीं है। जोधपुर की घटना के बारे में तो मैं विस्तार से निवेदन करूंगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ का किस्सा भी मैंने बताया कि वहां के युवकों ने श्री हरिदेव जोशी की खिलाफत की और श्री जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद के नारे लगाये। श्री पुरी जो कि कोटा में डी.आई.जी. थे उन्होंने पत्रकारों को बुलाया और उनका अपराध केवल यह था कि उनके खिलाफ कोई खबर छाप दी। इस पर उन पत्रकारों को पीटा गया और उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आन्दोलन हुआ और उसके कारण से डी. आई. जी. पुरी का तबादला करना पड़ा और वहां पर कोई एक पत्रकार के साथ नहीं बल्कि कइयों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उदयपुर, धरियावाद, आमेट बूंदी सब स्थानों के ऊपर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है लेवी का विरोध करने के लिए किसान गये जिसके लिए कह सकते हैं कि जो सर्दी के अन्दर, गर्मी के अन्दर और बरसात के अन्दर दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना देकर धान पैदा करते हैं।

श्री योगन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको कहते हैं जादूगरी। पाइन्ट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह आर्डर बताइये कि आर्डर कैसा आर्डर है कि लेवी तो वसूल करो नहीं, गोदामों के ताले तोड़ो नहीं, उनके बन जाओ चौकीदार और फिर जनता को राशन दे दो। इस तरह से लड़की आप बनती है क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह पाइन्ट आफ आर्डर है या पाइन्ट आफ आर्डर के साथ में बोलने का एक प्रयास है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रयास ही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने इजाजत दे दी मैं उनकी जवाब दे दूंगा। हर सवाल का जवाब होना चाहिए और मैं चाहूंगा कि वह मेरे जवाब को भी सुन लें। अब मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। वह कहें कि लेवी वसूल नहीं करो तो कैसे धान का वितरण होगा…

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गोदामों को मत तोड़ो और उनके बन जाओ चौकीदार।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक बार और कह लीजिए। अब उपाध्यक्ष महोदय, किसान से लेवी लेने का हमने विरोध नहीं किया। हमने तो जबरन लेवी वसूल करने का विरोध किया। हमारा अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, जम्मू में हुआ और राजस्थान में हुआ। एक बात हमने सब स्थानों पर कही है कि किसानों को उनके मेहनत की कीमत मिलनी चाहिए। 105 रुपये में जिस समय किसानों से धान लिया जाता है और 136 रुपये में किसानों का धान सरकार लेकर उपभोक्ता को बेचती है यह कौन सा तरीका है ? रूस के किसान से, अमेरिका के किसान से जिस तरह हम धान खरीदते हैं, चाहे अमेरिका

Page No 77

(77)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का धान रूस के जरिये से आये या रूस का धान अमेरिका के जरिये से आये हम उनको 150 रुपये क्वि. के हिसाब से दें और यहां भारत का किसान, इस धरती का किसान है उससे हम धान खरीदें तो उसको 105 रुपये ही दें। क्या हांडा जी के पास इसका जवाब है ? क्या सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यह कहेंगे कि क्योंकि वह रूस का किसान है इसलिए उसको मेंट कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि हमें जबरन लेवी की वसूली पर बहुत बड़ा एतराज है। बाजार में जो कीमत मिल रही है उसके हिसाब से लेवी वसूल की जानी चाहिए। अब आप ही बतायें कि कौन चौकीदार बन कर बैठ गया। जरा इसको विवेचन कर लें कि रूस से किस कीमत पर धान आ रहा है और अमेरिका के माध्यम से किस कीमत पर आ रहा है। समय पर हम धान खरीदते नहीं हैं। कानून कांग्रेस सरकार बनाती है जिसकी पिछलग्गु कम्युनिस्ट पार्टी है। कानून का पालन करवाना कांग्रेस सरकार का काम है। हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर लिया है लेकिन हम आंखें मूंद लेते हैं। आप उसकी पालना करवाइये आप आंखें क्यों मूंदते हैं ? क्या आप को आंखें मूंदने के लिए हमने बाध्य किया है ? हमने बसों का राष्ट्रीयकरण कर दिया लेकिन जिस समय बसों के राष्ट्रीय-करण के खिलाफ गाड़ियां चलती हैं तो आप आंखों को मूंदकर बैठ जाते हैं। इसका जवाब क्या है ? हमारे मंत्री महोदय अपने आपको कहते हैं कि हम वामपन्थी हैं, हमारे साथ में प्रेसर है, मूषा मेरेज है तो मैं कहना चाहता हूं कि आंखें क्यों मूंदते हैं। आपने हनुमान सहाय चौधरी को पकड़ा। उसके बाद में उसको क्यों छोड़ा और किस ने छुड़ाया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ब्रह्मचारी केदार-नाथ जी के साथ आपकी कौनसी मैरिज है ?

श्री गुमानमल लोढा : अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरिद्वार कान्स्टीट्यूएन्सी के चुने हुए कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट के ऊपर उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेन्ट करने वाले जिस पार्टी को हमारे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य करते हैं श्री आर. के. गर्ग दिल्ली से जोधपुर आये और इसलिए आये कि राजस्थान के धान के सबसे बड़े तस्कर श्री हनुमान सहाय चौधरी को छोड़ दें। इसने चावल का तस्कर किया, इसने धान का तस्कर किया और कम्युनिस्ट साथी कहते हैं कि छोड़ दो। अब चौकीदार गुमानमल लोढ़ा हैं या सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इसका फैसला आप कर लें। आज चैलेन्ज देना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि श्री आर. के. गर्ग हरिद्वार से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गये या नहीं और क्या हनुमान सहाय कुख्यात तस्कर जिसने गरीब लोगों के मुंह से धान और चावल छीना जिसको कांग्रेस ने गिरफ्तार किया मीसा के अन्दर, इसके लिए तो सरकार बधाई की पात्र है लेकिन हमारी गद्दार कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको छुड़ाया और उसको जेल के सींखचों से निकाल दिया। अब चौकीदार लोढा है या श्री आर. के. गर्ग। इसका फैसला आप कर लें। और हनुमान सहाय चौधरी क्यों छूटा इसलिए

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

छुटा कि कलेक्टर के ग्राफिस के अन्दर एक एल. डी. सी. था जो मिला हुआ था। उसके वहां पर डिटेन्शन का रिप्रेजेन्टेशन था उसको समय पर नहीं करवाया। सारी की सारी सरकारी मशीनरी उससे मिली हुई थी और आर. के. गर्ग छुड़ाने के लिए आ गये . . .

श्री दीपंकर : पार्टी का समय पूरा हो गया है।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहानी दर्दनाक कहानी है। कथनी और और करनी और है। जिसके लिए कहें कि हम साम्यवादी हैं, हम रेडीकल हैं। और काम करने के लिए उनको देखा जाये तो जैसा कि बखिया ने कहा था, जैसा यूसुफ पटेल ने कहा था दिन को हमको गालियां देते हैं और रात को ये बड़े सफेद खद्दरधारी हमारी पगचम्पी करते हैं, बाबा हमको बख्श हमको इलेक्शन लड़ना है। यह आज देश में हो रहा है। इस देश को संघर्ष करना है और जिस समय इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो जनता ने उसका स्वागत किया और समर्थन दिया। समर्थन देना चाहिये था और समर्थन देने के बाद क्या हुआ ? कांग्रेस के साथ फेल हो गये, कम्युनिस्ट साथी फेल हो गये। राशन उतना नहीं दे सकते, मोटा कपड़ा नहीं दे सकते, धान नहीं दे सकते, गेहूं नहीं दे सकते। आप इसलिए नहीं दे सके आपकी व्यवस्था नहीं है और कम्युनिस्ट साथियों को यही कहना चाहता हूं कि यदि वह यही चाहते हैं कि जब तक उनको मंत्री मण्डल में शामिल न करें, यदि वे यहीं चाहते हैं कि जब तक कोई कोलिएशन नहीं हो, जिस प्रकार केरल में हुआ है और जिसका जीता जागता उदाहरण है विजयवाड़ा के अन्दर पार्टी के लम्बे चौड़े तखमीनों के अन्दर यह हार्दिक इच्छा प्रगट की गई है कि हे भगवान कहीं से ऐसा वरदान दो कि हम भी कांग्रेस के नेताओं के साथ में गद्दी पर बैठ जावें। यह शेरवानी पहन लें। जिस प्रकार रामानन्दजी ने सन् 67 के अन्दर महारावल सहाब और गायत्री देवी के साथ किया था। हे भगवान, मंत्रीमण्डल बन रहा है, शेरवानी तैयार है, हम मंत्रीमण्डल में शामिल होते हैं सम्पूर्णानन्दजी को समझाओ। यदि यही उनकी इच्छा है तो हम इस बीच में नहीं आना चाहते हैं वे अपनी इच्छा पूरी करें। राजस्थान के शासन में किसी को लें, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को लें या अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को लें या और किस को लें लेकिन जनता के सामने इस प्रकार का दिखावा मात्र नहीं करें। इसके लिए मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि दो मार्च का उनका बन्द था तो रामानन्दजी ने कहा कि क्योंकि हमारी पार्टी ने विरोध किया और बन्द का विरोध करने के कारण हम प्रतिक्रियावादी थे। मैं जानना चाहता हूं कि जोधपुर में दो तारीख को बन्द किया गया और उसका हमने विरोध नहीं किया। उस समय बन्द का विरोध करने नहीं आए। राशन की समस्या थी उस समय क्यों नहीं आए। राजस्थान के मंत्रीमण्डल के साथी जोधपुर में आए और उन्होंने कहा कि राशन नहीं है, कुछ नहीं है। बन्द का मुकाबला किया जायगा और जनता उमड़ घुमड़ कर सड़कों पर आ गई विरोध करने वालों का कि हम बन्द का विरोध करेंगे। उनका मुकाबला किया जायगा। क्या

(श्री गुमानमल लोढा)

हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मैं कहता हूं जो कहते हो उसको करने को भी तैयार हो। राजस्थान का जागीर रिजम्पशन एक्ट, राजस्थान का जागीर अबोलिशन और सीलिंग कानून ये राजस्थान कांग्रेस के ऐसे कदम थे जिनको बरकत साहब को कम्पेयर करके मैंने बताया कि केरल का लेजिस्लेशन कम से कम राजस्थान से अधिक रिएक्शनरी है, अधिक प्रतिगामी है। यहां तो यह है उपाध्यक्ष महोदय, कोई बीमारी हो रूस में जाकर इलाज कराओ। सिर में दर्द हो, पग में पीड़ा हो कहीं कोई गड़बड़ी हो रूस में इलाज कराओ कोई गड़बड़ी इसलिए हो गई कि फ्रांस का इंजीनियर आया, रूस का इंजीनियर बुलाओ। सिर का दर्द हो, दिल का दौरा हो हर रोग का इलाज रूस में है। हम तो भारत माता की इस धरती पर रहने वाले और भारत माता से ही प्रेरणा लेकर चलने वाले हैं उसी में हमारा विश्वास है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दीपक का इलाज करो, दीपक बुझ रहा है।

श्री गुमानमल लोढा : हमारी विचार धारा स्पष्ट है और स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। आपने सीलिंग कानून, अरबन सीलिंग कानून बनाया हमने कहा कि दो लाख पर सीलिंग लगाओ, ढाई लाख पर सीलिंग लगाओ और जमीन को उसके साथ में शामिल करो जनसंघ आपके साथ में रहेगा। कम्युनिस्ट साथियों ने कहा कि हम प्रतिक्रियावादी हैं हम कहते है कि हम यथार्थवादी हैं। बरकत साहब ने कहा कि अरबन सीलिंग कानून आज ही पास करो, आज का आज पास करो, हम रात को बैठे और 12 बजे तक बैठ कर उस कानून को पास कर दिया और पास किए दो साल हो गये। दो साल से देवी इन्दिरा की शरण में वह पड़ा हुआ है। कौन उसको रोक रहा है। पूंजीपति, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब इसको सेंक्शन नहीं देते तो इसमें भी हमारा अपराध है लेकिन कम्युनिस्ट साथी उसके लिए इन्दिरादेवी को नहीं कोसेंगे यहां हरदेव जोशी को कहेंगे कि हरदेवजी अपना कानून असेंट होकर क्यों नहीं आया। अरे असेंट क्या हरदेवजी की जेब में है। देवी इन्दिरा की जेब में है लेकिन उसको नहीं कहेंगे इसके लिए। वहां तो ढोक देकर कहेंगे हे इन्दिराजी, केरल का उदाहरण, केरल का प्रेसीडेंट और जगह भी कायम करो। वही हाल राजस्थान में भी लाओ, दिल्ली में लाओ, कलकत्ता में लाओ, हमें भी शासन में बैठाओ और हमारे भी झण्डी लग जावे, हमारी भी कार दौड़ने लग जावे, हम भी मंत्री मण्डल में आ जावें। यह है आज इनकी धारणा। इसलिए मैं स्पष्टवादिता के तौर पर कहना चाहता हूं और यह जवाब सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि चौकीदार हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि चौकीदार कौन है, गोदामों का चौकीदार कौन हैं, व्यापारियों का चौकीदार कौन हैं? इसका मैंने जवाब दिया है। और वह जवाब यह है कि हनुमानसहाय तस्कर के मामले को लेकर निर्णय कर लें। आप हमें बतायें कि हमारी नीतियों में कहां कमी है। हमने कहां गलती की है। केवल गालियां देने से कुछ नहीं होता। राजस्थान जनसंघ ने सन् 53–54 में राजस्थान जागीर अबा–

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लिशन एक्ट बना उस समय अपने चार .विधायकों को निष्कासित कर दिया, उन्होंने कहा कि हम जागीर अबालिशन बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे, हमने कहा कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे उन्होंने कहा नहीं करेंगे। हमने कहा कि दल से निकल जाओ इसका हम सपोर्ट करेंगे। फिर भी प्रतिगामी फिर भी हम प्रतिक्रियावादी हैं। लेकिन जो गायत्री देवी और महारावल साहब के साथ शपथ लेने को तैयार फिर भी वे प्रगतिशील, मिल कर रिवोल्यूशनरी लैफ्टिस्ट।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि आज राज्यपाल के अभिभाषण के समय जनता के अभावों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सिन्ध से आए हुए शरणार्थी बाड़मेर जिले में अभी तक दुःखी हैं, उत्पीड़ित हैं। आज भी वे तम्बुओं में रह रहें हैं दो साल से हमने जाकर छाछरों में झण्डा गाड़ा, छाछरों में जाके भारत माता की जय बोली कि किस के बलबूते पर। उन लोगों ने बलिदान किया। वहां से एक लाख लोग आए और उनका सब कुछ समाप्त कर दिया गया और आज उनको बसाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। राज्यपाल महोदय के पास उनके भाषण की इस पूरी पोथी के अन्दर दो आंसू भी बहाने को नहीं हैं। कोई किसी प्रकार का सुझाव नहीं दिया गया। केवल एक बात कही कि हमने आन्दोलनों का मुकाबला कर लिया यदि आप कृपा करते तो राज्य सरकार यह कहने की स्थिति में होती कि आज की स्थिति में यह आन्दोलन जो हो रहें हैं वह ठीक हैं। चूरू के एस. पी. को हटाते, चूरू के एस. डी. एम. को हटाते। आज उदयपुर छात्रावास की बात आपने सुनी होगी। उस समय हमारे इन्हीं साथियों ने कहा कि वे जयप्रकाश जिन्दाबाद की बात करते हैं। आपको पता नहीं होगा कि आज सारा विद्यार्थी वर्ग जयप्रकाश जिन्दाबाद की ओर आकर खड़ा हो गया है। तरुणाई एक किनारे पर आकर खड़ी हो गई है। आज वे देश को दिशा देना चाहते हैं, देश को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज जनसंघ को छोड़ों, समाजवादी पार्टी को छोड़ो, भारतीय लोकदल को छोड़ो आज तो यह जनता का संघर्ष है और जनता ने इसका सबूत दिया है। जबलपुर के अन्दर क्या हुआ? जबलपुर का एक साधारण व्यक्ति, जो नौजवान था उसके सामने कौन था। सेठ गोविन्ददास जिसकी चार पीढ़ी से जागीर थी उसका पौता सामने खड़ा था कांग्रेस की ओर से उसके साथ में कौन थे, हैलीकोप्टर के साथ उड़ कर प्रकाशचन्द सेठी आए, उनके साथ सड़क थी, बिजली थी और पानी था और चांदी के खनखनाते हुए सिक्के थे लेकिन जनता के उम्मीदवार ने सेठ गोविन्ददास की जागीर को खत्म कर दिया और दुनियां को दिखा दिया कि जनता क्या चाहती है। आज हरियाणा में क्या हुआ। बंशीलाल कहते थे कि मेरे पास में करिश्मा है इसलिए हैं कि मैं इन्दिराजी के लड़के को जमीन दी हैं जहां पर कार बनेगी। मां प्रधान मंत्री और बेटा कार बनावे, मैं जिता कर लाऊंगा लेकिन वहां भी फेल हो गए। जनता के उम्मीदवार जगह जगह पर जीत कर आए। दिल्ली में क्या हुआ। झुग्गी झोंपड़ी वालों ने जनसंघ के उम्मीदवार को जिता कर भेजा दीपक की ध्वजा को लहराता हुआ जीत कर आया। आज आप इससे शिक्षा

(श्री गुमानमल लोढा)

लें। जन आन्दोलन से शिक्षा लें। आज देश एक किनारे पर खड़ा है। दो जून रोटी देने में समर्थ कोई भी दल हो वह सफल होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अधिक इस पर विचार अपने प्रकट करने से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मुझे जाना है और जाकर विद्यार्थियों से मिलना है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरी आत्मा तो जब विद्यार्थी सीकचों में पड़े हुए हैं, जेलों की यातना सहन कर रहे हैं, उन पर खड़े होकर पुलिस वाले अपनी बात कहलवाना चाहते हैं और पत्रकारों के मुंह में टट्टी डाली जा रही है, ऐसे समय मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव को ठुकराता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (श्री लोढ़ा से). अब यह आपको सुनकर जाना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा: चूरू तो जाना पड़ेगा।

श्री दीपंकर : इन लोगों का तो इन्तजार करते।

श्री गुमानमल लोढ़ा: यहां पर हमारे और लोग बैठे हुए हैं। वे सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे। आज चूरू जा रहा हूं कल फिर आऊंगा और जवाब दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: फूस में आग लगाकर जमालो दूर खड़ी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पढ़ने के बाद, मैं अबकी बार एक नई उम्मीद लेकर आया था कि नरोरा में कांग्रेस के शिविर के बाद जो नया विचार मन्थन हुआ और यह महसूस किया कांग्रेस की लीडरशिप ने, देश भर के नेताओं ने कि इस यथास्थिति से काम नहीं चल सकता। जनता से जो वायदे किये, जिस उम्मीद में जनता ने कांग्रेस को सत्ता सोंपी, उन कमिटमेंट्स, उन वायदों को निभाना होगा वर्ना प्रतिक्रियावादी शक्तियां इस देश में उसका लाभ उठा रही हैं। जनता के अभाव-अभियोगों का लाभ उठाकर प्रतिक्रियावादी ताकतें जनता के इन अभाव-अभियोगों को हल करने का बहाना करके इस देश में प्रजातन्त्र को तोड़कर एक फासिस्ट तानाशाही शासन की ओर ले जाना चाहती हैं, इसलिए वहां पर निर्णय किया कि यह जो जयप्रकाशनारायण के नेतृत्व में इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं। उन्होंने जो अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किये जिसकी वजह से अभाव-अभियोग होते हैं, जनता की जेनुइन ग्रीवान्सेज पैदा होती हैं तो एक तरफ तो उनको हल किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ इस प्रतिक्रियावादी आन्दोलन का डटकर मुकाबला करना चाहिए मुझे खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो राज्य सरकार की नीतियों की घोषणा की गई है उनमें न तो सही तौर से स्थिति का ईमानदारी से, स्पष्टता से उसका मूल्यांकन किया गया है और उस दिशा में दृढ़ता से बढ़ने का संकल्प है, और न उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की ओर से जो प्रयास देशव्यापी पैमाने पर हो रहा है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसमें राजस्थान कोई एक एक्सेप्शन नहीं है उसकी ओर कोई संकेत नहीं है और इससे मैं यही मानकर चलता हूं कि राजस्थान सरकार अभी भी आज जनता के इन अभाव-अभियोगों को जनता के प्रति अपने कमिटमेंट्स को आज राजस्थान की स्थिति में जनता की समस्याओं को हल करने के बारे में जो संजीदगी होना चाहिए उसके बारे में उदासीन है। उसी प्रकार से आजकी जो स्थिति है उसका लाभ उठाकर प्रतिक्रियावादी शक्तियां देश के अन्दर तानाशाही कायम करने की ओर आगे बढ़ रही हैं उनकी तरफ भी उदासीन हैं, चुप्पी साधना चाहती हैं, उनसे समझौते के साथ चलना चाहती हैं, तुम हमको न छेड़ो और हम तुमको नहीं छेड़ें, इस समझौते के साथ चलना चाहती हैं। यह दोनों ही स्थितियां राजस्थान की जनता, हिन्दुस्तान में प्रगतिशील आन्दोलन के लिए और देश के भविष्य के लिए हम सही नहीं मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इन शब्दाडम्बरों की आवश्यकता नहीं है कि हम वास्तविकता को छिपायें। मैं समझता हूं कि उससे कोई लाभ भी नहीं होने वाला है। उससें प्रतिक्रियावादियों को ही लाभ मिलेगा, प्रतिक्रियावादी शक्तियां ही मजबूत होंगी, जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं उनको ही लाभ मिलेगा। ईमानदारी से यह मानना चाहिए, ईमानदारी से आज की सरकार को यह मानना चाहिए कि यथास्थिति से काम नहीं चलने वाला है। एक भीषण संकट से हम गुजरे हैं और आज भी गुजर रहे हैं। देश के अन्दर भारी अभाव चीजों का है, भयंकर अकाल हैं उसके लिए अर्थभाव में हम समस्या को हल नहीं कर सके हैं। भयंकर मंहगाई, बेरोजगारी, भयंकर भ्रष्टाचार और नाना प्रकार की जो समस्याएं जनता के सामने हैं। एक किस्म की पेरेलेसिस की हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति बन गई है। जो आगे बढ़ने का इरादा जाहिर किया गया था, 71-72 में खुद माननीय मंत्रीजी ने अपने नये मुख्य मंत्री पद सम्हालते समय जो घोषणाएं की थीं वे घोषणाएं एक किस्म से नाली के अन्दर पड़ी रह गईं और उस दिशा में कदम नहीं उठाये गये चाहे सीलिंग और लैण्ड रिफार्म्स का क्वेश्चन था, चाहे प्रान्त के विकास की समस्याएं थीं, चाहे उद्योगिकरण की समस्या थी, चाहे लोगों को राहत देने का मामला था, चाहे तस्करों और ब्लेकमार्केटियर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात थी, चाहे सही खाद्य नीति अपनाने का प्रश्न था, इन तमाम के तमाम प्रश्नों पर आगे बढ़ने से हिचके हैं और राइटिस्ट प्रेशर के, प्रतिक्रियावादी प्रेशर के तहत उनको पीछे हटना पड़ा। और इस सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि माननीय गुमानमलजी ने उस वक्त धन्यवाद दिया था इस सरकार को जब कि सरकार ने गेहूं के राष्ट्रीयकरण की नीति का परित्याग किया इन्हीं लोगों के प्रेशर से। आम जनता ने विरोध किया, प्रगतिशील तबको ने विरोध किया, इस दल में बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्यों ने विरोध किया, तब इन बेन्चेज (जनसंघ) की तरफ से उसके लिए मुबारकबाद दिया गया था, और इस तरीके से कई नीतियों में इस प्रकार का परिवर्तन आया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय. . .

श्री भानुकुमार शास्त्री : खाद्य के राष्ट्रीयकरण की नीति तो आपने अपनी असफलता के कारण छोड़ी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देश के सामने प्रश्न उपस्थित हो गया कि जो स्थिति मौजूदा है इस मौजूदा स्थिति में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, बदलाव लाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह समझते हैं कि जो यथा स्थिति है और जो यह सारी समस्याएं इकट्ठी होकर सामने आई हैं उन में बुनियादी मसला क्या है ? उसमें बुनियादी सवाल यह है कि आज तक कांग्रेस जिस रास्ते पर देश का विकास करती आ रही है, जो पूंजीवादी रास्ता इन्होंने अपनाया है वह अपने अन्तिम छोर पर पहुंच गया है उसकी पोटेन्शियेलिटी खत्म हो गई। उसके आगे बढ़ने की क्षमता समाप्त हो गई है। उस रास्ते पर देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और उस रास्ते ने यह सारी समस्याएं आज खड़ी कर दी हैं जिसका आपको जवाब देना होगा। इसलिए यही सवाल है मुख्य तौर से। आज बदलाव का सवाल अवश्य है देश के सामने और यथा स्थिति के अन्दर नहीं चला जा सकता है। अब सवाल यह है कि वाम पक्ष की तरफ से चला जाय या दक्षिण पक्ष की तरफ से ? सवाल यह है कि प्रजातन्त्र को और मजबूत करके आगे बढ़ा जाय या प्रजातन्त्र को बिल्कुल खत्म किया जाय। इस प्रश्न पर देश व्यापी पोलेराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। एक तरफ तो वे तमाम शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं जो कि किसी प्रकार की प्रगतिशील नीतियों को पसन्द नहीं करती हैं। एक तरफ वे तमाम शक्तियां इकट्ठी होकर आज यह महसूस कर रही हैं कि अगर देश में बदलाव हुआ तो 71 में जो जनता का संकेत था, 72 में जनता का संकेत था वह इन्दिराजी के नाम पर वोट नहीं थे। वह गरीबी खत्म करने के नाम पर वोट थे, अमीरों पर चोट करने के नाम पर वोट थे, लोगों की भुखमरी को खत्म करने के नाम पर वोट थे, तस्करों और मुनाफा खोरों के खिलाफ एक्शन लेने के नाम पर वोट थे, जागीरदारों और राजाओं के खिलाफ एक्शन लेने के नाम पर वोट थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ एक्शन लेने के नाम पर वोट थे। वह इसलिए महसूस किया गया कि आज की स्थिति से जनता आगे बढ़े। अभी बैंकों का किया है, प्रिवीपर्स का किया है और अभी और चीजें आने वाली हैं जिनसे जनता आगे बढ़ेगी और समाजवाद की तरफ आगे बढ़ेगी। मोनोपोलिस्टों के खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। राजाओं और जागीरदारों के खिलाफ, ब्लेकमार्केटियर्स और जमाखोरों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जनता के दबाव से लेना पड़ेगा। कांग्रेस के अन्दर और कांग्रेस के बाहर जो प्रगतिशील शक्तियां है जो इस पक्ष की हैं, जो ईमानदारी के साथ समाजवाद के लिए लड़ रही हैं, जिनकी मान्यता समाजवाद में है वे आगे बढ़ेंगी चाहे वे कांग्रेस के अन्दर हों चाहे कांग्रेस के बाहर हों। हम प्रगतिशील लोग हैं और ईमानदारी से गरीबों के लिए शोषण के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यही आवाज अब दुनियां के कोने कोने से उठाई जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार की बुनियाद के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज देश के अन्दर पालराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है केवल हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान की वजह से यह आज कहना सही नहीं। कुछ लोग इस बारे में एक मत हैं। हमारा यह

(84)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहना है कि आज हमारे देश में एक ऐसी बुनियाद डालने की आवश्यकता है जो बुनियाद इन्दिरा गांधी नहीं डाल सकतीं, या हरिदेव जोशी या परसराम मदेरणा नहीं डाल सकते। इस बुनियाद के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, बुनियादी सिस्टम। अगर इस देश से शोषण की जड़ें खत्म करनी हैं तो हमें कई कदम उठाने होंगे कई समझौते करने पड़ेंगे। इस पूंजीवादी रास्ते को छोड़ना होगा और इसके बीच में गैर पूंजीवादी रास्ता निकाल लेगा जिसमें पूंजीवाद को आगे बढ़ने नहीं देना, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करते जाना और फिर उसके बाद समाजवाद का सही रास्ता प्रशस्त करना होगा। जिम्मेदार इस शोषण के लिये कुछ ही व्यक्ति हैं, कुछ ही लोग हैं जो भ्रष्टाचार है. वह जिम्मेदार लोग अगर नहीं रहें तो इस देश से, उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी खत्म हो जायगी। हमारे कांग्रेस के मित्र भारी भ्रम में हैं कि हमारे कारखाने लग जायेंगे, हमको विश्व बैंक से लोन मिल जायगा, चम्बल और राजस्थान केनाल योजनाओं के लिए लोन मिल जायगा, दो चार कारखाने और आ जायेंगे तो हमारी समस्याएं हल हो जायेंगी। मेरा निवेदन है कि आज केवल इन्डस्ट्रियलाइजेशन से या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा देने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। आज दुनियां के बेस्ट इन्डस्ट्रियलाइज्ड कन्ट्रीज हैं, अमेरिका, इंगलैण्ड, फ्रांस, इन देशों ने बहुत उन्नति की है, मगर बेरोजगारी, इन्फ्लेशन आज उन सबके ऊपर मुंह-बाये खड़े हैं। इसलिए हमको गहराई से सोचना पड़ेगा कि संकट किस चीज का हमारे सामने है। हमारे देश में इसका कारण क्या है। इसका कारण हमारे देश में यह है कि हम पूंजीवादी जगत से जुड़े हुए हैं। सारी दुनियां में यह संकट नहीं है, यह कहना सही नहीं है। मेरे कांग्रेस के मित्र जानते हैं, यू.एन.ओ. ने रिपोर्ट दी है कि इस प्रकार के संकट पूंजीवादी देशों में ही हैं, साम्यवादी देशों में इस प्रकार के कोई संकट नहीं हैं। वहां पर किसी किस्म का मुद्रा का संकट नहीं है। इन्फ्लेशन का डर डालर और पौण्ड को हो सकता है मगर आज इन्फ्लेशन का संकट रूबल पर कोई नहीं है कि उनको इसका अवमूल्यन करना पड़े। वे अपनी दिशा में मजबूत हैं। और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हमको ईमानदारी से सोचना पड़ेगा कि हमको यह रास्ता बदलना पड़ेगा। हमको वह रास्ता अपनाना होगा और पूंजीवादी रास्ता छोड़ना होगा। हमको अपने देश के अनुभव की स्थिति के आधार पर आगे बढ़ना होगा। हमारा यह कहना नहीं कि रूस की कापी करो या और कोई देश की कॉपी करो हमको चाहिए कि शोषण का रास्ता बदलें। इसका मतलब यह कि हमारे देश में अभी तक जो साम्राज्यवादी अवशेष हैं, सामन्तवादी अवशेष हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है इन सबका पहले सफाया करना पड़ेगा। बुनियादी सवाल है कि हम कम्युनिस्ट लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हमारा कहना केवल यह है कि इमीजियेटली अभी समाजवाद की स्टेज नहीं है, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन की स्टेज है। इन चारा कामों में हमारा कोई मतभेद नहीं है किसी से भी मतभेद नहीं है। और यह देश की आजादी के आन्दोलन का भी कोई प्रश्न नहीं है। इन कामों के लिए हम लड़ें हैं। इन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चारों कामों को पूरा किया जाय तो हम देश को गारत से निकाल सकते हैं। तो यह बात हम देश के अन्दर देश और दुनिया के अनुभव के आधार के ऊपर कहते हैं। हम केवल घोषणा ही करना नहीं जानते, हम उनके अनुसार काम भी करते हैं। दुनियां में कुछ मुल्क ऐसा कर रहे हैं और इसी आधार पर हमारा यह कहना है कि 1975 की दुनियां में पूंजीवादी तरीके नहीं चल सकते। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है, हम यह उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार इस साल रिथिन्किग करेगी और उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करेगी। अभी रावत भाटा में कैम्प हुआ उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा वहां पर कुछ घोषणा की गई, वह आई है, हमारी पार्टी ने उनका स्वागत किया है। लेकिन घोषणाएं बहुत करने की आदत हैं हमारी सरकार की। हमारा कहना है कि वे घोषणाएं केवल फाइलों में ही नहीं पड़ी रह जायें उन पर अमल भी होना चाहिए। उनको लागू भी करना चाहिए। मुझे खेद है सरकार ने जो घोषणाएं कीं रावत भाटा के कैम्प में और उसके बाद उनका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन घोषणाओं का कोई उल्लेख नहीं आया है। क्या सरकार उन घोषणाओं से पीछे हटना चाहती है, वह इस दिशा में मौन क्यों है ? अभी जुम्मा जुम्मा पांच दिन हुए उस बात पर, जिस पर गर्व कर सकते हैं, उनको आप भूले हुए क्यों हैं, भूलने वाले तो आप हैं नहीं। जहां फायदे की बात होती है वहां आप चवन्नी को रुपया करके कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप करना नहीं चाहते हैं उन घोषणाओं के मुताबिक काम जो आपने की हैं। आपने देहात में हरिजनों को जमीनों के पट्टे देने की घोषणा की है, और कई स्थानों पर पटटे दिये भी हैं। मगर चवन्नी को रुपया करके दिखाया गया है वहां पर भी। पांच लाख अडतालीस हजार पट्टों में से साठ हजार तो पहले से ही वहां बसे हुए थे, वर्षो से वहां छप्परों में रह रहे थे इसलिए वह तो केवल अखबारी चीज है। *परन्तु जिनको पट्टे दिये हैं उनके* लिए भी अभी बहुत काम करना है केवल पट्टे दे दिये जाने से ही हरिजनों के मकान नहीं बन गये। उनके लिए मकान बनवाने की भी व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार के समाज सुधार के और भी कई कदम उठाने होंगे, नहीं तो जान के लाले पड़ जायेंगे। केवल दस्तखत कर देने से ही काम नहीं चलने वाला है। यह तो अधूरी बातें हैं। जब तक हरिजनों के मकान नहीं बन जाते, वह बात भी अधूरी ही होगी। अगर पांच लाख अड़तालीस हजार में से एक–दो लाख मकान भी बना दिये जायेंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

अभी तक यह बात केवल कागजी है, अधूरी है, प्राइमरी है। हम भी प्रयत्नशील हैं, पूरे तौर से सहयोग देकर और कोशिश करेंगे। आपने पथ परिवहन निगम का 28 % राष्ट्रीयकरण किया। हमने उसका सवाल किया। आपने मेडिकल की प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाई। हमने उसका स्वागत किया। इतना ही नहीं राष्ट्रीयकरण का स्वागत जहां आया तो आप पीछे हटे हैं और हम आगे बढ़े हैं। हमने राष्ट्रीयकरण को कामयाब बनाने की कोशिश की है। यह कहिये कि आपके दिल में इच्छा नहीं थी।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेवी आपने डायरेक्ट लगाई। यह अच्छा किया है। आप भूले हुए सही रास्ते पर आये हैं। आयन्दा आप उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं। राष्ट्रीयकरण जब तक आप ऐसी तमाम चीजों का नहीं करेंगे, वह समस्या हल होने वाली नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था। आपने घोषणा की, न केवल आवासीय भूमि शहरों में ही दी जायेगी जैसा कि माननीय गहलोत साहब बोल गये हैं, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, और जन जातियों को दी जायेगी। हरिजनों को दी जायेगी। मेरा कहना यह है कि न केवल आदिवासी, हरिजन, अनुसूचित जाति को ही मिले, बल्कि हर इन्सान की रिहाइश की जरूरत पूरी होनी चाहिए। जनता एक्शन में आ चुकी है। जनता दरख्वास्त दे रही है। आपको देनी होगी आपने घोषणा की थी, जो हरिजन और आदिवासी की जमीन पर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है, उनको छोड़नी होगी। उनके लिए आप चुप क्यों हैं? राजा महाराजाओं की जमीन लेकर बांटेंगे। उसके लिए आप चुप क्यों रह गये? अध्यादेश किया है, उसको भी आप विण्डो ड्रेसिंग रखना चाहते हैं। आपने कहा था, दो साल में सीलिंग कानून लागू करेंगे। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा था कि फलां सीलिंग कानून में जो संशोधन है, उसके बाद उसको दो साल में लागू करेंगे। लेकिन क्या हुआ? आप हर जिले से 10, 10 ईमानदारी से छांट लें। आप दस, दस पर लागू करदें। 75 में लागू करके दिखाइये। 3 महीने में लागू करके दिखाइये। तो आपको पता चलेगा। केवल दो वर्ष की बात कह दें तो वह तो सुखाड़िया जी के जमाने से चल रही है। इस बात के लिए हम आव्हान कर रहे हैं। हम आन्दोलन कर रहे हैं। जनता को संगठित कर रहे हैं। आपने तिरंगे झण्डे का संगठन किया है, ठीक है। आगे चल कर लाल झंडा और तिरंगा झण्डा दोनों हाथ पकड लेंगे। लड़ेंगे, जो बड़े बड़े जमीदार बैठे हैं। उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम गरीब जनता को संगठित करते हैं। तो यह सही काम है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है, इस तरीके से आज जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस के जो प्रगतिशील कहलाने वाले लोग हैं, वह आगे निकलें। आज यथास्थिति से काम नहीं चल सकता है। यह तो या तो वामस्थिति होगी या अमीर होंगे, कबड्डी का पाला खिंच गया है। हम क्या तय करने जा रहे हैं। आज देश का आन्दोलन तय होने जा रहा है जो हमारे राजस्थान में क्रान्तिकारी कहलाने वाले मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी है। जो गरीब जनता का साथ देने वाले हैं। आज वह उन पार्टियों के साथ में जा रहे हैं, जिनको वह प्रतिक्रियावादी कहते हैं। खास तौर से सी. पी. एम. के बारे में कहूंगा। कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को सही समझते हैं। वह आज जो स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ जो प्रतिक्रियावादी हैं, उनके साथ में जा रहे हैं। मोहन पुनमिया को मैं कहता हूं।

श्री **मोहरसिंह** : कहिये, कहिये।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आपके साथ चलने वाले लोगों को मैं कहूंगा। आप 21 तारीख रखते हैं। 21 तारीख आप तय करते हैं। हमारी भी हड़ताल होगी और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तुम्हारी भी हड़ताल होगी। जनता को आप नहीं चला सकेंगे। आप अभी तक महारानी गायत्री देवी और भैरोंसिंह के साथ बैठेंगे। जमाखोरों और जौहरियों के साथ बैठेंगे। मैं जानता हूं, आपकी पार्टी में मतभेद है। लेकिन आप किसान कार्यकर्ता रहे हैं। इसलिए मैं जानता हूं। यह देश में एक निर्णायक प्रश्न हो रहा है। मैं सोचता हूं सोशलिस्ट पार्टी के और सी.पी.एम. के लोग इस पर गम्भीरता से सोचेंगे? उनके नेता चाहे जो कुछ कहें। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य रामकिशन जी आज भी भा.लो.द. में जाने की बात कर रहे हैं। उन अन्धी जगहों में वह कहां अच्छे लगेंगे? महारावल साहब जहां गये·····

श्री गुरदयालसिंह संधु : आपको कैसे पता चल गया है कि भा. लो. द. में जा रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आज नहीं तो कल सामने आने वाला है। माननीय गुमानमलजी कह गये हैं। पार्टी के नाम से अब नहीं चलेगा। जनता के प्रतिनिधि चलेंगे। जयप्रकाश नारायण ने कह दिया है। वह दिया अब बुझने वाला है। यह उनका कसूर नहीं है। अटल बिहारी ने साफ कह दिया है। जनसंघ अब शायद ही कायम रहे। भारतीय क्रान्तिदल के चौ. चरणसिंह ने कह दिया है। मैं शास्त्री जी से कहूंगा कि वह पूरे साल तक अध्यक्ष नहीं रह पायेंगे। दिया बुझने वाला है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे ऐसा लगता है, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की गोद में न बैठ जाये? विजयवाड़ा में आपकी पार्टी ने जो निर्णय लिये हैं।

एक माननीय सदस्य : जहां जहां चरण पड़े सन्तन के, तहं तहं बंटाढार।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने विजयवाड़ा की बात कही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी भूखी नहीं है सत्ता के लिए। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता नहीं देखी हो। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ तौर पर विजयवाड़ा में कहा है, मौजूदा कांग्रेस सरकार चाहे प्रान्त की हो, चाहे केन्द्रीय सरकार इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हो, वह सरकार आज जिस प्रोग्राम पर चल रही है–वह पूंजीवादी रास्ता है, और उस रास्ते से देश की समस्यायें हल नहीं हो सकती···

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप अलग हो जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देश की समस्यायें अकेली कांग्रेस हल नहीं कर सकती अकेली कांग्रेस सरकार हल नहीं कर सकती। कांग्रेस के अन्दर आज चन्द्रशेखर जैसे जयप्रकाश नारायण के समर्थक बैठे हैं, कांग्रेस के अन्दर जयप्रकाश नारायण से लड़ने वाली इन्दिरा गांधी बैठी है, बरुआ बैठे हैं। कांग्रेस होमोजीनिअस नहीं है। खुद गुमानमल जी ने कहा, ऐसे लोग दिल्ली में हैं। खुद जनसंघ ने कांग्रेस का इस बात पर समर्थन किया, गेहूं का डीनेशनलाइजेशन किया, उसका वह समर्थन करते हैं। हमने समर्थन तब किया था जब गेहूं का नेशनलाइजेशन किया था। इसलिए क्वेश्चन पालिसी का है। आप राइटिस्ट पालिसी को पसन्द करते है हम लेफटिस्ट पार्टी का

Page No 88

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पसन्द करते हैं। कांग्रेस में राइटिस्ट बैठे हैं और लेफ्टिस्ट भी बैठे हैं....

श्री फूलचंद जैन : सेन्टरिस्ट।

श्री रामानंद अग्रवाल : सेन्टरिस्ट बैठे हैं, और ऐसे भी बैठे हैं जो ढुलमुल हैं, मोरारजी की जीत देखते हैं तो उधर चले जाते हैं, और इन्दिराजी की जीत देखते हैं तो उधर चले जाते हैं। असल में कांग्रेस एक धर्मशाला है जिसमें हर मुसाफिर को ठहरने की इजाजत है....

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसलिए आप धर्मशाला में बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस की कब्र है।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं स्पष्ट रूप से देश के अन्दर बहुत से हमारे दोस्तों ने कांग्रेस वालों की चुटकियां ली हैं, उन्होंने कांग्रेस को वरगलाने की कोशिश की है, यह कम्युनिस्ट अंगुली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ रहे हैं। अब दोस्त हैं तो अब केरल में हैं, कल फिर बिहार में चाहेंगे, फिर दिल्ली में चाहेंगे। और एक दफा बैठ जायेंगे तो खुद तो बैठे रह जायेंगे और तुमको धकेल देंगे। उनको ज्यादा चिन्ता है, जो कांग्रेस को हटाने के पक्ष में हैं उनको इस बात की ज्यादा चिन्ता है। मैं स्पष्ट बात निवेदन करना काहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी यह दावा नहीं करती कि उसकी ताकत इतनी है कि देश की समस्याओं को हल कर सकती है। और हम यह भी नहीं मानते हैं कि देश में अकेली कोई पार्टी, कांग्रेस समेत ऐसी है जिसमें इतनी ताकत है, उसका ऐसा प्रोग्राम है, संगठन है कि देश की तमाम समस्याओं को हल कर सकती है। इसलिए देश की समस्याओं को हल करने के लिए लेफ्टिस्ट एण्ड डेमोक्रेटिक यूनिटी, वामपक्षी और जनतंत्रवादी यूनिटी की एक सरकार एक ऐसे प्रोग्राम, जैसे ईम्पीरियलिज्म को खत्म करता है, मोनोपोली और कैपेटेलिज्म को खत्म करना है, देश को इकॉनामिकली मजबूत करना है एडमिनिस्ट्रेशन में से ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना है--को पूरा करे। इस तरह की यूनिटी की सरकार इस देश की समस्याओं को हल कर सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। इसलिए हम कांग्रेस के जो प्रगतिशील हैं, उनका एक असरदार हिस्सा मानते हैं, वह होगा और जरूरी है। इस बात को कम्युनिस्ट विजयवाड़ा कांग्रेस में भी हमने स्वीकार किया। हम कैसे कह दें, कांग्रेस में मजदूर नहीं हैं, कांग्रेस में किसान नहीं हैं, कांग्रेस में मध्यम वर्ग वाले नहीं हैं, कांग्रेस में अल्प वेतन-तनख्वाह पाने वाले लोग नहीं हैं। क्या सारे मजदूर और किसान हमारे पीछे हैं। अगर वह हमारे पीछे होते तो देश की स्थिति बदली हुई होती। हम वास्तविकता पर चलने वाले लोग हैं, हम वास्तविकता को मानने वाले लोग हैं, हम भावनाओं को मानने वाले लोग नहीं हैं। तमाम शक्तियां जो इन शोषक वर्ग के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, उनको इकट्ठा करके शोषक वर्ग के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, और उनकी एकता बना कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह एकता की बुनियाद पर देश में परिवर्तन की लड़ाई है। लेकिन हम राजस्थान में किसकी किस प्रकार एकता करना चाहते हैं, मुझे खेद है, उपाध्यक्ष

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय, इन बातों को समझते हुए भी आज राजस्थान सरकार इस सारे देश के परिवेश को समझ कर दिग्भ्रमित होकर किस दिशा में जा रही है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख है कि वर्ल्ड बैंक से जो राजस्थान कैनाल कमाण्ड एरिया के सम्बन्ध में, या चम्बल कमाण्ड एरिया के सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट हुआ है उसका जिक्र किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, किन्हीं विदेशों से कर्ज या मदद ली जाय वगैर स्ट्रिंग्स के, अपनी सोवरनिटी कायम रखते हुए, अपने देश के हित को सामने रखते हुए, अपने देश की सर्वोच्च सत्ता को हाथ में रखते हुए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाय तो वह चाहे पूंजीवाद देश से हो––हम उसके विरोध में नहीं है । लेकिन मुझे खेद है कि जो एग्रीमेंट किया गया है, इसकी अगर धाराओं को पूरी तरह से संजीदगी से पढ़ें, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दूसरा डियेगोगार्शिया हमारे राजस्थान में राजस्थान सरकार अमेरिकी सरकार की मदद से यहां पर खड़ा कर रही है । आज इस बात के ऊपर कोई मतभेद नहीं है, यह वर्ल्ड बैंक क्या है, किनकी शक्ति हैं । यह तमाम पूंजीवादी दुनिया के इजारेदारों का अखाड़ा है, जिसमें मोनोपोली अमेरिकी केपिटलिज्म की है, चाहे उसे वर्ल्ड बैंक का नाम दे दिया गया हो, वह अमेरिकन मोनोपोलिस्ट और केपिटलिज्म की बैंक है, उसमें उनकी आथोरिटी चलती है । मैं चाहूंगा, वह तमाम एग्रीमेंट जो हुआ है, वह इस सदन की मेज पर रखा जाय ताकि माननीय सदस्यों को उसे पढ़ने का मौका मिले । मुझे खेद है, एक अपमानजनक लड़ाई अस्सी और सौ वर्ष लड़ कर इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़कर देश को आजाद किया, इम्पीरियलिज्म को भगाया और अब अमेरिकन इम्पीरियलिज्म से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अमेरिकन इम्पीरियलिज्म को बैंक डौर से लाकर हमारी छाती पर बैठाना चाहती है । किस परिवेश में ? उस परिवेश में जब अमेरिकन इम्पीरियलिज्म एक तरह से डियेगोगार्शिया में अड्डा खोल कर हमारी छाती की तरफ बन्दूकें तान रहा है, सेवन्थ फ्लीट इन्डियन ओसियन में लाकर डराना चाह रहा है, एटलांटिक में एटलांटिक सैन्टों और सीटों के तहत अभ्यास कर रहा है––क्या अभ्यास है, किस कारण से अभ्यास है––एक तरफ पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई का एम्बार्गो उठा कर पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई कर रहा है, अमेरिकन प्रेसीडेंट मिस्टर फोर्ड धमकी दे रहा है, हमने एम्बार्गो हटाया है, हम इस तरह बांटते रहेंगे। वह हिन्दुस्तान को डराना चाहता है, हिन्दुस्तान की नीतियों को बदलवाना चाहता है, हिन्दुस्तान की समाजवादी शक्तियों की एकता को तोड़ना चाहता है, हिन्दुस्तान की नीतियों को परिवर्तित करना चाहता है । आपने जो वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट करा है, उसके तहत आपको करीब दो सौ करोड़ रुपये का लोन मिल जायगा लेकिन किस कीमत पर ? जो देश की आजादी है, देश का आत्म अभिमान है, देश का हित है––आप सारे अधिकार उन अंग्रेज थैलीशाहों के साथ में गिरवी रख रहे हैं । आपके डाइरेक्टर जो होंगे, जो यहां बिल ला रहे हैं, और नेशनल लैंड डवलपमेंट कोर्पोरेशन बना रहे हैं, उसके डाइरेक्टर को आप तय नहीं करेंगे, फोर्ड साहब की स्वीकृति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेनी पड़ेगी। फोर्ड साहब स्वीकृति देंगे। अगर वह एसोसियेशन, जिससे आप लोन ले रहे हैं, यानि वर्ल्ड बैंक से, वह सेटिसफाइड हो जाय आपके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स से, उसके परसोनेल से वह सेटिसफाईड हो जाय, तब ही वह आपको लोन देगी, नहीं तो लोन नहीं देगी। इसलिए शायद यह जो कमाण्ड एरिया की आथोरिटी है, उसके लिए यह बात है कि कमाण्ड एरिया की उतनी सी.ए.डी. की आथोरिटी बनेगी और वहां से ओ.के. करानी पड़ेगी। अभी तक ओ.के. यहां करानी पड़ती थी, किसी किसी मामले में दिल्ली जाना पड़ता था। अब वाशिंगटन जाना पड़ेगा, वहां से ओ. के. कराना पड़ेगा। चाहे सी. ए. डी. की आथोरिटी हो, चाहे लैंड डवलपमेंट की आथोरिटी हो, उसके डाइरेक्टर को आप अपाइन्ट नहीं कर सकते। उनकी कन्सेन्ट से, उनके सेटिसफाइड होने पर, उनके ओ. के. होने पर कर सकेंगे। और जब भी वह नाराज हो जायं, उस लोन को एकदम बन्द कर सकते हैं, और उसको बन्द करके एकदम आर्डर कर सकते हैं, तमाम लोन जितना भी खर्च हुआ है, उसको एकमुश्त अदा करो, सूद समेत अदा करो। जो कर्ज है वह फौरन अदा करो। सारे के सारे का मतलब यह है, आपकी फारिन पालिसी आपकी गृह पालिसी उनके अनुसार और उनको खुश रखने की नीति के अनुसार चलानी पड़ेगी। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बल्कि सड़क आपको बनानी हो, लाईनिंग करनी हो, पानी लाना हो, किसान को कर्ज देना हो, तमाम के तमाम सवालात उनके रिप्रेजेंटेटिव से ओ.के. होंगे और उनके रिप्रजेंटेटिव को आपके तमाम बोर्डर ऐरियाज पर जाने का अधिकार होगा, आपके सारे डाक्यूमेंट को, आपके हिसाब किताब को देखने का अधिकार होगा आपको मालूम है सी.आई.ए. ने चिली में क्या किया है। इस सम्बन्ध में प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है। फोर्ड ने किस तरह से इस बात को कहा है, सी. आई. ए. ने चिली में वहां की हुकूमत को उल्टा है। आपको मालूम है कि वर्ड बैंक में कितना सी. आई. ए. का पर्सनल है। तो जो रिप्रजेंटेटिव इसके तहत रहेगा, जिसको अधिकार दिया है, डाक्यूमेंट देखने का, बोर्डर एरियाज में जाने का, देखने का वह एक तरफ तो पाकिस्तान को हथियार देंगे और दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल एरिया के बारे में खबर देंगे कि यहां वलनरेबल एरिया है, यहां आ जाओ। और उस एरिया का नक्शा दे देंगे। यह देश के लिए खतरा है और आप गर्व करते हैं कि हमने इस तरह का एग्रीमेंट अमरीका से किया है और 85 मिलियन डालर्स राजस्थान कैनाल के लिए और 52 मिलियन डालर्स आपके चंबल कैनाल के लिए मिल जायेंगे। यह देश का सबसे बड़ा अहित है और इसमें संदेह नहीं कि भारत सरकार की कन्सेंट से यह हुआ है और भारत सरकार में हर तरह के एलीमेंट्स बैठे हुए हैं। जहां गल्ती हुई है उस बात को दुरुस्त करना चाहिये। हम राजस्थानियों ने जो अपने खून की आहूति देकर देश को स्वतंत्र कराया है उसको खतरे में नहीं पडने देंगे। इस पर पुनः विचार होना चाहिये। सदन को विचार करने का पूरा मौका मिलना चाहिये और हम सब को मिलकर भारत सरकार से कहना चाहिये कि इस एग्रीमेंट को रेसिंड किया जाय। क्या हमारे इंजीनियर्स को इतनी अकल नहीं है कि नाली किस तरह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से बनाई जाय, टीवों की लेविलिंग कैसे की जाय, क्या उनको सडकें बनाना नहीं आता है ? उसके लिए 4–4 एग्रीमेंटस किए हैं । भारत सरकार, राज्य सरकार, ए. आर. सी. फिर डेवलपमेंट निगम, इस तरह से इतना बडा आरगनाइजेशन बनाकर सबका हस्तक्षेप होगा। देश की आजादी गिर्वी, सावरेंटी गिर्वी रखी है। तो जो विश्व बैंक से एग्रीमेंट्स हुए हैं उनका मैं तीव्र विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि उन पर पुन: विचार होना चाहिये।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि यह एग्रीमेंट क्यों हुआ ? आज देश में इस तरह की लगातार शक्तियां काम कर रही हैं जो हमारे देश को अमरीकन इम्पीरियलज्म के साथ ले जाना चाहती हैं। हमारी विदेश नीति को समाजवादी दोस्तों से दोस्ती छुड़ाकर ब्रिटिश व अमरीकन इम्पीरियल्जम के साथ जोड़ना चाहते हैं। हर रास्ते पर वे देश में इस तरह की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आज देश में जो जयप्रकाशनारायण का आन्दोलन चल रहा है, वह आंदोलन कोई अचानक हमारे देश का आंदोलन नहीं है क्योंकि विश्व को पूंजीपति देशों से खतरा है। एक देश के बाद दूसरा देश फिर तीसरा देश आज इम्पीरियलिज्म के खिलाफ होता जा रहा है। आज देश आजाद हुआ वह इम्पीरियलज्म के खिलाफ हो गया। तमाम के तमाम अरब देश जो पहले अमरीका के साथ रहते थे साऊदी अरेबिया और जोर्डन जैसे सारे के सारे देश अमरीका के खिलाफ होते जा रहे हैं। वियतनाम से तो उसका झंडा पहले ही उखड़ गया है। तो वे हिन्दुस्तान पर आंख लगाकर बैठे हैं कि यदि वह पूंजीवादी खेमे से निकल गया तो

(3.53 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन सभापति, पीठासीन)

पूंजीवाद का नाम नहीं रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर वह इस तरीके से हमारे चारों तरफ नाकाबन्दी कर रहे हैं और इन्टरनल अफेयर्स में हम उसकी मदद की आशा कर रहे हैं। जयप्रकाशनारायण उनको सिपहसालार मिल रहा है जिसको इकठ्ठा करके जन संघ, स्वतंत्र पार्टी तमाम प्रतिक्रयावादी शक्तियों को इकठ्ठा करके जनता को भुलावे में डालकर कि महंगाई हटायेंगे, भ्रष्टाचार हटायेंगे, बेरोजगारी हटायेंगे, ये केवल स्लोगन्स हैं। असली नीयत क्या है ? वह है कि हम पूंजीवादी सिस्टम को बचायेंगे, समाजवाद को नहीं आने देंगे, सोवियत यूनियन की दोस्ती नहीं रहने देंगे, इसको तुड़वायेंगे और देश को पूंजीवाद की तरफ ले जायेंगे। आज अमेरीका को पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रहा। वह समझता है कि हर देश में जहां पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है, वे उसके खेमे से निकलकर एन्टी-इम्पीरियलिस्ट होता जा रहा है। इसलिए तमाम डेमोक्रसीज को उलटने का इरादा है। चिल्ली में डेमोक्रेसी को उलट दिया, हिंदुस्तान पर आंख है। जयप्रकाश मूवमेंट को हम सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : रूस में कौनसी डेमोक्रेसी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सही है कि जिस किस्म की डेमोक्रेसी आप चाहते हैं सेठों की पूरी तरह से मुनाफा लूटने की छूट मिले वहां नहीं है। वहां लुटेरों की डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है उसके लिए डिक्टेटरशिप है, सख्त सजा है इसलिए आप जैसे विचारों की डेमोक्रेसी नहीं है····

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप रूस जैसी डेमोक्रसी यहां चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है कि मुख्य तौर से आज हम अपने प्रांत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज हमारे मतभेद कांग्रेस से भी हैं, जनसंघ स्वतंत्र पार्टी से भी है लेकिन कांग्रेस से मत भेद है इस बात पर कि कांग्रेस देश को पूंजीवाद के रास्ते से छुड़ाकर और आगे नहीं बढाना चाहती लेकिन कांग्रेस देश में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रखना चाहती है। वह समाजवादी देशों के साथ दोस्ती रखना चाहती है, वह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रही है, सामंतवाद के खिलाफ छोटे मोटे कदम उठा रही है, मोनोपोलिस्ट्स के खिलाफ छोटे मोटे कदम उठा रही है। इस हद तक हमारी कांग्रेस से एकता है। इन सवालों पर समाजवादी पार्टी और सी.पी.एम. से भी एकता है लेकिन समाजवादी और सी.पी.एम. आज कांग्रेस विरोध में एन्टीइम्पीरियलिज्म को भुलाकर जिस तरह से चीन अमरीका के खेमे में चला गया, उसी तरह से सोवियत यूनियन के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता और सी.पी. एम के नेता भी सोवियत यूनियन को गाली देते हैं। जो जयप्रकाशनारायण कहते थे कि आर. एस.एस. गांधीजी का हत्यारा है, इस पर बैन लगनी चाहिए, आज वहां जयप्रकाश आर.एस.एस से घिरा हुआ उनके साथ चल रहा है और उनकी वकालत करते हैं। कल अखबार में पढ़ा कि सी. पी. एम. के नेताओं ने भी आर.एस.एस. की वकालत की। सी. पी. एम. के लोग इस रास्ते पर जायेंगे····

श्री मोहर सिंह : कौनसी अखबार में पढ़ा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज दो खेमे बन चुके हैं। चाहे कांग्रेस से कितने ही मत भेद हैं, आज यह सवाल उठता है कम्युनिस्ट्स सरकार पर चढ़ते आ रहे हैं। इसलिए चंद्र शेखर कहते है कि जय प्रकाश से क्या लडना है, उनसे एकता हो सकती है, लड़ाई कम्युनिस्ट्स से है, आओ मिलकर उनसे लड़ें। कम्युनिस्टस से लड़ने का मतलब समाजवाद से लड़ना। आप कैपीटेलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस तरह आपकी पार्टी में पूंजीपति भी हैं, राजा लोग भी हैं, मोनोंपोलिस्ट्स भी हैं, बड़े बड़े जमींदार भी हैं, उनका हित समाजवाद में नही है, वे जे. पी. की नीति के साथ हैं। इसलिए आज बात छिपाने का समय नहीं है। मुझे खेद है कि आज राजस्थान में कांग्रेस इस खतरे को सही तरीके से न समझकर वाजिद अली शाह की तरह बैठे रहना चाहती है। बिहार में कांग्रेस चुपचाप बैठी रही तो जयप्रकाश नारायण ने हावी होकर वहां हिंसा का वातावरण बनाया, लोगों को बाहर निकलना बंद कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले सोचा कि खुशी की बात है, कांग्रेस ने निर्णय लिया और कांग्रेस लोहा ले रही है। राजस्थान में जो कांग्रेस की ताकत है किसी पार्टी की ताकत नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। आज हिन्दुस्थान में डेमोक्रेसी की लड़ाई एक एक गली, एक एक शहर में लड़ी जाने वाली है। जयप्रकाश ने 4 प्रांतों के नाम लिए हैं, राजस्थान का नाम नहीं लिया है इसलिए यदि आप समझें कि राजस्थान का क्या ताल्लुक तो यह आपका भ्रम है। इसलिए वास्तव में जो फासिज्म के विरोधी हैं, देश में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं ... आओ हम फासिज्म के खिलाफ लड़ें। इसके लिये में उन सभी पार्टीज के लोगों का आह्वान करता हूं, चाहे वे कांग्रेस के अन्दर हों चाहे वह कांग्रेस के बाहर हों उन सभी को फासिज्म के खिलाफ में लड़ने के लिये आमन्त्रित करता हूं। फासिज्म को समाप्त करने के लिये हम सब एक मत होकर अपने सभी मतभेदों को भुलाकर एक होकर फासिज्म को डिफीट करने के लिये कार्यवाही करें। अगर हमें पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को कायम अपने देश में रखना है तो हमें इस फासिज्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ कर उसे डिफीट देनी होगी। यह ठीक है कि आप कुछ संशोधन चाहते हैं जैसे चुनावों में संशोधन करने के लिये, हम भी चुनावों में संशोधन करने के हक में हैं। हम भी चाहते हैं कि चुनावों में संशोधन हो। लेकिन चुनावों में संशोधन के नाम को लेकर अगर आप पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को उलटना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं तो इसका हम घोर विरोध करेंगे। यह फासिज्म हमारे देश में पनपाने की बात हो रही है यह देश की पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के लिये बहुत ही खतरनाक है। पहले भी यह फासिज्म जर्मनी में हिटलर के वक्त इटली में और जापान में फैला था हमने इसको डिफीट दिया। और अब भी हम इसको डिफीट देंगे। इसलिये मैं आज देश के प्रगतिशील लोगों को चेतावनी देता हूं चाहे वह इस पक्ष के हों चाहे वह उस पक्ष के हों, किसी भी पक्ष के हों, उन्हें फासिज्म का खतरा है इसलिये इसको हमें समाप्त करना है। इसके अलावा सभापति महोदय, में सिर्फ देश के विभिन्न पार्टियों के लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे देश की गांवों की जनता को, हमारे देश के मजदूरों को सभी को कहता हूं कि हमें फासिज्म का मुकाबला करना है। और वह मुकाबला पुलिस के द्वारा नहीं, पुलिस के डंडे से नहीं, पुलिस की लाठी से नहीं बल्कि हमारे किसान भाई जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो कल कारखानों में मदूजर का काम करते हैं वह सभी मिलकर सड़कों पर इसका मुकाबला करें। अगर हम देश में सोशिजीज्म को पनपाना चाहते हैं तो हमारे लिये यह अनिवार्य है कि हम इन पुलिस के भरोसे नहीं रहें हमें खुद को मुकाबला करना चाहिये। आज लोग जयप्रकाश नारायण का फासिस्ट लोग साथ दे रहे हैं उन सभी के लिये मैं चैलेन्ज करता हूं कि वह सभी लोग चाहे राजा हों, महाराजा हों, पूंजीपति हो यह सभी भाग जायेंगे यह एक भी टिकने वाले नहीं है और हम इनको डिफीट देंगे। आगे भी हमने उनको तीन बार डिफीट दी है।

सभापति महोदय, इस फासिज्म के खिलाफ में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं है बल्कि अब इसका प्रचार यूथ में और स्टूडेन्ट्स में भी फैल गया है। वह भी अब

Page No 94

(९४)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समझने लग गये हैं और वह लोग भी जयप्रकाश नारायण के खिलाफ में आन्दोलन कर रहे हैं। आज हमारे देश में अलग अलग कोनों में जयप्रकाश नारायण के खिलाफ में आन्दोलन हो रहा है। इसका कारण यह है कि अब यूथ भी राजनीति को समझने लग गया है आज देश की गली गली में जयप्रकाशनारायण को चैलेन्ज किया जा रहा है। लोग अब जयप्रकाशनारायण के भुलावे में आने वाले नहीं है। अगर देश में सोशिलिज्म को कायम रखना हैं अगर कांग्रेस को सोशलिज्म रखना है तो हमें फासिज्म को समाप्त करना पड़ेगा। हमें इसके लिये ब्लेक मार्केटियर्स, जखीरेबाजों से और राजा महाराजाओं तथा पूंजीपतियों से लड़ना होगा और सभापति महोदय, मै चैलेन्ज करता हूं कि इन लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त करके रहेगी। सभापति महोदय, अभी जनसंघ के माननीय सदस्य श्री गुमानमल जी लोढ़ा नहीं है उन्होंने सदन में जो कहा है उस दलील का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी जखीरेबाजों और ब्लेक मार्केटियर्स के साथ है उन्हें चैलेन्ज करना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से ही इनके खिलाफ है और उनको समाप्त करके रहेगी। जैसा कि गुमानमलजी ने कहा कि हमने जखीरेबाजों की खिलाफत की तब लोगों ने हमें यह कहा कि जनसंघ भी अब कम्युनिस्ट पार्टी का साथ दे रही है तो हमें यह कहना है कि हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अगर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी में अगर कोई जखीरेबाजों के पक्ष में बोलता है तो हमारे यहां पर उससे जवाब पूछा जाता है। लेकिन उसके लिये कोई हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रहती हम तो हमेशा से ही जागीरदारों के, ब्लेक मार्केटियर्स के और राजा लोगों के पूंजीपतियों के खिलाफ में रहे और उससे संघर्ष करते रहे हैं। इसलिये अब मैं यही निवेदन अन्त में करना चाहता हूं कि अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, सोशलिज्म को कायम रखना है, देश में प्रगतिशील नीतियों को बढ़ाना है तो हमें स्टेट्स क्वो को समाप्त करना होगा, और हमें फासिज्म के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना होगा ऐसा करने पर ही हमारा प्रान्त राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति महोदय : श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

श्री **पूनमचन्द बिश्नोई** (भीनमाल) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी बहस के दौरान अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने यह कहा कि राजस्थान सरकार ने जो अमेरिका के साथ राजस्थान नहर और चम्बल परियोजना को भूमि के विकास के लिये जो कर्ज लिया है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इससे हमारे देश की सोवेंन्टी को खतरा है, उसका हमारी विदेशी नीति पर असर पड़ेगा। उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ हमारा यह पहला ही समझौता नहीं है इसके पहले भी समझौते हुए हैं और खासतौर से जबसे हमारे देश में विकास और औद्योगीकरण के लिये योजनायें बनायी गयी हैं

Page No 95

(95)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

जब से हमने देश का औद्योगिकरण करने का तय किया तबसे हमने अमेरिका से ही नहीं बल्कि और भी दूसरे समाजवादी देशों से और पूंजीपति देशों से बहुत से समझौते किये हैं। कई कर्जों के समझौते किये हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे देश को कोई नुकसान हुआ हो। मैं उनकी जानकारी के लिये यह भी निवेदन कर दूं कि जब रूस में समाजवादी सरकार आयी थी तो उस समय लेनिन ने भी दूसरे विदेशों से यह जिसमें पून्जीपति देश भी थे यह कहा कि हम अपने देश का विकास अपने तरीकों से करना चाहते हैं इसलिये आप हमें विदेशी पूंजी की सहायता करें। उन्होंने अपने देश में टेक्नीकल विकास के लिये दूसरे देशों से मदद मांगी थी। मैं चीन के बारे में तो नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने मदद मांगी या नहीं लेकिन दूसरे समाजवादी देशों ने सहायता ली है। अभी चार पांच साल पहले रूस ने मोटर गाड़ी के निर्माण के लिये अमेरिका की फिएट कम्पनी से एक विशेष समझौता किया।

एक माननीय सदस्य : इटेलियन कम्पनी है। अमेरिका कम्पनी फिएट की नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स की बात है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो मेरा निवेदन है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हमारे लोग समझौता करने वाले हैं वह इतने कच्चे नहीं है, रों नहीं कि वह ऐसे समझौते कर आवें कि जिससे हमारे देश को खतरा पहुंचे। ऐसा कोई करार नहीं किया है जिसमें हमें खतरा हो। मेरी समझ में तो यह बात आती नहीं है इससे हमारे देश का अहित होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई खतरे में पड़ने वाली बात नहीं सैकड़ों ऐसे करार हमारे विदेशी मंत्रालय में होते हैं और मैं समझता हूं कि हमारी विदेशी नीति में काम करने वाले इस बारे में अच्छी तरह समझते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

दूसरी बात जो यहां कही गयी है वह यह है कि पूंजीपतियों के खिलाफ जखीरेबाजों के खिलाफ, ब्लेकमार्केटियर्स के खिलाफ में गांवों से किसान और मजदूर शामिल होकर सड़कों पर उनसे डंडों से निपटें तो इसके लिये तो मैं क्षमा चाहूंगा कि उनसे मुकाबला करने के लिये किसानों और मजदूरों के साथ लकड़ी लेकर लड़ने तो जाऊंगा नहीं। हमारे और आपके बीच में एक समझौता हुआ है कुछ प्रगतिशील मामलों में आप और हम एक हैं पर लाठी लेकर लड़ने के लिये तो मैं क्षमा चाहूंगा। हम समाजवाद में विश्वास करते हैं और इसमें हम दूसरी पार्टी के लोगों को और जनता को समझा बुझा कर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे उसके लिये आपने जो रास्ता बताया है उसको हम नहीं अपना सकेंगे। क्योंकि कानून को हाथ में लेना जुर्म है, कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता में है और संवैधानिक तरीके से कांग्रेस पार्टी का लोगों की जानमाल की रक्षा करने का कर्त्तव्य है। कांग्रेस का कर्त्तव्य है कि वह लोगों के हितों की रक्षा करें।

अब मैं राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है, उस पर आता हूं। सबसे पहले मैं उस बात से शुरुआत करूंगा जो बहुत ही

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
अच्छा कार्य हुआ है इस साल में वह करीब 5।। लाख रिहायशी प्लाट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को देने का है और नरौरा कैम्प के बाद में शायद हमारा प्रदेश ही पहला राज्य है जिसने इस काम को इतनी छोटी अवधि में किया और ~~इसके लिये यहां की सरकार~~ बधाई की पात्र है।

लेकिन साथ साथ एक प्रचार और भी इसके साथ बराबर जुड़ रहा है कि प्लाट दे दिये हैं ये पर्याप्त नहीं है, उन पर मकान भी बनाना है। मेरी कुछ आदत ऐसी है कि गलत प्रलोभन देना और लोगों में ऐसी भावना पैदा करना जिसको पूरा न किया जा सके, मैं उसको उचित नहीं समझता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति और जन जाति में यह भावना फैलायी हुई है कि चार हजार रुपया और मिल रहे हैं केवल प्लाट ही नहीं मिल रहा है। चार हजार रुपये के हिसाब से 5।। लाख प्लाट्स पर धनराशि उपलब्ध कराते हैं तो लगभग 2 अरब 20 करोड़ रुपया लागत पड़ती है।

एक माननीय सदस्य : आपका मैनी-फेस्टो है।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : कोई बात जब तक व्यवहारिक न हो नहीं फैलायी जानी चाहिये।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह राज्यपाल के भाषण में भी है।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : एक गलतफहमी जनता में फैली है। सन् 72 में चुनाव हुए। मैंने कभी नहीं कहा, बहुत से साथी कह रहे थे कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग आ रहा है, हर व्यक्ति यह बात कह रहा था बिना सोचे समझे और जनता में यह बात फैली हुई थी कि जो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं वह अब हमारे हाथ में आने वाली हैं, शहरों में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं अब मेरे हाथ आने वाली हैं, इस प्रकार की गलत धारणा लोगों में फैली हुई है, इस प्रकार की गलत धारणा उनमें फैलाना नहीं चाहिये। दो हजार चार हजार दस हजार मकान बना सकते हैं लेकिन 5।। लाख मकानों के लिये धनराशि उपलब्ध करा सकेंगे यह संभव नहीं है और चार पांच हजार रुपये में कितना बड़ा मकान बना सकते हैं, अन्दाज लगाइये, 2 अरब 20 करोड़ की राशि यदि उत्पादन के कामों में लगाये। तो मेरा खयाल है उसके ज्यादा अच्छे परिणाम आवेंगे। इस सीमा से लेते हैं इस बात को कि हो सकता है दो हजार चार हजार दस हजार मकान बनाये जा सकते हैं। हमने यह प्रचार कर दिया कि मकान बनाने जा रहे हैं उन प्लाट्स पर और जब आप उसको पूरा न कर सकें तो यह प्रचार अच्छा नहीं है और यह बात अच्छी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह बराबर प्रचार हो रहा है। रेडियो पर भी यह बार बार बात आ रही है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आप उस पर रोक लगाना चाहते हैं, रुकेगा नहीं।

श्री. **पूनमचन्द विश्नोई** : अपने को समझना चाहिये। व्यवहारिक बात है वही कहना चाहिये। जनता में ऐसी भावना पैदा करना उसके राजनैतिक परिणाम अच्छे नहीं होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केरल में मिली जुली सरकार ने एक लाख मकान बनाये हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अच्छी बात है ।

इसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न लेता हूं टाउन प्लानिंग का। आज भी इन्जीनियर्स के पास जो विधियां हैं, टेक्नोलोजी है, वह कितनी कारगर है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। चान्द में मानव को उतार दिया गया। टाउन प्लानर्स हैं उनके पास भी बहुत अच्छी टेक्नोलोजी है। वे सौ मंजिले मकान बना सकते हैं। अन्डर ग्राउन्ड रेल्वेज बनायी जा सकती हैं। जल निकास, नहरी पानी का निकास, उद्यान वगैरा अच्छे बनाये जा सकते हैं। बहुत से टाउन प्लानर्स विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आये हैं। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मकान बनाने की विधि में तो तरक्की की है, लेकिन टाउन प्लानिंग की साइड में बिलकुल असफल रहे हैं।

आपको दो चार बड़े उद्योगों के आस पास में अच्छी बसी हुई बस्ती मिलेगी लेकिन जितने भी पुराने शहर हैं, उनमें जो विकास हुआ है वह बेतरतीब हुआ है और किसी सिस्टम से नहीं हुआ है। न तो जल निकास की उनमें ठीक प्रकार से व्यवस्था है, न पानी के निकास की दृष्टि से, न वहां पर सडकों की अच्छी व्यवस्था है, उनका सम्यक विकास हो इस दृष्टि से भी नहीं बसाया गया है, टाउन प्लानिंग के पीछे जो फन्डामेन्टल बातें होनी चाहिये वे नहीं हैं, न तरतीब है मकानों की, बस्तियां भी कोई ठीक प्रकार से इकट्ठी होकर रहे इस प्रकार नहीं हैं, बड़े बेतरतीब ढंग से बसी हैं। और इस प्रकार ये शहर बड़े बेतरतीब तरीके से बढ़ रहे हैं। आम तौर पर इसका कारण यह है कि जिस किसी का विभाग से प्लाट लेने का सम्बन्ध है, उसको समय पर प्लाट नहीं मिल पाता है और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे लोग जमीनों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। कई दफा मकान बना लेते हैं उनको बाद में तरतीबवार किया नहीं जा सकता है। उसका नतीजा यह होता है कि बहुत स्लम्स होते हैं। इस दृष्टि से टाउन प्लानिंग का मामला बहुत ही कमजोर रहा है। जयपुर शहर डेढ़ सौ ढाई सौ वर्ष पहले बसा। कितनी ही भारी वर्षा हो जाय लेकिन यहां पर आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। सी स्कीम, दूसरी बस्तियों के लिये टाउन प्लानिंग ने प्लान किया, लेकिन उनमें से निकास की व्यवस्था बिलकुल अच्छी नहीं है। आज हम देखते हैं शहरों की आबादी और गांवों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हो क्या रहा है कि कीमती से कीमती भूमि कृषि प्रधान हमारा देश है, शहरों के आस पास की बढ़िया भूमि को जाकर टाउन प्लानिंग वाले जाकर चुनते हैं। लेकिन ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़ जमीन को वे जाकर नहीं चुनते। नतीजा क्या होता है कि हजारों बीघा कृषि की उच्चतम जमीन इन बस्तियों में चली जाती है। कृषि भूमि को जहां बढ़ाने की कोशिश होती है इस तरह से इस कृषि भूमि को उल्टा नष्ट कर दिया जाता है और शहरों के आस पास की बढ़िया से बढ़िया जमीनें इस प्रकार से जा रही हैं। प्राचीन समय में शहर बसाये जाते थे तो ऐसी जगहों पर बसाये जाते थे कि जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, साग सब्जी और फल वगैरा अच्छी उपजाऊ जमीन होती थी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

उसको छांटा जाता था। आज हम देख रहे हैं कि कृषि की अच्छी जमीनों पर बस्तियां बस गयी हैं और जयपुर शहर आज सांगानेर तक चला गया है। इधर पहाड़ों के किनारे, आमेर से पल्ली तरफ कृषि योग्य भूमि थी उसको नहीं दिया गया। मेरा यह सुझाव है इस सम्बन्ध में कि जो बड़े बड़े शहर में उनमे कुछ तो बढ़ोतरी होगी ही। कोई बड़ा उद्योग धन्धा हो, सैनिक प्रतिष्ठानों का सवाल हो, हवाई जहाज के स्टेशनों का सवाल हो, आर. ए. सी. के ट्रेनिंग का सवाल हो उनको शहरों की उपजाऊ भूमि के नजदीक रखने से क्या फायदा? मिलीटरी कहीं भी रह सकती है। पहाड़ी जमीन, ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, पानी का वहां सवाल हो तो कहीं से भी उसको ले जाया जा सकता है। जयपुर शहर में उनको रखने के बजाय दूसरी जगह रखा जा सकता है। बहुत से उपनगर दस दस पन्द्रह पन्द्रह मील में बसाये जा सकते हैं। शहर छोटे रहेंगे तो समस्या भी कम रहेगी और आस पास के नगरों के बसने से विकास भी वहां पर होगा। उस इलाके में मंडी होगी, हाई स्कूल होंगे, बाजार हो जावेंगे और चीजें भी उपलब्ध होने लग जावेंगी। जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। शहरी जमीन है, विकास हुआ, शहरीकरण हुआ तो उसकी कीमत भी बढ़ी राज्य सरकार को मेरा यह सुझाव है कि जो शहर बसाये जायें तो सैनिक ठिकाने, और बड़े बड़े उद्योग हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जैसे बड़े शहरों के आस पास में नहीं रखे जाने चाहिये।

आपने देखा होगा कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर आदि इन शहरों के आस पास जो भी उपजाऊ जमीन हैं उसको मिलिट्री, एयर फोर्स और इस प्रकार अन्य संगठनों के लिए हमने ले ली है। यह तो अच्छी बात है कि हाउसिंग बोर्ड मकानों का निर्माण कर रहा है। लेकिन हम इस समस्या की ओर विचार नहीं करते कि शहर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और उनको ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाया और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स नहीं बनायी तो बढ़िया कृषि योग्य भूमि इनमें समाती जावेंगीं। यह अच्छी बात है कि हाउसिंग बोर्ड मध्यवर्गीय लोगों को, कम आय वाले लोगों को मकान दे। हाउसिंग बोर्ड को मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनानी चाहिये। अच्छी बात है, सुविधा की बात भी हो सकती है। समस्या बहुत बड़ी है काबू नहीं पा सकते हैं इस पर। आपको ऊपर की भी तरफ वर्टीकल जिसको बोलते हैं उस तरफ बढ़ना पड़ेगा।

इसी तरह राज्य सरकार के अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज है और उसके लिये मकानात का निर्माण राज्य सरकार कराती है। गांधी नगर में दो दो मील के क्षेत्र ऐसे है जहां बस्ती बसी हुई है। कई प्रकार की श्रेणियों के प्लाट हैं सी. एफ. डी. वगैरह मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्यों नहीं बनाते हैं? चाहे हाऊसिंग बोर्ड मकान बनाये, चाहे कोआपरेटिव मकान बनाये। ज्यादा खेती की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिये नहीं तो 15 सालों में जयपुर का क्षेत्रफल चारगुणा हो गया है तो कल्पना कीजिये आज के तीस वर्ष बाद क्या स्थिति होगी? इस तरह कल्पना कीजिये आज शहर बहुत गन्दे हैं, पानी के निकास की व्यवस्था नहीं हैं। एक तरफ हम कहते हैं खाद की बड़ी भारी कमी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

है और पहले के मुकाबले खादों की कीमत दुगुनी हो गई और तिगुनी होने जा रही हैं क्योंकि भारत सरकार को करोड़ों रुपये इम्पोरटेड खाद पर खर्च करने पड़े हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कीमत बढ़ गई है लेकिन गांधीजी ने नलों की खाद कहा है। दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में इस खाद का बिलकुल उपयोग नहीं किया जा रहा है।

मेरे से पूर्व वक्ता, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक कहा है लाखों मन खाद का इस प्रकार का प्राप्त किया जा सकता है लेकिन जल निकास की व्यवस्था शहरों में करना चाहते हैं। एक तरफ खाद की कमी और दुसरी तरफ ये हो रहा है। तीसरी बात पानी सप्लाई की, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसको मीठा पानी बोलते हैं, कमी है लेकिन हमने किया क्या है कि सरकार इस बात को प्रोत्साहन दे रही है कि एक छोटा बच्चा पेशाब करने जाय और गुसलखाने में जाय तो उस पर चार गैलन पानी जाता है। इसका परिणाम यह हो रहा है जोधपुर शहर को पानी देने की पिछले तीन साल से योजना चल रही है और उसमें अच्छी खेती के जो क्षेत्र थे अभाव में उजड़े हैं। सूरसागर का सारा क्षेत्र उजाड़ दिया है उसके बाद हेमावास 40 मील से पानी लाये और वह भी जोधपुर शहर के लिये कम रहा और कई खेती के क्षेत्र उजड़ गये। इसके बाद जवाई बांध से पानी लाये 110 मील दूर से और जिस पानी से काफी इर्रीगेशन हो सकता था, इस साल जोधपुर शहर को पानी देना पड़ा। जवाई बांध से 50 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा है और शहर को दिया जा रहा है। उस योजना में सुरंग खोद रहे हैं लेकिन सुना है वह सुरंग टेढ़ी हो गई है और मथानिया में रामपुरा के पास काफी कृषि योग्य भूमि को उजाड़ करके जोधपुर शहर को पानी दिया जा रहा है। क्या यह जो कनाडा का क्षेत्रफल चार गुणा है और आबादी चार गुणा है, आस्ट्रेलिया की जन संख्या डेढ़ करोड़ है और क्षेत्रफल तीन गुणा है, औद्योगिकरण जहां ज्यादा हुआ है, जन संख्या का है खेती ज्यादा हुई है वहां तो फ्लश का तरीका और पानी वेस्ट करने का तरीका ठीक है लेकिन क्या हमारे लिए यह ठीक है ?

20–30 साल तक उपयोग करते रहे तो बड़े शहरों में 20–20, 30–30 मील तक पानी का निकलना बन्द हो जायगा। मैं समझता हूं यह कभी सम्भव नहीं होगा। यह एक बॉरोड टेक्नोलोजी है। जो बहुत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये थे वे देश आगे बढ़ गये हैं लेकिन भारत जैसे देश में यह विज्ञान टेक्नोलोजी विकसित नहीं हो सकी और दूसरे देशों के मुकाबले पिछड़ गया। यह विज्ञान का करिश्मा है, पूर्ण रूप से नये तरीके को सोचना है जो यहां की धरती पर उतर जाय और उस समस्या का हल किया जाय। बहुत से मामलों में हम असफल रहे हैं उसमें एक यह भी है, जो पेय जल की समस्या का सवाल है वह मुख्य है। हमने कुछ लोगों के लिए ऐसा तरीका बनाया है कि अनाप-शनाप पानी दें। कुछ लोगों की सुख सुविधा के लिये यह सब कुछ किया है। हमारे यहां का जलवायु

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भी ऐसा नहीं है कि बन्द लेट्रीन्स चाहिए और न हमारे यहां पर इतना औद्योगिकरण हुआ है कि 50 प्रतिशत लोगों को खेती से हटाकर उद्योग धंधों में लगा दिया हो। मैं समझता हूं यह अन्धी नकल है और एक अन्धी भक्ति है। अपने यहां पानी की एक एक बूंद की कीमत है जो वेस्ट तरीका है उसको नहीं अपनाया जाना चाहिए।

टाउन प्लानिंग में जो निवेदन किया शहर कितने बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो उपनगर बसाये जायं। आप अच्छी तरह जानते हैं शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है। सब गांवों से शहरों की लाइनें जुड़ी हुई हैं केवल शहर का फायदा यह है कि आवागमन के साधन होते हैं, टेलीफोन होता है, बिजली होती है। आज जयपुर से लगाकर अजमेर तक बसाने की कोशिश की जाय तो आवागमन के साधन भी हो सकते हैं। अन्य और साधन भी डेवलप हो सकते हैं तो यह क्यों नहीं तरीका अपनाते हैं? गांवों के अन्दर जो गांवों के निवासी हैं वे अच्छी तरह जानते हैं। अभी जो जमीनें दी गई हैं गोचर भूमि में जहां मवेशी खड़े रहते थे उनको दे दिया गया है और यही काफी नहीं है। जमीन देने का सवाल जैसे भाई रामानन्द अग्रवाल जी ने कहा दूसरे गरीब लोग हैं उनको भी जमीन देनी पड़ेगी, शहरों में भी जमीन देनी पड़ेगी। गांवों में भी यह समस्या अवश्य खड़ी होगी। गांवों में ढाणियों की एक प्रथा है, लेकिन केरल भी ढाणियों में बसा हुआ है। खेत में रहने का फायदा भोपालसिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं। खेत में रहने से मवेशी बढ़ते हैं, काश्त के लिए ज्यादा खाद होता है और खेती बाड़ी का ज्यादा काम होता है। जल्दी सवेरे काम शुरू हो जाता है और देर रात तक काम कर सकते हैं। स्कूल का सवाल है, दुकान का सवाल है, हॉस्पिटल का सवाल है और केन्द्रों का भी जहां तक सवाल है ये सब वहां होने चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि खेती की जमीन के अन्दर जाकर बसे ताकि काश्त की भूमि में खाद भी अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके और जमीन भी अधिक से अधिक बचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा काश्त की भूमि का उपयोग हो सके।

मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक मिलिट्री और सेना को बसाने का सवाल है··

(4.30 म.प.)

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, सभापति, पीठासीन)

इनको शहर से दूर बसाने में आसानी है और आसानी से बस सकते हैं। इससे विकास की सम्भावनायें ज्यादा बढ़ती हैं।

इसके बाद में मैं पशुपालन के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। इस बात के लिए तो मैं बधाई देता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा और यह सही है कि डेयरी विकास के लिए, चमड़ा रंगने के लिए और पशुओं पर आधारित जितने भी धन्धे हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है और डेयरी उद्योग में पिछले वर्षों में काफी काम हुआ है, और उसके साथ ही साथ पशुपालन विभाग ने पशुओं के जहां तक दवादारू का प्रश्न है, उनकी नस्ल-सुधार का काम है इसमें थोड़ा बहुत कार्य किया है, लेकिन इस

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

समस्या का हल जिस वैज्ञानिक तरीके से निकाला जा सकता था उस तरीके से नहीं निकाला गया और यह वही इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है और बॉरोड आइडियाज हैं वही ज्यादा घर कर गये हैं, और उसका नतीजा यह हुआ कि करोड़ों रुपया खर्च कर दिया पशुपालन पर लेकिन पशुओं के सुधार की तरफ हम ज्यादा नहीं बढ़ पाये हैं, और न हमने नीति ही निश्चित की है कि इस मियाद के अन्दर इस काम को कर लेंगे। जो लोग यहां से गये वह या तो शहरी थे या वह लोग थे जिनका पशुपालन से कोई ताल्लुक नहीं था। वह यू.एस.ए. गये या आस्ट्रेलिया गए या यूरोपीय देशों में गये। वहां पर पशुपालन का तरीका बिल्कुल दूसरा और यहां पर तरीका बिल्कुल दूसरा है। वहां के पशुओं में ज्यादातर गाय है और मांस के लिए मुर्गे और सूअर हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत देश ही ऐसा है संसार में जहां सबसे ज्यादा पशुधन है और आज भी वह भारत में सबसे ज्यादा भूखे रहते हैं। प्राचीन समय में कहा जाता था कि हमारे देश में घी-दूध की नदियां बहती थीं, और यह सही भी था। संसार में आज आधे से अधिक देश ऐसे हैं कि जिनके यहां दूध का काम ही नहीं है। वह दूध जानते ही नहीं हैं कि क्या है। वहां या तो सोयाबीन का दूध होता है या और दूसरी चीज। हमारे यहां भारत के अन्दर गाय, भैंस, बकरी और बहुत से मवेशी ऐसे थे जो कि दूध देते थे लेकिन विदेशों के अन्दर केवल गाय ही या है फिर कुक्कुट-पालन और सूअर हैं। हमारे देश में भी सूअर और मुर्गे बहुत थे लेकिन हमारे यहां पर इन जानवरों को प्रोत्साहन नहीं दिया, क्योंकि यहां बहुत ही बढ़िया जानवर हो सकते थे अच्छे चरागाह थे इसलिए उनकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यह सूअर और मुर्गे ऐसे हैं कि बहुत से देशों में 9 महीने तक बर्फ जमा रहती थीं और वहां जो कूड़ा-करकट होता है, रसोई में कोई चीज बच जाती है वह डालने से सूअर और मुर्गों का पालन हो जाता था और वह एक दो गाय रखते थे जो कि नौ महीनों तक दूध देती थी। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने इसको बढ़ाया। लेकिन हमारे लोग बाहर गये और यहां के जानवर कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उनका पालन होता है यह तो वह भूल गए और वहां की नकल बता दी।

अब मैं एक नमूना बताऊंगा कि एक पोर्क फैक्ट्री 40 लाख रुपये लगा कर सूअर का मांस प्रोसेसिंग करने के लिए लगाई। जब हमारे यहां सूअर होते ही नहीं हैं और दूसरे अच्छे से अच्छे जानवर होते हैं तो सूअर हमारे यहां पनप ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कोई ऑफिसर गया होगा और उसने योजना बना दी और 40 लाख रुपया उस पर खर्च हो गया।

एक माननीय सदस्य : नाथूराम जी गये थे।

श्री **पूनमचन्द बिश्नोई** : नाथूराम जी तो अच्छे प्रचारक थे उन्होंने अंगूर भी लगा दिये तो वह तो उनका व्यक्तित्व था कि जो एक्सपर्ट्स ने बता दिया और वह उन्होंने पूरा कर दिया।

इसी तरह से भेड़ों के ऊन के वर्गीकरण के लिए और उनके कतरने के लिए एक करोड़ रुपया खर्च किया होगा और अभी तक

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

उसमें कबूतर ब्याते हैं। यह मैं बॉरोड टेक्नोलॉजी के इन्सटांस दे रहा हूं।

हमारे यहां भैंस होती हैं। पिछली बार भी मैंने भाषण दिया था। उसके बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस हुई। वहां एक व्यक्ति ने कहा कि भैंस के ऊपर दुनियां में अनुसंधान नहीं हुआ। भैंस दुनियां में कहीं दूध नहीं देती है सिवाय भारत के इसलिए उस पर अनुसंधान नहीं हुआ। इसलिए डेयरी कांग्रेस में जिसकी कि नैनीताल या मसूरी में मीटिंग हुई वहां पर भैंस के ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया गया हालांकि दूध का कुआ सिर्फ हमारे देश में होता है और कहीं नहीं होता है। गाय डुअल परपज की है। यह 5 हजार रुपये की बैलों की जोड़ी भी दे सकती है, दो हजार का बछड़ा भी दे सकती है और साथ में दूध भी देती है। उसका पालन एक तरीके से करें और नस्ल सुधार का तरीका अपनायें तो हमें काफी लाभ मिल सकता है। बाकी जो गायें ज्यादा दूध देती हैं उनके बछड़े किसी काम के नहीं हैं।

ऊंट हमारे यहां की विशेषता है जो कि आगे भी बहुत सालों तक उपयोगी होगा। आपकी बड़ी-बड़ी मशीनरी असफल हो गयी लेकिन राजस्थान कैनाल को हमारे ऊंट खोद रहे हैं और काफी वजन वह अपने ऊपर लादकर काम कर रहे हैं। तो हमारे यहां ऊंट के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, बकरी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, भैंस के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारी जो बढ़िया किस्म की गायें हैं उनका डुअल परपज है। वह बछड़े देती हैं हल चलाने के लिए शानदार—उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। हमने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया वह अमेरिका के ढंग से बनाया कि यह प्रसार अधिकारी है और उसकी यह योग्यता होगी, यह यहां और वहां जायेगा और यह यह काम करेगा। लेकिन होता है कि जब वह जायेगा तो अपना गडरिया दूसरी जगह गया हुआ होगा। तो जो पशुपालन का ढंग है उसको हमने प्रेक्टिकल नहीं बनाया।

चरागाहों पर लाखों या करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि चरागाह विकास के लिए हम असफल रहे हैं क्योंकि वहां दूसरे देशों में चरागाह की समस्या नहीं है। आस्ट्रेलिया में एक पशुपालक के पास लाखों एकड़ जमीन है। उनके यहां पर शहरी वातावरण है और टेम्प्रेचर कन्ट्रोल्ड कमरे के अन्दर वहां चारा रखा जाता है। बोरियों के अन्दर घास आ जाती है और दूसरे फीड आ जाते हैं, और उसको खड़े-खड़े चरा लेते हैं और हमारे यहां पर मवेशी वहां चरते हैं जहां फसल होती है। हर एक मवेशी के लिए चारा है। इसलिए यही वजह है कि पशुपालन का अभाव होते हुए भी संसार की आधी मवेशी हमारे यहां रहती है। हमारे यहां की मवेशियों के लिए बरसात में खड़े होने की जगह नहीं है। निष्क्रमण में भी जाती है तो उनको राहत देने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमने प्रशासनिक ढांचा बनाया वह ठीक नहीं बनाया। नतीजा यह हो रहा है कि बॉरोड टेक्नोलॉजी और उसके आधार पर बॉरोड आइडियाज पर बना हुआ प्रशासन के कारण हमारे यहां शानदार पशुधन होते हुए भी, अच्छी से अच्छी दवा होते हुए भी और चमत्कारी विद्या होते हुए भी अफसोस की बात यह है कि हमारे यहां पशुधन ठीक

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नहीं है और तरक्की नहीं कर रहा है। मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि हर जिले के अन्दर पशुओं को बरसात में ठहरने का स्थान बनाना चाहिए और पानी के साधन उपलब्ध होने चाहिए।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

(4.40 म.प.)

ऐसे स्थान होने चाहिए जहां अच्छी घास पैदा हो सके।

(समय–सामाप्ति–सूचक घंटी)

थोड़ा समय और लूंगा। आज का तो समय मुझे ही दे दिया जाय।

तो ऊंट, भेड़, गायें, निष्क्रमण करने वाली गायों के लिए जहां पर ठहरने का कोई ठिकाना नहीं है, राज्य सरकार को चाहिए कि इसके ठिकाने विकसित करें। वीस-बीस मिल तक बरसात के मौसम में जमीन काश्त के नीचे आ जाय तो मवेशी एक जगह से दूसरी जगह छोटे रास्ते से होकर जा सकें, वह जगह होनी चाहिए, वहां पर पानी पीने के ठिकाने हों और इसके अनुसार राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाना चाहिए ताकि उनको शिक्षा दे सकें उनको पशुपालन के सम्बन्ध में, प्रशिक्षण दे सकें। जब तक यह आप नहीं करते हैं आपका पशु विभाग एक्जिस्ट जरूर करता होगा कुत्ते, विल्लियों का इलाज जरूर करता होगा शहरों में लेकिन असली पशुधन का विकास, उसके द्वारा पशुपालन का फायदा नहीं हो सकेगा।

आपने फॉडर बैंक की बात कही। फॉडर बैंक आपका कहां हैं? मवेशी बेचारे भूखों मर रहे हैं। आपके पश्चिमी राजस्थान के अन्दर सैंकड़ों ट्यूब वैल तीन जिलों के अन्दर हैं जिनमें बीस बीस लाख गैलन वाले ट्यूब वैल थे उनको आप किसी काम में नहीं ले सके और इतना सा घास भी पैदा नहीं कर सके। आपको पशुओं की देख-रेख के लिए, *बरसात में उनके ठहरने के लिए* और कोई जो विकास का काम हो सकता है वह करना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट के अन्दर फॉरेन टेक्नोलॉजी का बहिष्कार हो और स्थानीय टेक्नोलॉजी के लिए, स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए कमेटी रखनी चाहिए और वह कमेटी दौड़े, भागे नहीं वल्कि कई कई दिनों तक बैठ कर विचार करे तो हमारे पशुधन से बहुत से उद्योग-धन्धे चल सकते हैं, उनके अन्दर कामयाब हो सकते हैं वरना करोड़ों रुपया जो खर्च होगा उसमें अधिकारियों की मौज जरूर होगी लेकिन फायदा नहीं मिलेगा।

उसके बाद में मैं आता हूं वाटर सप्लाई के ऊपर। वाटर सप्लाई में यह है और खास तौर से हमारे मंत्री महोदय भी मरुस्थल के रहने वाले हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मरुस्थल के अन्दर मवेशी और मनुष्य एक जगह पानी पीते हैं। भारत सरकार ने योजना बनाई और कहा कि हम मनुष्य को स्वच्छ जल देंगे। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर नदियां चलती हैं, गड्ढों में पानी भरा रहता हैं, नालियों में पानी भरा रहता हैं, बांधों में पानी रहता है और मवेशी पानी पी लेती हैं और वहीं मनुष्य भी पानी पी लेते हैं। स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए एक कमेटी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

बनाई और कमेटी के द्वारा जो कुछ भी योजना बनाई जाती है वह केवल मनुष्यों के लिए बनाई जाती है। मवेशी और मनुष्यों के लिए बनाई हमारे यहां कोई अलग-अलग नहीं होते, उसका कोई प्रावधान नहीं होता और जो हमने ठिकाने दिये हैं, पानी के स्टोरेज बना रहे हैं वह स्टोरेज भी ऐसे हैं कि अगर दस बीस अच्छे ऊंट पहुंच जायं तो सब पानी पी जायं। एक हफ्ते भर का पानी रहने का प्रावधान रखा है। मेरा नम्र निवेदन है कि आपको कोशिश करके और भारत सरकार से इस तरह के आदेश प्राप्त कर लेने चाहिए कि जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र की जल-योजनाएं हैं, ग्रामीण जल योजनाएं बनेंगी उस के अन्दर मनुष्यों के साथ साथ मवेशियों के पानी पीने का भी उसके अन्दर प्रावधान रखा जाएगा।

दूसरा यह है कि जलदाय विभाग जहां सिर्फ पाइप लाईन जोड़ते हैं, टंकी बनाते हैं उसकी ही जिम्मेदारी मानता है। प्राचीन समय में राजस्थान में अब भी अधिकतर जो पुराने पानी के ठिकाने हैं जहां से पानी लेते हैं वे आज भी हजारों तालाब हैं। बीकानेर में तालाबों की कमी नहीं है। चूरू के पास में मैंने देखा था और मैं समझता हूँ कि छः लाख रुपया लगावें तो भी वैसे तालाब का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे 2 तालाब मारवाड़ में भी हैं जिन पर बीस लाख रुपये लगा कर भी आप निर्माण नहीं करा सकते। प्राचीन समय में कतारें चलती थी बनजारों की और वे विशेष तौर पर तालाब खुदवाया करते थे। गांवों में ऐसा रिवाज था कि अमावस और ग्यारस को तालाब को खोदना पुण्य का काम समझा जाता था। आज इस तरह के बड़े 2 तालाबों की देख रेख नहीं होती। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर और पूर्वी राजस्थान के अन्दर आज भी बहुत सा इलाका ऐसा है जहां पर अगर तालाब नहीं होंगे तो पशुधन कभी पानी नहीं पी सकेगा। तालाब आज भी उतना ही आवश्यक है, जितना कि आज से पचास वर्ष पहले था। समस्या के तौर पर कहता हूं कि एक एक गांव में कई दफा दस-दस हजार मवेशी निष्क्रमण करते हुए एक गांव में आते हैं। तो उन दस हजार पशुओं को टूंटी के जरिये, जल योजना के जरिये आप किस तरह से पानी पिलायेंगे? कहां से वे पानी पीयेंगे? क्या इतनी बड़ी खेल हो सकती है जहां पर जानवर पानी पी सकें? कहां पानी पीयेंगे? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जलदाय विभाग को चाहिए कि जितने पुराने तालाब हैं, जोधपुर में गुलाब सागर है, जोधपुर के अन्दर हो या बाहर हो, विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पाईप से पानी लाने की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि यहां के मवेशी को पीने का स्वच्छ पानी मिले, अच्छा पानी मिले उसके लिए विभाग को बन्दोबस्त करना चाहिए। आपके विभाग को चाहिए कि जो इस तरह के बड़े 2 तालाब हैं, आखिर उनकी जिम्मेदारी किस की है, विभाग की होनी चाहिए। जब दुष्काल होता है आपके पास में उनकी लिस्ट होनी चाहिए ताकि अकाल के वक्त में बराबर उनको खुदवाना चाहिए। सरकार का पैसा वैसे भी खर्च होता है। इस तरह के तालाब हाथ में लें और उनकी मरम्मत करावें क्योंकि तालाब के ऊपर अभी तक बहुत लम्बे समय तक आधारित रहेंगे और तालाब होने से जो

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

टू टियों का पानी है इस पानी के अन्दर भी बढ़ोत्तरी होगी। तालाबों की तरक्की से हजारों फायदे हैं।

इसी तरह से आपकी जो नल-योजनाएं हैं, मैंने कहा कि यहां बहुत ही ज्यादा इनमें विदेशों की नकल है। आपका पानी छानने का जो तरीका है फिल्टर करने का वह भी बड़ा कॉस्टली तरीका है, वेस्टफुल तरीका है, बड़ा पानी ढुलता है। इसमें भी सरल रीति अपनानी चाहिए और दूसरे तालावों के पानी को स्वच्छ रखने के लिए मछली इत्यादि जीव उसमें रखें, तालावों में रखें, चाहे कुए खुदवा कर रखें ताकि साधारण तौर पर स्वतः ही फिल्टर होकर पानी आ सके इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। यह तो वैज्ञानिकों की समस्या है, इट इज फार देम टू फाइण्ड आउट। वह एक तरीका निकालें और उस समस्या को हल करें, इसी का नाम वैज्ञानिक हल है। दूसरों की नकल करके चलने में मैं तो कोई फायदा नहीं समझता।"

श्री ओंकार लाल चौहान : टेक्निकल नॉलेज का मतलब ही क्या होगा फिर?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं एक बात और कहूं। दूसरी कई जगह हैं जहां पानी खारा है, कुछ कुओं में मीठा है और आप जानते हैं कि गांवों के अन्दर जहां पर पानी की कमी है वे इस बात को समझ सकते हैं, जो मरुस्थल के रहने वाले हैं वे इस बात को समझ सकते हैं कि मवेशी और मनुष्य के लिए पानी को सरलता से दुगुना किया जा सकता है अगर आप खारा और मीठा पानी का सम्मिश्रण कर लें। इस तरह से पानी की क्वान्टिटी को भी दुगुना किया जा सकता है। आप पांच सौ करोड़ रुपये खर्च करके ग्रामीण जल-योजना हर गांव के अन्दर पानी देने के लिए करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसमें कोई खराबी हो जाय, इसकी मरम्मत करनी पड़े तो इसके ऊपर औसतन जो मेंटीनेंस का खर्चा हमने लगाया है वह करीब 85 करोड़ रुपये आएगा आगे चल कर। रिपेयरिंग में और डेप्रिसियेशन है उसके ऊपर भी तीस चालीस करोड़ रुपये आएगा। इसलिए मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा था कि पीने के पानी की जहां जरूरत है वहां पर टैक्स लगा कर भी आप इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि मरुस्थल के लोग करीब 2 चौथाई आमदनी अपने और अपने मवेशियों के पानी की उपलब्धि पर खर्च करते हैं, वे इस चीज को माइण्ड नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब कुछ दिनों में उनकी आदत बिगड़ जाएगी और बाद में आप करेंगे तो वह बाद में टैक्स देंगे नहीं।

एक बात है सिंचाई के बारे में। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग है वह पानी की कमी का है और यहां पर एक एक बूंद पानी की कीमत है। आपने देखा है कि जहां पर सिंचाई योजनाएं बनी हैं। वहां पर पानी का उपयोग सही तरीके से नही हो रहा है। बहुत सा पानी खराब होता है। सड़कों के किनारे देखते हैं कि तालाब भरे रहते हैं और दूसरी तरफ फसलें पानी के अभाव में सूखती हैं। मैं इस बात के लिए तो राज्य सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने चम्बल प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनाल के लिए वर्ल्ड बैंक से सौदा करके यह योजना लागू की है, लेकिन हमको इतने से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ही संतोष नहीं करना चाहिए। कम खर्चे में पानी को किस तरह से ज्यादा काम में ले सकते हैं, ज्यादा फसल ले सकें इस बात की ओर सम्बन्धित विभाग को ध्यान जरूर देना चाहिए। खेती विभाग के अन्दर काफी अच्छे-अच्छे काम हुए हैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकते लेकिन यहां पर भी बारोड टेक्नोलॉजी और बॉरोड आइडियाज के ऊपर काफी प्रशासनिक ढांचा बनाया हुआ है। इसके अन्दर भी आपको बदलाव लाने की जरूरत है। हरियाणा और गुजरात को हम देखते हैं कि जो खेती के इम्प्लीमेंटस हैं, जो खेती-बाड़ी के अन्दर हाथ से चलने के यंत्र हैं उनके अन्दर काम हुआ है जब कि राजस्थान आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे हजारों यंत्र हैं जो जानवरों के द्वारा या आदमियों के द्वारा चलाने वाले हो सकते हैं। मंत्री महोदय इस ओर ज्यादा जोर देंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को काफी फायदा हो सकता है।

इसके अलावा एक बात और यह है कि हम बराबर कहते रहते हैं कि छोटे काश्तकारों के लिए हमने यह किया, वह किया, यह फायदा पहुंचाया, वह फायदा पहुंचाया, लेकिन इनकी इन्कम पर विचार नहीं करते हैं कि छोटे काश्तकारों को अपनी सिंचित खेती करने के अन्दर रोकड़ी रुपया प्रति एकड़ खर्चा कितना पड़ता है? जमीन की कीमत छोड़िए, मशीन की कीमत छोड़िए, अपनी मजदूरी छोड़िएगा और अपने बैलों से जो काम लेते हैं उस पर खर्चा करते हैं वह छोड़िएगा, उसको छोड़ करके अच्छे ढंग से लाभ की खेती करें तो 600 रुपया प्रति एकड़ खर्चा आता है। आपने बहुत से फीगर्स दिए हैं कि फलां कोआपरेटिव सोसाइटी ने इतना पैसा दिया है, मैं समझता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आपका यह है। और लोगों को इतनी तकलीफ होती है, जहां पर डीजल सेट चलते है जहां पर बैल वगैरा से खेती करते हैं, काश्तकार को इतनी भारी तकलीफ होती है, इसलिए छोटे काश्तकारों को, स्माल काश्तकारों को यदि आप उनको गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा पैसे का बन्दोबस्त करना पड़ेगा यह जो आप धन खर्च कर रहे हैं, उससे। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है, कुछ भी नहीं है तो और इसके लिए यदि आप कारगर योजना बनावें, उसमें ब्लाक्स बनायें, कुछ क्षेत्रों को ले लीजिए, कुछ क्षेत्रों के हिसाब से नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि छोटे काश्तकारों की कोई मदद नहीं कर सकेंगे, चाहें अपनी जबान से कितना ही कहते रहें।

इसके बाद में आता है फेमिन का सवाल इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि 56 का अकाल पड़ा सम्वत 1973 में उसके बाद में अकाल में कभी इतने दुखी नहीं हुए होंगे जितने इस साल हुए हैं। यह मैं छः सात जिलों की बात बता रहा हूं। आज भी स्थिति ऐसी है कि वन-थर्ड लोग मरुस्थल के भूखे सोते हैं या एक पतला सा दलिया पानी की तरह का बना करके और उसको पीते हैं। अपनी सरकार की नीति भी यह है और भारत सरकार ने भी एकदम से हाथ खींच लिया। पहले तो टाबर की आदत बिगाड़ दी। या तो टाबर को बिगाड़ना नहीं, पहले तो खूब छूट दे दी और बाद में एक दम से चारों तरफ से बन्द कर दें तो इसी तरह से यह भारत सरकार ने

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

अच्छा नहीं किया । इससे जनता की तकलीफें बहुत बढ़ गईं । और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने शासन के अन्दर कोई ठाठ-बाट के अन्दर कभी नहीं । चाहे मेहमान आवें, मोटरों के दौड़ने का सवाल हो, फर्निशिंग का सवाल हो, उसके अन्दर कोई फर्क नहीं आया, और जनता पांच सात जिलों में भूखों मर रही है।

एक बात और डिफेक्ट की है कि जहां बरसात कम होती है तो एक समय तक वहां पर दस-पन्द्रह जिलों को एक ही केटेगरी के अन्दर ले लिया जाता है । आज जैसलमेर, बाड़मेर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर जिले के कुछ हिस्से उसमें और मेरे ख्याल से जयपुर के अन्दर भी बराबर अकाल होता है। जिस आदमी ने पिछले टाइम खाना खाया एक समय ऐसे भी मामले हैं और 10 दिन का भूखा है ऐसे भी मामले हैं । राजस्थान का अच्छी तरह से केटेगोराइजेशन करें कि कौनसा जिला कितना अकाल से प्रभावित हुआ है और कितनी वहां पर वर्षा हुई है। केवल गिरदावरी के आधार पर यह कर दें और 23 जिलों को एक ही केटेगरी में रख दिया जाय तो मैं समझता हूं उससे न तो इतने लोगों को रिलीफ मिलेगा और न वह लोग जो अकाल से पीड़ित हैं उनकी पीड़ा को समाप्त कर सकेंगे । अकाल का काम खोलने में अगर इस तरह से किया गया तो इतना काम बढ़ जायगा ।

दूसरी बात यह है कि अकाल के दिनों की अलग-अलग विभागों में कोई योजना नहीं है कि किस विभाग को कौन सा काम करना है । किसी विभाग में इस प्रकार की योजना है । अकाल राहत समिति की मीटिंग हो जाती है जिसमें एम. एल. ए. साहब और चार अधिकारी मिल जाते हैं और वे दो चार नाम ले लेते हैं और वह हो जाता है ।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान की खाद्य समस्या, पशु-पालन की समस्या, एफॉरेस्टेशन की समस्या, सड़कों की समस्या है । इनमें से कौनसी ऐसी चीज है जिसमें पैसे की जरूरत है सिवाय मजदूरी के । बहुत से पानी के क्षेत्र हैं चाहे वह भीनमाल हो, चाहे रानीवाड़ा हो, चाहे सांचौर हो, चाहे दूसरा इलाका हो, चाहे औसियां का इलाका हो जहां की जमीन ऊंची नीची है वहां की जमीन का लेवलिंग कर सकते हैं तो एकदम फसल हो सकती है । यह काम तो बिल्कुल मिट्टी का काम है । इसके बारे में मैंने पी. डबलू. डी. को कहा दूसरे डिपार्टमेंट्स को कहा कि जिन तालाबों में हमेशा पानी रहता हो उन तालाबों की उनके पास कोई योजना नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारा देश बिना सड़कों के तरक्की नहीं कर सकता है। ग्रेवल रोड बना दें जहां पर कि ट्राफिक ज्यादा नहीं चलता है । इसी तरह से एफॉरेस्टेशन का काम हुआ, कुए खोदने का काम हुआ, पचासों काम ऐसे हैं । भूमि-विकास का काम करना चाहते हैं तो राजस्थान कैनाल पर ज्यादा पैसा किस काम में जायगा ? लेवलिंग पर जायगा । चम्बल प्रोजेक्ट में काय (किस) पर जायगा ? लेवलिंग पर । यही चीजें वहां करा सकते हैं । यह सब चीजें विकसित हो सकती हैं पैसे से और आदमी की मजदूरी से । कौन सा ऐसा काम है जो कि पैसे से और मजदूरी से नहीं हो सकता है । लेकिन इस तरकीब को हम पकड़ नहीं पाये हैं और ऐसी योजना आज दिन तक बन नहीं पाई

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

है। रानीवाड़ा पंचायत समिति के अन्दर इतना पानी है और वहां पर 5 बीघा जमीन भी समतल नहीं है तो उसको समतल बनाने की योजना बनायें। उस पर आप 50 हजार आदमी लगा सकते हैं और नेक्स्ट फसल उस पर उपजाई जा सकती है, क्विक रिटर्न ? लेकिन क्या है कि हमने वहां आदमी लगाये नहीं फिर डामर की सड़क का सवाल आता है। उसके बारे में कह देते हैं कि डामर नहीं है तो आप सड़क मिट्टी की क्यों नहीं बनाते हैं? जालौर का किला जो दो हजार फीट की ऊंचाई पर बना है तो वह इस तरह से ही तो बना है एक-एक आदमी कतार में खड़ा हो जाता था और एक एक ईंट को आगे पकड़ाता जाता था। इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं चुन दी गई। आपको ट्रान्सपोर्ट की डिफिकल्टी आती है तो भाई अमृतजी बैठे हैं इनसे पूछ लें कि ट्रांसपोर्ट में भी उतना ही खर्चा लगेगा चाहे 10 मील तक आप 10–10 गज के फासले पर आदमी रखकर उनको पहुंचा सकते हैं। पिरामिड कैसे चुने गये थे ? चीन की दीवार कैसे बनाई गई है ? अंकोरा और कम्बोडिया के बड़े बड़े मन्दिर हैं, सूर्य मंदिर है जिसका एक एक पत्थर हजार हजार मन का है उस वक्त कौन सी क्रेनें थीं और कौन सी लगाने की मशीनें थीं? एक एक चट्टान का वजन 75–75 टन है। वे आज तक खड़े हुए हैं। यह सब बिना कल्पना के लोग हैं, लकीर के पीछे फकीर होकर चलने वाले लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि सड़क डामर से पुतनी चाहिये। मैं इन्जीनियर साहब को चैलेन्ज देता हूं कि मेरे गांव की 5 मील की सड़क है उस पर एक तरफ मुझे गुमटी से बनाने दें और दूसरी तरफ वे रॉलर से बनायें किसकी पहले टूटती है ? मैं कहता हूं कि आपने जो मकान बनाये हैं वह टूट रहे हैं और पुराने मकान खड़े हैं। यह सब इनकी बातें हैं कि डामर की सड़क बनेगी। जहां पर पट्टियां होती हैं जैसे जोधपुर के अन्दर, खाटू के अन्दर, तो वहां पर पट्टियों की सड़कें क्यों नहीं बनाते हैं? वहां पर सीमेंट और डामर की सड़क क्यों बनाते हैं ? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सब ह्यूमन कम्पोनेंट है। ऐसी बातों पर जब आप विचार करेंगे तो बहुत से क्षेत्र हैं उन पर दिमाग लगायेंगे...

श्री रणजीतसिंह : अब समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल दिनांक 20 फरवरी के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 5 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 20 फरवरी, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट–1

(प्रश्न संख्या 28)

प्रतिलिपि पत्र संख्या एफ.13 (17) शिक्षा/ग्रुप–1/74 दिनांक 9–10–74 विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के निमित्त ।

विषय : अनार्थिक संस्कृत महाविद्यालयों को बन्द करना तथा उनके स्थान पर नवीन महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करना ।

निदेशानुसार इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 4–7–74 के आंशिक संशोधन में राजकीय संस्कृत कालेज, अलवर को न्यूनतम स्टाफ से चालू रखने की स्वीकृति दी जाती है । यह स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि संस्था में छात्र संख्या 50 से कम नहीं होगी ।

परिशिष्ट- 2

(ता. प्र. सं. 30 की सूची)

जिन समितियों की बैठकें जिस-जिस तिथि को बुलाई गई हैं उनकी सूची

क्रम संख्या	समिति का नाम	मीटिंग की तिथि
1.	शिक्षा व विधि विभाग एवं निर्वाचन विभागों की सलाहकार समिति।	18-3-74
2.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं आयुर्वेद विभागों की सलाहकार समिति।	8-4-74
3.	खनिज विभाग की सलाहकार समिति।	9-4-74
4.	सिंचाई एवं राजस्थान नहर परियोजना विभागों की सलाहकार समिति।	9-4-74
5.	जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी एवं राजस्थान भू-जल मण्डल विभागों की सलाहकार समिति।	9-4-74
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं विद्युत् विभागों की सलाहकार समिति।	10-4-74
7.	कृषि, पशु-पालन, खाद्य, भेड़ व ऊन एवं नागरिक रसद विभागों की सलाहकार समिति।	11-4-74
8.	जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी एवं राजस्थान भू-जल मण्डल विभागों की सलाहकार समिति।	16-8-74
9.	वित्त, करारोपण, आबकारी एवं आयोजना विभागों की सलाहकार समिति।	16-8-74
10.	कृषि, पशु-पालन, खाद्य, भेड़ व ऊन तथा नागरिक रसद विभागों की सलाहकार समिति।	20-8-74
11.	शिक्षा एवं विधि तथा निर्वाचन विभागों की सलाहकार समिति।	20-8-74
12.	कृषि, पशु-पालन, खाद्य, भेड़ व ऊन, एवं नागरिक रसद विभागों की सलाहकार समिति।	21-8-74

परिशिष्ट -3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले में वृद्धावस्था पेंशन के प्रार्थना-पत्र

31. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में सन् 1970 से अब तक वृद्धावस्था पेंशन के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) इनमें से कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन मंजूर हो चुकी है और कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जा चुके हैं ?

(3) अब कितने प्रार्थना-पत्र पेंडिंग है और उनका निपटारा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1970 से अब तक वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1641 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनमें से 1870 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हो चुकी है और 63 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जा चुके हैं।

(3) अब 208 प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं। इनमें से जितने भी मामले नियमान्तर्गत योग्य होंगे उनका निबटारा मार्च, 1975 तक कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में भेजी गई)

माही नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित लोगों को अनुदान

32. श्री महेन्द्र कुमार परमार (पाड़वा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष डूंगरपुर जिले के माही नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़-पीड़ित लोगों के लिये कितनी-कितनी अनुदान की राशि स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या बाढ़-पीड़ित परिवारों को ही राहत अनुदान दिया गया या ऐसे परिवारों को भी दिया गया जो बाढ़ में पीड़ित नहीं थे ?

(3) क्या यह सही है कि जिन-जिन परिवारों को अनुदान दिया गया उनको आधी राशि दी गई और सारी राशि के भुगतान के दस्तखत अथवा अंगूठे के चिन्ह लिए गये ?

(4) क्या यह सही है कि जिन परिवारों के मकान गिर गये उनको लकड़ी का कबाड़ा मुफ्त में दिया गया था ? इसमें भी आधा कबाड़ा दिया गया और सारे मकान का कबाड़ा दिया गया बताकर हस्ताक्षर लिये गये ?

(5) कुल कितना कबाड़ा कितनी धनराशि का खरीद किया गया उसका सम्पूर्ण विवरण बताया जावे।

(स्थगित किया गया)

ग्राम दीनारपुरा (सीकर) का विद्युतिकरण

33. श्री गोरधनसिंह (सीकर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दीनारपुरा, पंचायत समिति, पिपराली, जिला

(श्री गोरधनसिह)
सीकर के चारों तरफ के ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है ? यदि हां, तो उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम दीनारपुरा में विद्युतिकरण हेतु सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(3) सरकार इस ग्राम का विद्युतिकरण करने का विचार कब तक रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दीनारपुरा के पूर्व व उत्तर में दौलतपुरा, कटराथल व जेरथी का विद्युतिकरण नहीं हुआ है।

(2) जी हां। वर्ष 1972-73 में दीनारपुरा का सर्वेक्षण किया गया था।

(3) पिपराली पंचायत समिति की बड़ी आई. ई. सी. योजना में इस गांव को सम्मिलित करने का विचार है।

कुशलगढ़ गांधी आश्रम का ऑडिट

34. श्री **जीथिंग** (कुशलगढ़): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, कुशलगढ़ में गांधी आश्रम के नाम से संस्था चल रही है ? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त संस्था का प्रारम्भ से अब तक कितनी राशि किस–किस मद में दी गई ? पूर्ण विवरण सदन–पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या कुशलगढ़ गान्धी आश्रम का ऑडिट किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? प्रत्येक ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या उक्त संस्था का पिछला लेखा–जोखा लेखापाल से प्रमाणित है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, इस संस्था की स्थापना माह मई, 1948 में हुई थी।

(2) उक्त संस्था को वित्तीय वर्ष 1951-52 से 1973-74 तक निदेशालय, समाज-कल्याण विभाग द्वारा 1,04,786.50 रु. का कुल अनुदान अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिये प्राथमिक शालाएँ चलाने हेतु स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा संस्था द्वारा वर्ष 62-63 से अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिये एक अनुदानित छात्रावास भी कुशलगढ़ में चलाया जा रहा है। इसकी स्वीकृत संख्या 30 है और जिला परिवीक्षा एवं समाज-कल्याण अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा अनुदान निम्न दर से स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.सं.	श्रेणी	प्रति माह छात्र-वृत्ति माह अधिकतम अनुदान की दरें।
1.	कक्षा 5 से 8 वीं तक के छात्र/छात्रा	55 रु.
2.	कक्षा 9 से 11 वीं तक के छात्र/छात्रा	60 रु.

(3) स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान देने संबंधी नियमानुसार स्वीकृत अनुदान का

(समाज कल्याण मंत्री)
ग्राडीटेड ग्रकाउन्ट प्रति वर्ष संस्था चार्टर्ड ग्रकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार कराकर भेजती रही है। वर्ष 1969–70 से 1972–73 तक निदेशालय द्वारा स्वीकृत ग्रनुदान की राशि के ग्राडीटेड स्टेटमेन्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(4) नियमानुसार स्वयं सेवी संस्थाओं के लेखे-जोखे का ग्राडिट महालेखापाल द्वारा कराया जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

बीकानेर-जसरासर सड़क को पक्का कराने की योजना

35. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर-जसरासर वाया नापासर सड़क को पक्का कराने की योजना इस वर्ष की है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक पक्का बना दिया जावेगा?

उत्तर

बीकानेर–नापासर तथा बीकानेर से जसरासर वाया नोखा डामर रोड से जुड़े हुये है।

जसरासर से नापासर को सीधा पक्की रोड़ से जोड़ने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

जिला झालावाड़ में सतर्कता समिति का कार्य

36. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला झालावाड़ में सतर्कता समिति का कार्य प्रारंभ होने के बाद ग्राज तक कितने ग्रौर किस किस व्यक्ति या कर्मचारी एवं ग्रधिकारियों के खिलाफ ग्रारोप प्रमाणित हुये? ग्रौर इनमें से किस किस को कब कब क्या सजा दी गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

ए. पी. डी. पी. के ग्रन्तर्गत बनी डामरयुक्त सड़कों के रख-रखाव की व्यवस्था

37. **श्री लूणाराम (डूगरगढ़):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ए.पी.डी.पी. या ग्रन्य योजनाओं से बनी डामरयुक्त राज्य व जिलास्तरीय लघु मार्गों ग्रादि पर बारहमासिया (स्थायी देखरेख रखने वाले नौकर) रखने हेतु विभाग के पास कोई प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो ऐसी सड़कों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या सरकार ऐसी सड़कों के स्थायी रख-रखाव की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक ग्रौर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डी.पी.ए.पी सहायता कार्यों एवं क्रेश योजना ग्रादि में बनी सड़कों के रख-रखाव का विभाग के पास प्रावधान नहीं हैं। ग्रर्थाभाव के कारण उक्त सड़कों के लिए नहीं रखा जा सका है। इसकी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

(2) विचाराधीन है।

बीकानेर एवं लूणकरणसर पंचायत समितियों में पोषाहार केन्द्र

38. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार ने वर्ष 1974–75 में राज्य में कुल कितने पोषाहार केन्द्र स्वीकृत किये हैं ?

(2) उपरोक्त केन्द्र किस किस पंचायत समिति क्षेत्र में कितने कितने स्वीकृत किये गये हैं तथा उन की स्वीकृति के आधार क्या है ?

(3) क्या पंचायत समिति, बीकानेर एवं लूणकरणसर सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जन संख्या अन्य स्वीकृत पोषाहार केन्द्रों से ज्यादा है ? अगर हां, तो उन समितियों को पोषाहार केन्द्र स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) भारत सरकार की ओर से पोषाहार कार्यक्रम के लिये केवल धनराशि स्वीकृत की जाती है। वर्ष 1974–75 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में शहरी व देहाती क्षेत्र के लिये कुल 2193 पोषाहार केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं।

(2) कुल 2193 पोषाहार केन्द्रों में से पंचायत समिति क्षेत्र के लिये 1455 केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट (अ) पर पेश कर दी गई है तथा राज्य सरकार के निर्णयानुसार पोषाहार केन्द्र (1) शहरी गन्दी बस्तियों (2) आदिवासी क्षेत्र व (3) सीमावर्ती। रेगिस्तानी क्षेत्र में खोले जाने हैं।

(3) पंचायत समिति, बीकानेर सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र है लेकिन लूणकरणसर पंचायत समिति सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है। इस वर्ष सीमित वित्तीय साधन की दृष्टि से सीमावर्ती। रेगिस्तानी जिलों की केवल कुछ ही पंचायत समितियों में पोषाहार केन्द्र स्वीकृत करना संभव हो सका था।

115

o

राजस्थान की विभिन्न पंचायत समितियों में स्वीकृत पोषाहार केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	नाम पंचायत समिति	पोषाहार केन्द्रों की स्वीकृत संख्या
1	2	3	4
1.	उदयपुर	1. कोटड़ा	30
		2. खैरवाड़ा	70
		3. धरियावाद	15
		4. सलूम्बर	15
		5. गोगून्दा	15
		6. झाडोल	30
		7. सराडा	15
		8. गिरवा	60
		9. मावली	40
		10. कुम्भलगढ़	20
		11. बड़गांव	20
2.	बांसवाड़ा	1. कुशलगढ़	50
		2. सज्जनगढ़	25
		3. भूखिया	34
		4. पीपलखूंट	35
		5. तलवाड़ा	68
		6. बागीडोरा	55
		7. गढ़ी	50
		8. घाटोल	50
3.	चित्तौड़गढ़	1. प्रतापगढ़	66
		2. भैंसरोड़गढ़	15
		3. अरनोद	30
		4. छोटोसादड़ी	30

Page No 116

(116)

1	2	3	4
4.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	92
		2. बिच्छीवाड़ा	60
		3. सिमलवाड़ा	65
		4. सागवाड़ा	60
		5. आसपुर	60
5.	कोटा	1. शाहबाद	15
6.	सिरोही	1. पिण्डवाड़ा	15
		2. रेवदर	15
		3. आबूरोड	15
7.	बूंदी	1. तालेड़ा	15
8.	पाली	1. बाली	8
9.	जोधपुर	1. फलोदी	90
		2. शेरगढ़	37
10.	बाड़मेर	1. चौहटन	60
11.	बीकानेर	1. कोलायत	60
		योग	1,455

डाक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस

39. **श्री अमृतलाल गहलोत** जोधपुर (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राज्य सरकार ने मेडीकल कालेज में कार्य करने वाले डाक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी है ? यदि हां, तो इस निर्णय को किस प्रकार लागू किया जा रहा है ?

(2) अन्य डाक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करने के संबंध में राज्य सरकार का क्या विचार है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस निर्णय को लागू करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं जिनके अनुसार अब पांचों मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बन्धित अस्पतालों में नियुक्त डाक्टर अब निजी प्रेक्टिस नहीं कर सकते। मरीजों को अपनी इच्छा के डाक्टरों को दिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु पे-क्लिनिकों की व्यवस्था कर दी गई है जहां पर निश्चित दिन व समय पर मरीज अपने इच्छा के डाक्टर को निश्चित फीस देकर दिखा सकता है। "इमरजेन्सी" में मरीज अपने घर पर डाक्टर को बुलाकर दिखा सकता है।

(2) मामला विचाराधीन है।

बांसवाड़ा जिले में काश्तकारों को बिजली देने की योजना

40. **श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या इस वर्ष जिला बांसवाडा में काश्तकारों को बिजली देने का प्रावधान रखा गया है ?

(2) यदि हां, तो जिले में किस किस पंचायत समिति में कितने कितने गांवों को बिजली देने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काश्तकरों को बिजली देने का प्रावधान रखा गया है।

(2) जिले की गढ़ी घाटोल एवं बागीडोरा पंचायत समितियों की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत इन पंचायत समितियों के क्रमशः 8, 4, एवं 2 गांवों का विद्युतिकरण इस वर्ष जनवरी, 75 तक किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत अनुमानतः 10–12 और गांवों का विद्युतीकरण चालू वित्त वर्ष में होने की संभावना है।

भरतपुर, सवाईमाधोपुर व कोटा जिले में डकैतियां

41. **श्री अजीत सिंह (टोंक)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला भरतपुर, सवाईमाधोपुर और कोटा में 1974 में कितनी डकैतियाँ हुईं और कितनी मुठभेड़ हुई तथा इनमें कितने आदमी मरे ? ब्यौरेवार बताने की करें।

(2) कितनी पुलिस इन जिलों में डाकू विरोधी अभियान के अन्तर्गत लगा रखी है ? कृपया ब्यौरेवार बताने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त जिलों में जो आर. ए. सी. पुलिस लगा रखी है वह किस के आदेश से काम करती है ?

(4) जिला भरतपुर के थाना रूपवास में कितने चोरी के केस व डकैती के केस दर्ज हुये और उनमें से कितनों में पुलिस कामयाब रही ?

उत्तर

(1) सन् 1974 में जिला भरतपुर में 34, जिला सवाईमाधोपुर में 13 व जिला कोटा में 11 अपराध डकैतियों के पंजीबद्ध हुये। इसी अवधि में जिला भरतपुर में 7 व जिला सवाईमाधोपुर में 2 मुठभेडें हुई। जिला कोटा में कोई मुठभेड़ नहीं हुई जिला भरतपुर में इन मुठभेड़ों में 6 डकैत सर्वश्री हुकमा उर्फ हुक्म सिंह, भीमजीत, मोहनसिंह, बाबू, सूरताराम, चुन्नी मारे गये। जिला सवाईमाधोपुर में जो मुठभेड़ हुई उनमें कोई आदमी नहीं मरा।

(2) डाकू विरोधी अभियान के अन्तर्गत जिला भरतपुर में 4 कम्पनियां आर. ए. सी. की जिला सवाईमाधोपुर में तीन आर. ए. सी. कम्पनी व जिला कोटा में 2 कम्पनियां आर. ए. सी. पुलिस की लगी हुई हैं।

(3) उपरोक्त जिलों में जो आर. ए. सी. पुलिस नियुक्त की गई है जो जिला पुलिस अधीक्षक के तत्वाधान में उनके निर्देशानुसार कार्य करती है।

(4) सन् 1974 में थाना पुलिस रूपवास जिला भरतपुर में चोरी के 34 अभियोग, नकबजनी के 12 अभियोग, व डकैती के 5 अभियोग पंजीबद्ध हुये। इन पंजीबद्ध अभियोगों में से चोरी के 8 अभियोगों, नकबजनी के 3 अभियोगों व डकैती के 3 अभियोगों में चालान किये गये।

कस्बा लेडी (नागौर) के ट्रांसफारमर से गांवों को बिजली की सप्लाई

42. श्री **सांवरमल मोर** (श्रीमाधोपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) कस्बा लेडी जिला नागौर के ट्रांसफारमर पर कितना वर्क लोड है तथा इस ट्रांसफारमर से कितने गांवों को बिजली सप्लाई की जाती है ?

(श्री सांवरमल मोर)

(2) क्या यह सही है कि जिन गांवों को बिजली दी गई है वे एक ही ए.सी. के क्षेत्र में नहीं आकर दो ए.सी. क्षेत्रान्तर्गत आते हैं ?

(3) क्या यह सही है जिन गांवों को बिजली सप्लाई की गई है उनका रेवेन्यू एरिया एक अलग ए.सी. के अन्तर्गत आता है तथा बिजली सप्लाई का अलग ए.सी. के अन्तर्गत आता है जिस से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या यह सही है कि गत वर्ष (1973-74) की फसल में बिजली की सप्लाई ठीक न होने के कारण किसानों की लगभग तीन लाख रुपये की फसल का नुकसान हुआ है ? जिसकी शिकायत ग्रामवासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों को बार बार तार, रजिस्ट्रियों तथा प्रार्थना-पत्रों से की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त ट्रांसफारमर कम शक्तिशाली होने के कारण बिजली की पूरी सप्लाई नहीं हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ट्रांसफारमर को जल्दी से जल्दी बदल कर अधिक शक्तिशाली ट्रांसफारमर लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कस्बा लेडी जिला नागौर के ट्रांसफारमर पर 1600 किलोवाट का भार है तथा इससे 21 गांवों को बिजली दी जाती है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, यह सत्य है कि रेवेन्यू एरिया एक एस.ई. व सप्लाई एरिया दूसरे एस.ई. के अन्तर्गत आता है, लेकिन इससे किसानों को परेशानी होती है यह कहना सही नहीं है।

(4) यह सही है कि वर्ष 1973-74 में दिन के समय में यदाकदा बिजली की कमी रही है लेकिन रात्रि के समय बिजली दी जाती थी। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों की शिकायत अवश्य प्राप्त होती रही है।

(5) छोटे ट्रान्सफार्मर की जगह बड़ा ट्रान्सफारमर लगा दिया गया है।

(120)

परिशिष्ट 4

(अता. प्र. सं. 1 की सूची)

क्र.सं.	गांव का नाम	विद्युतिकरण की अनुमानित लागत	विद्युति करण की तारीख
1.	खुरड़ी	39300-00	25–1–73
2.	रघुनाथपुरा		,,
3.	फतेहपुरा कलां	266500-00	,,
4.	कंवरपुरा		,,
5.	गोरधनपुरा		,,
6.	सोहुन्द		21–1–74
7.	अभई	श्रे रेगूलराइज्ड	,,
8.	जगदीशपुर		,,

परिशिष्ट 5

(अता. प्र. सं. 3 की सूची)

जोधपुर नगर में, वित्तीय वर्ष 73–74 में स्वीकृत की गई हरिजन एवं अनुसूचित और जनजाति की बस्तियां :—

1. सरगरा बस्ती पावपुरा
2. हरिजन बस्ती नया बास
3. महात्मा गांधी बस्ती, भगत की कोठी
4. मेघवाल बस्ती रघुनाथ जी का वास
5. मेघवाल बस्ती रावण का चबूतरा
6. बाबरी बस्ती बाबा रामदेव मन्दिर
7. मेघवाल बस्ती कोडी खाना
8. मेघवाल बस्ती महा मन्दिर
9. मेघवाल भील बस्ती पालूराम जी बाबरी
10. मेघवाल बस्ती भैरूं बाग
11. बजरंग कालोनी रोड़वेज वर्कशाप
12. भील बस्ती नागौरी गेट के बाहर
13. भील बस्ती जालोरी गेट के पास
14. मेघवाली बस्ती रानी बाग कागा रोड़
15. बाबरी बस्ती भगत की कोठी
16. भील बस्ती माहोरी गेट
17. भील बस्ती माहोरी गेट
18. भील भकरानी सूर सागर
19. मोची बस्ती राय बाबरी
20. हरिजन बस्ती राय बाबरी
21. मेघवाल बस्ती चैनपुरा
22. मेघवाल बस्ती रघुनाथ बायरी
23. मितिया बस्ती चैनपुरा
24. मेघवाल बस्ती पुजला
25. भील बस्ती बासनी तम्बोलिया
26. हरिजन गोगा बस्ती उदय मन्दिर
27. सरगरा कालोनी नया तालाब
28. मेघवाल बस्ती गदोरियों की ढानी
29. जघिया बस्ती जटवासिया
30. मेघवाल बस्ती काली बाबरी
31. मेघवाल बस्ती भैरूं खेतान का बेडा
32. एम. जी. कटला रेडियो स्टेशन
33. भील बस्ती विद्याशाला
34. भील बस्ती सोड़ा की ढानी
35. मेघवाल बस्ती काली बाबरी

जोधपुर नगर में वित्तीय वर्ष 73-74 में स्वीकृत बस्तियां जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है।

1. सरगरा बस्ती पावपुरा
2. हरिजन बस्ती नयावास
3. महात्मा गांधी बस्ती भगत की कोठी
4. मेघवाल बस्ती रघुनाथ जी की बाड़ी
5. मेघवाल बस्ती रावण का चौराहा
6. बाबरी बस्ती बाबा रामदेव मंदिर
7. मेघवाल बस्ती कोडी खाना
8. मेघवाल बस्ती महा मंदिर
9. मेघवाल भील बस्ती कालूराम जी बाबरी
10. मेघवाल बस्ती घेर बाग
11. बजरंग कालोनी रोडवेज वर्कशाप
12. भील बस्ती नागोरिया गेट बाहर
13. भील बस्ती जालोरी गेट के पास
14. मेघवाल बस्ती रानीबाग कागा रोड
15. भंवरी बस्ती भगत की कोठी
16. भील बस्ती मोहोरी गेट
17. भील मकरानी सूरसागर
18. मोची बस्ती राय भंवरी
19. मेघवाल बस्ती चैनपुरा
20. मेघवाल बस्ती रघुनाथ भवरी
21. मिटिया बस्ती चैनपुरा
22. मेघवाल बस्ती कुन्जला
23. भील बस्ती बासनी तम्बोलिया

(122)

परिशिष्ट 6

(अता. प्र. सं. 5 की सूची)

मुकदमा नं. 112/1974 पुलिस थाना, टोडारायसिंह, जिला टोंक में चालान किये गये मुलजिमानों की सूची:–

1. श्री जगदीश पुत्र धन्ना खटीक
2. ,, बालमुकन्द पुत्र साधु कुडमी
3. ,, बद्री पुत्र धन्ना खटीक
4. ,, घासी पुत्र दूलीचन्द कुडमी
5. ,, लाधू पुत्र गणेश खटीक
6. ,, धन्ना पुत्र बख्तावर खटीक
7. ,, मुरारी पुत्र बृजमोहन कुडमी
8. ,, बंजरगा पुत्र मांगीलाल कुडमी
9. ,, लाधू पुत्र बिरधा कुडमी
10. ,, मनमोहन पुत्र मुरलीधर कुडमी
11. ,, बंजरगलाल पुत्र जगन्नाथ कुडमी
12. श्री मोहन पुत्र बखतावर खटीक
13. ,, कन्हैया पुत्र कल्याणमल कुडमी
14. ,, दशरथ पुत्र लालचन्द कुडमी
15. ,, रामेश्वर पुत्र श्री नारायण कुडमी
16. ,, नारायण पुत्र गणपत कुडमी
17. ,, नाथू पुत्र गणेश खटीक
18. ,, रामेश्वर पुत्र माधो कुडमी
19. ,, रामपाल पुत्र गणेश कुडमी
20. ,, मदनलाल पुत्र नन्दराम कुडमी
21. ,, नन्दराम पुत्र कल्याणमल कुडमी

मुकदमा नं. 114/1974 पुलिस थाना टोडारायसिंह, जिला टोंक में चालान किये गये मुलजिमानों की सूची:–

1. श्री रतनलाल पुत्र दला रैगर
2. ,, भागीरथ पुत्र दला रैगर
3. ,, भोलाराम पुत्र दला रैगर
4. ,, श्रीराम पुत्र गंगाराम रैगर
5. ,, रामचन्द्र पुत्र गंगाराम रैगर
6. ,, प्रहलाद पुत्र रामा रैगर
7. ,, गंगाराम पुत्र नारायण रैगर
8. ,, भंवर पुत्र घासी कुम्हार
9. श्री रामनिवास पुत्र घीसा कुम्हार
10. ,, रामदेव पुत्र रामनाथ कुम्हार
11. ,, घीसा पुत्र रामनाथ कुम्हार
12. ,, भंवरलाल पुत्र घीसा कुम्हार
13. ,, गोपाल पुत्र रामदेवा कुम्हार
14. ,, बंजरगा पुत्र हरदेवा माली
15. ,, दला पुत्र नारायण रैगर

परिशिष्ट 7

(अता. प्र. संख्या 6 की सूची)

राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एवं मिनिरल डवलपमेंट कोर्पोरेशन को प्राप्त हुए आशय पत्र तथा उन उद्योगों के स्थानों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	उद्योग	स्थान
1.	स्कूटर	अलवर
2	थ्री व्हीलर	अलवर
3.	ग्लास बोटल्स एण्ड कंटेनर्स	सवाई माधोपुर
4.	क्रायोलाइट एवं एल्युमिनियम फ्लुओराइड	डूंगरपुर (प्रस्तावित)
5.	कैल्शियम कार्बाइड	कोटा
6.	सोडा एश एवं एमोनियम क्लोराइड	सांभर
7.	ग्लास शैल्स फार जी. एल. एस. लैम्प्स एवं लेड ग्लास ट्यूबिंग	अलवर
8.	मिनी स्टील	शिवदास पुरा (जयपुर)
9.	टी वी. रिसीविंग सैट्स	जयपुर
10.	कास्टिक सोडा	डीडवाना (नागौर) (प्रस्तावित)
11.	सूती तथा सिन्थेटिक यार्न	बांसवाड़ा
12.	सूती तथा सिन्थेटिक यार्न	अलवर
13.	स्पांज आयरन	स्थान अभी तय नहीं

(124)

परिशिष्ट 8

(अता. प्र. सं. 9 की सूची)

तहसील सांचोर में जो राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची

क्र. सं.	नाम कार्य	मजदूरों की औसत दैनिक संख्या
1.	केसरी बांध	300
2.	मालासर	250
3.	बाम्पी	140
4.	रतनपुरा	150
5.	चितलवाना	500
6.	सूघडी	200
		योग 1540

निम्नलिखित सिंचाई कार्य और स्वीकृत किये गये हैः–

1.	दूधवा प्रथम	इनमें मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं केवल पक्का कार्य बाकी है। अतः श्रमिकों को लगाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है।
2.	सूराचन्द	
3.	होतीगांव	
4.	खेजडीयाली	
5.	गलीफा	
6.	सजाकी साल	
7.	हांकडा	

जालौर जिले में जो सड़क कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनमें सांचौर के क्षेत्र में पड़ने वाले सड़क कार्य रोहिट-जालौर-भीनमाल सांचौर सड़क कार्य भी शामिल है। इस सड़क का सांचौर क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से पर अभी काम चालू नहीं किया गया है। परन्तु नजदीक में जहां काम चल रहा है उस पर सांचौर के ग्राम सकर एवं पाल के 280 श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

परिशिष्ट--9

(प्र. ता. प्र. सं. 11 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION RAJASTHAN, JODHPUR.

Statement showing persons working at Jodhpur Polytechnic.

S. No.	Name	Designation	Since working
1	2	3	4
		'A'	
1.	Sarvashri S.N. Goel	Principal.	Oct., 69
2.	H. R. Sarda	Head of Mech. Engg.	Nov., 66
3.	K. K. Chopra	Head of Civil Engg.	June, 68
4.	B. K. Mathur	Head of Elect. Engg.	Oct., 66
5.	Gauri Shanker	Head of Elect. Engg.	Oct., 73
6.	A. P. Trivedi	Lecturer Mech. Engg./ Workshop Supdt.	March, 64
7.	D. N. Verma	Lecturer in Mech. Engg.	July, 65
8.	O. P. Harkut	Lecturer in Mech. Engg.	Oct., 73
9.	V. K. Sharma	—do—	July, 71
10.	S. L. Barana	—do—	Dec., 71
11.	R. K. Gupta	Lecturer in Civil Engg.	Oct., 72
12.	Rajendra Singh	—do—	Jan., 72
13.	P. M. Shah	—do— (Now Reader) from 30-11-74.	Sept., 65
14.	B. L. Jain	—do—	Sept., 73
15.	S. K. Bohara	Lect. in Elect. Engg.	Oct., 63
16.	R. B. Kurtata	—do—	Dec., 66
17.	K. R. Nahar	—do—	April, 72
18.	A. K. Mehta	Lect. in English	Oct., 73
19.	R. S. Chandel	Lect. in Maths	Feb., 59
20.	M. L. Bohra	Lect Physics	Aug., 60
21.	R. P. Mathur	Lect. in Chemistry	July, 59.

(126)

1	2	3	4
		'B'	
1.	H. R. Sevta	Demonstrator Civil Engg.	8-8-59
2.	M. R. Choudhary	—do—	26-6.63
3.	S. C. Gandhi	—do—	18-4-64
4.	Inder Chand	—do—	24-6-63
5.	D. R. Mehta	Demonstrator Mech. Engg.	27-2-71
6.	I. R. Trivedi	—do—	3-6-71
7.	N. K. Mehta	—do—	Feb., 74
8.	S. K. Gehlot	—do—	March, 74
9.	Prakash Lal Mathur	Demonstrator in Elect.	June, 73
10.	Praveen Chand	—do—	16-1-74
11.	S. Agarwal	Drawing Inst. in Mech.	21-7-65
12.	Rawat Singh	—do—	24-7-70
13.	Inder Sen Gehlot	Drawing Inst. in Elect.	18-11-66
14.	T. R. Choudhary	Workshop Inst. Mechine shop.	13-7-65
15.	R.C. Purohit	Workshop Instt. Fitting	10-9-60
16.	Som Nath Purohit	Workshop Inst. Elect.	3-7-65
17.	Teekam Chand	Drafsman	11-7-73
18.	Nain Singh	Sub-Station Elect.	1-3-62
19.	Zabbar Singh	P. T. I.	11-8-59
20.	Jetha Ram	Technician Carpentary.	22-7-58
21.	Sohan Lal	—do—	Oct., 71
22.	Bhanwar Lal	Technical Pattern Mak.	8-7-59
23.	Balu Ram	Technician Machinery.	15-8-60
24.	Pukhraj Sharma	Tech. Mechine shop.	9-9-74
25.	Abdul Gani	Tech Smithy.	9-1-65
26.	R. S. Chandel	Teeh. Electronics.	31-7-71
27.	Meghraj Bhati	—do—	Dec., 74
28.	Hund Raj. Bhalla	Tech. Foundry.	11-9-67
29.	Shanti Lal	Tech. Heat Engine.	7-9-70
30.	Girdhar Mehta	Tech. Elect.	7-12-74
31.	H. C. Mathur	Librarian.	21-11-59
32.	Bhagirath Singh.	Boilor Attendant.	21-10-67
33.	Chander Singh	compounder.	9-4-71

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्तम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	ऊपर से 6	—	(नियुक्ति, सिंचाई, स्वायत्त शासन, शिक्षा, यातायात, सहकारिता, विद्युत, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह-विभाग)
2.	2	नीचे से 6	अध्य	अध्यक्ष
3.	9	नीचे से 6	इन	इस
4.	12	ऊपर से 7	हुमन	हुसन
5.	32	नीचे से 10	बठाए	बढ़ायें
6.	37	नीचे से 12,13,14	पैरेलेलिंग	पैरेलेलाईजिंग
7.	41	ऊपर से 11 व 14	पैरेकेलिंग	पैरेलेलाइजिंग
8.	45	ऊपर से 9	यह	इन
9.	58	नीचे से 9	बिमारी	बीमारी
10.	61	नीचे से 8	पोलटावनक	पोलिटेकनिक
11.	73	ऊपर से 8	बैक	बैंक
12.	75	ऊपर से 18	इसका	इसके
13.	79	ऊपर से 18	करें	करेंगे
14.	88	ऊपर से 12	धिकारी	अधिकारी
15.	90	नीचे से 10 व 15	मोरिशियस	मॉरीशस
16.	98	ऊपर से 11	ग्रेजुएट्स	ग्रेजुएशन
17.	99	नीचे से 9	और काश्मीर	—काश्मीर
18.	100	नीचे से 4	का का	का
19.	109	नीचे से 18	एफिमिटी	एफिनिटी
20.	117	ऊपर से [illegible]	महोदय	महोदय के
21.	181	ऊपर से 8	गिर्वी	गिरवी
22.	201	नीचे से 4	ही या है	ही है या
23.	205	नीचे से 20	सामाप्ति	समाप्ति
24.	229	ऊपर से 2 व 3	जोधपुर (सरदारपुरा)	(सरदारपुरा–जोधपुर):
25.	235	नीचे से 1	श्री	—